महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 27 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सेना प्रमुख ने कैंपस में हुए उपद्रवों पर कहा

नेतृत्व हिंसा की तरफ नहीं ले जाता

सेना प्रमुख के बयान पर दिग्विजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। *सेना* ने कहा, उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यक्रम, व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर गुरुवार को कहा कि यदि नेता हमारे शहरों में आगजनी और हिंसा के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्रों सहित जनता को उकसाते हैं, तो यह नेतृत्व नहीं है।

कैंपस हिंसा की घटनाओं के बारे में सेना प्रमुख के बयान को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वाम नेताओं और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने तीखी प्रतिक्रिया जताई।

सेना ने बयान में कहा, 'उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यक्रम, व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है। वह भारत के भविष्य के नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, जो छात्र हैं। छात्रों का मार्गदर्शन करना (उनका) सही कर्तव्य है जिन पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करेगा। कश्मीर घाटी में युवाओं को पहले उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया था, जिनपर उन्होंने नेताओं के रूप में भरोसा किया था।'

सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत 'सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवार्ड' वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जनरल रावत ने एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर रजनीकांत और संयोजक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की बाकी पेज 8 पर

भारतीय सेना ने लिया जेसीओ की शहादत का बदला

नियंत्रण रेखा के पार पाक के दो जवान ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

फाइल फोटो

पीओके के देवा सेक्टर में तीन चौकियां तबाह *पाकिस्तानी* सेना ने माना कि उसके जवान मारे गए और नुकसान हुआ

हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में मोर्चे पर तैनात जेसीओ की शहादत का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। बुधवार की रात भर और गुरुवार को दिन भर की गई जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के देवा सेक्टर में काफी तबाही मचाई। पाकिस्तान की तीन चौकियां तबाह कर दी गईं और उसके दो जवान मारे गए। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में मोर्टार और तोपखाने का इस्तेमाल किया।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले बारामुला के उड़ी में पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को भारी गोलाबारी की। अग्रिम चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसमें एक जेसीओ शहीद हो गए, जबकि एक स्थानीय महिला की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में गुरुवार को भारतीय सेना ने पाक सेना के दो जवानों को मार गिराया। साथ ही पाकिस्तान की दो से तीन चौकियों को नुकसान पहुंचने की सूचना है।

इसके बाद पाकिस्तानी सेना की मीडिया इकाई इंटरसर्विस पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी कर कहा अपने नुकसान की बात मानी। आइएसपीआर ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की ओर से बिना किसी उकसावे के की गई बाकी पेज 8 पर

पुणे के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हादसा, दो जवान मरे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

पुणे के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज (सीएमइ) में गुरुवार को अभ्यास के दौरान सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। इस हादसे में दो जवानों की मौत हो गई। नौ जवान घायल हो गए। घायलों में एक जूनियर कमीशंड अफसर (जेसीओ) समेत दो की हालत गंभीर है। सीएमई में कॉम्बैट इंजिनियर, मिलिट्री इंजिनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रोड्स इंजिनियरिंग सविर्सेज और सेना बाकी पेज 8 पर

गाजियाबाद समेत यूपी के 14 जिलों में इंटरनेट बंद

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 26 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद समेत 14 जिलों की इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद रहेगी।

बीएसएनएल सहित सभी टेलीफोन/ इंटरनेट प्रदाता कंपनियों को गुरुवार रात 10 बजे से शुक्रवार रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेट के अलावा पुलिस मुख्यालय से कुछ जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है।

गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, शामली, संभल, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर आदि में इंटरनेट बंदी बाकी पेज 8 पर

यूपी में हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए एसआइटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए विशेष जांच समिति (एसआइटी) गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

डीजीपी ने कहा कि हर जिले में ऐसे मामलों की जांच के लिए एसआइटी गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच, हिंसा के दौरान हुई मौतों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने चार हफ्तों में डीजीपी ओपी सिंह से जवाब मांगा है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देश के बाकी पेज 8 पर

डीजीपी ने कहा कि हर जिले में ऐसे मामलों की जांच के लिए एसआइटी गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

मृतकों की संख्या 22 हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़कने के बाद गोली लगने से बाकी पेज 8 पर

'भारत पीओके में कर सकता है कार्रवाई'

इस्लामाबाद, 26 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को दावा किया कि भारत अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 'किसी बाकी पेज 8 पर

MARUTI SUZUKI ARENA

5 बेहतरीन कारण,
इस दिसंबर में अपनी मारुति सुज़ुकी कार घर लाने के.

- क़ीमतें बढ़ने से पहले ख़रीदें
- 100% ऑन-रोड फाइनेंस*
- सर्वश्रेष्ठ एक्सचेंज क़ीमत
- साल के बेहतरीन ईयर-एण्ड ऑफर्स*
- साल के बेहतरीन ईयर-एण्ड एक्सचेंज बोनस*

S-CNG
DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.

बेहतरीन परफॉरमेंस
दो ई.सी.यू. और इन्टेलिजेन्ट इन्जेक्शन सिस्टम बनाए हर राफ्टर को दमदार.

बेजोड़ सेफ्टी
लीक-प्रुफ डिजाइन से मिले सुरक्षित ड्राइव, हर बार.

सम्पूर्ण सहूलियत
ऑटोमेटिक इंधन स्विच और इंधन इंडिकेटर दे एक आरामदायक ड्राइव.

ALTO ₹ 60 000* तक की बचत
CELERIO ₹ 50 000* तक की बचत
WAGONR ₹ 45 000* तक की बचत
EECO ₹ 40 000* तक की बचत

ALTO CELERIO WAGONR EECO

E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership | For bulk orders, mail at: anindya.sarkar@maruti.co.in (NCR); abhinav.verma2@maruti.co.in (Delhi)

NORTH DELHI: T.R. Sawhney (Saraswati Vihar) 9582203509; D.D. Motors (Peeragarhi) 25963535; T.R. Sawhney (Badli) 9999324333; Rana Motors (Prashant Vihar) 9711507777; D.D. Motors (Wazirpur) 27153999; Krish (Pitampura) 9999159577; Rana Motors (Tis Hazari) 9873477744; Krish (GT Karnal Road) 9999149577; Fairdeal (Budh Vihar) 7290009371; Saya (Azadpur) 47068888; DD Motors (Narela) 9873563171

SOUTH DELHI: Competent (Lajpat Nagar) 8377007979; AAA Vehicleades (Malviya Nagar) 9971500011; Prem Motors (Mehipalpur) 8745887458; Rohan (Chhatarpur Metro Station) 011-66764444; D.D. Motors (Okhla Ph-1) 40523000; Bagga Link (Kotla) 8826892666; Rana Motors (Safdarjung) 26712222; Rohan (Mathura Road) 9560036262

CENTRAL DELHI: T.R. Sawhney (Amar Colony) 9999563333; T.R. Sawhney (LP Station) 9999399157; Magic Auto (Karol Bagh) 9650099556

WEST DELHI: Competent (CJP) 9582797749; Competent (Najafgarh) 9582797763; Magic Auto (Dwarka Sec-13) 9818444481; AAA Vehicleades (Mundka) 9650445555; Competent (Dwarka) 9582797879; Magic Auto (Palam Dabri Road) 47777777; TR Sawhney (Naraina) 9999137104; Competent (Shivaji Marg) 9582797748; Rana Motors (Janakpuri) 011-47911111; D.D. Motors (Mayapuri) 41845000; Magic Auto (Sec-20, Dwarka) 9500677777; T.R. Sawhney (Rajouri Garden) 9873781333

EAST DELHI: Competent (Gazipur) 8377007977; Bagga Link (Patparganj) 9818199070; T.R. Sawhney (Gokulpuri) 9999399160; Magic Auto (Preet Vihar) 011-49077777; Fairdeal (Bhajanpura) 7290009372; Fair Deal Cars (Shahdara) 9910894050

NOIDA: Rohan (Sec-1) 9873501288; Vipul (Sec-18) 8600091555; Vipul (Sec-63) 0120-4624000; Fairdeal Cars (Sec-10) 9999700944

GREATER NOIDA: Rohan (Udyog Vihar) 9971910523

GURGAON: Rohan (Sec-54) 4845400; Prem Motors (JMD Sikanderpur) 8750987509; Vipul (UdyogVihar) 4396700; Pasco (Sec-18) 4012000; Competent (Islampur Sohna Road) 9582797739; Rana Motors (SCO Plot No-322 Sec-29) 4260000; Pasco (Silverton Sec-50) 7835003000; Competent (Sec-12) 9582797711; Prem Motors (32nd Milestone) 8700487504

FARIDABAD: Auto Nation (Mathura Road) 9899595002; Vipul (Ballabgarh) 9717073300; Rohan (Pahwa) 01275-304100; Fairdeal Cars (Piyali Chowk) 9582139624; Vipul (Mathura Road) 9999994707; TCS Autoworld (Neelam Chowk) 0129-4353535

MANESAR: Platinum Motocorp (Pataudi) 9953345311; Platinum Motocorp (Narnaul) 9053086437; Platinum Motocorp (IMT Chowk) 9953345312; Platinum Motocorp (Farrukhnagar) 9205192534

GHAZIABAD: T.R. Sawhney (Mohan Nagar) 9582263544; Regent Auto (Meerut Road) 7055191234; Rohan (Hapur) 0122-2313204; Motorcraft (Modi Nagar) 8057892222; Rohan (Mukund Nagar) 9650100845; Motorcraft (Sahibabad) 9650972222

SOHNA: Pasco (Alipur) 8683000956

KUNDLI: Auto Vibes 7082010000; Auto Vibes (Kosli) 01259-275300; Auto Vibes (Bawal) 7082100280

GURGAON: Rohan (Delhi Road) 05732-251900

*Terms & Conditions apply. Terms & conditions are subject to change without any prior notice. All Offers are brought to you by Maruti Suzuki dealers only. Total savings include cash discount(on selected models & variants), exchange bonus(on selected models & variants), ISL offer(for select Govt. & Corporate employees on select model & variants). Savings shown above are applicable on New Alto, Celerio, Wagon R, Eeco(except Cargo & ambulance). *Best year end offer & Best year end exchange bonus would not be applicable on Celerio.# Loan is subject to sole discretion of financier. Accessories/colors/features shown may not be part of standard equipment and are for indicative purpose only. Black gloss on vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purpose only. All offers are valid till stock last. Color shown may vary from actual body color due to printing on paper. All Offers are valid till 31st December 2019. The article is released in Business Standard hindi

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Fatima W/o-Abdullah Khan R/o-112-A,Johri Farm,Noor Nagar Ext.,Jamia Nagar,Okhla,New Delhi-110025,have changed my name to Fatima Haseeb Ahmed for all future purpose. 0040525510-4

I,Amrit Lal S/o Munshi Ram Narang R/o WZ-7D, IIIrd Floor,Krishna Nagar,MBS Nagar,Tilak Nagar,NewDelhi-110018 have changed my name from Amrit Lal to Amrit Lal Narang. 0040525471-1

I, hitherto known as Mohd Misal S/o Mohammad Sagir Ahamad, Residing at H.No.-496/5, Pusta-1, Kaithwara, New-Usmanpur, Delhi-110053. have changed my name and shall hereafter be known as Mohd Misal Ahmad. 0040525501-4

I, Zia Mohammad S/o Mazhar Mahmood R/o-A1-902, Saya Zenith, Ahinsakhand-2, Indirapuram, Ghaziabad, U.P-201014. Changed My Name To Zia Mahmood. 0040525540-8

I, Wasin W/o Musheer Hasan R/o E-510, Sector-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad U.P.-201002. have changed my name to Wasim. 0040525509-3

I, Viney Mohan S/O Balwant Singh R/O G-493, Sultanpuri, Delhi-110086. Have Changed My Name To Vinay Mohan. 0040525497-10

I, Vikas Upriti S/o-Bachhi Ram Upreti R/o 4A/786, Gali No.1, Mandawali, Fazalpur, Delhi-110092 have changed my name to Vikas Upreti. 0040525511-9

I, Tarun Kumar S/o Lal Chand R/o Moh. Gilzian, ward No. 8, Bassi, Pathana, Fatehgarh Sahib, Punjab-140412 declare that name of my mother has been wrongly written as Nirmla Thareja in my Passport No. T2975791. The actual name of my mother is Nirmal Kumari, which may be amended accordingly. 0070689982-1

I, Tarun Arora S/O Krishan Chand R/O A-19, Subhadra Colony, Sarai Rohilla, Delhi-110035. Changed My Name To Tarun Kumar. 0040525497-2

I, Tarsem Singh S/o Darshan Singh Landa R/o-A-180B Chander-Vihar Nilothi-Extn. Nangloi Delhi. have changed my name to Tarsem Singh Landa. 0040525509-5

I, Sushila Devi W/o Ashok Kumar Gupta R/o D-2/227, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sushila Gupta permanently. 0040525511-4

I, Surajpaal Yaadav S/O Om Prakaash Yaadav R/O-Village-Neemka Killaparikshit Garh Mawana Meerut, U.P-250406. Changed my Name to Suraj Pal Yadav. 0040525497-1

I, Suraiya W/o Mohd.Akram R/o-1255, Gali Jamun-Wali, Kalan-Mahal, Daryaganj, Delhi-110002 inform that name of mine has wrongly written as Surraya Bano in my passport No.A5384233. The actual name of mine is Suraiya. 0040525517-5

I,Raswhmeet Kaur Chawla W/o Gurmeet Singh Chawla R/o-J-184,GF, Rajouri Garden,N.Delhi-110027,have changed my Name to Rashmeet Kaur Chawla 0040525510-1

I, Sumit Kumar S/o Shri.Ramsajivan R/o Kanpur Gali no.3 Chalera-nearby Moolchand Public-School, Sec-45, Noida, have changed my name to Sumit Gautam. 0040525511-6

I, Sonu S/o Sh. Mahendra Singh R/o-Nagla-Badi, Baghpat, Uttar-Pradesh-250101. have changed my name from Sonu to Sonu Gautaam for all purposes in future. 0040525517-4

I, Sonia W/o Suresh Sharma R/o WZ-399, Tihar Village, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to SONIA SHARMA. 0040525456-1

I, Shoiba Rao W/o Mohd Kaiser Rao R/o H.No.455, Flat No.102, Zakirnagar West Okhla N.Delhi-110025 changed my name from Shoba Tyagi to Shoiba Rao, permanently. 0040525461-3

I, Shaista Ali W/o Irfan Rishi R/o M-109, III-Floor, Gulmarg Appt, Abulfazal Enclave, Jamianagar, N.Delhi-110025 changed my name Shaista to Shaista Ali, permanently. 0040525461-1

I, Shabana W/o Haseen Ahmed H.No-O-57 Nafees-Road, Hari-Masjid, Batla House, Jamia-Nagar Delhi-110025.Changed my name to Shabana Khan. 0040525540-2

I, Sachin S/o Naresh Banga R/o Hno.1720-1721, I-Floor, B-Block, Jahangirpuri, Delhi-110033. Changed my name to Sachin Banga. 0040525540-9

I, Sapna Rani D/o Sh. Surendra Sharma W/o Dr. Shamsher Jamadagni R/o H.No. C-170, Prem Nagar, Najafgarh, New Delhi-110043 have changed my name after marriage to Jaisapna Jamadagni for all purposes. 0040525537-1

I, Sanjeev Solanki S/O Balwan Singh R/O 392, Village Baprola, Delhi-110043. Have Changed My Name To Sanjeev Kumar. 0040525497-4

I, Rita W/O Virender R/O Plot no.41, Street No.9, Singhu Boarder Road, Narela, Delhi-110040. Have Changed My Name To Geeta. 0040525497-3

I, Rita Rampal W/o-Dinesh Rampal R/O-175, Rajender-Park Extn., Nangloi, Delhi-41. Have Changed My Name To Reeta Rampal. 0040525502-1

I, Renu Bala W/o Sanjay Tyagi R/o B-6/59, Sector-4, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Renu Tyagi. 0040525511-8

I, Ravi Kumar S/o Sh. Kailash Kumar R/o-H.No.50, Street.No.1, Govt. School-Khajoori, Khajoori-Khas-Gaon, Delhi-110094. changed my name from Ravi Kumar to Ravi Sagarfor all purposes in future. 0040525517-3

I, Rajesh Kumar S/o Late Sh Prem Parkash R/o H.No.29/5 Jacobpura Near-Government School-Gurugram (HR)have changed my name from Rajesh Kumar to Rajesh Bhagat,for all future purposes. 0040525502-2

I, Rajendra Singh S/o Sh.Baljeet Singh, R/o F-21, Gali No-6, Durga Puri Chowk, Jyoti Nagar, Shahdara, Delhi-94. Have changed my name Rajender Singh to Rajendra Singh for all future purpose. 0040525469-1

I, Raj Arora S/o Sh Pritam Dass Arora R/o Flat No-30C, U&V Block, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name to Raj Kumar Arora for all purposes. 0040525467-1

I, Pushpa Devi D/o Suraj Bhan Gera residing Brahma Kumaris House No. 25, New Rohtak Road Karol Bagh, Delhi, have changed my name to Brahma Kumari Pushpa for all purposes. 0040525476-1

I, Priyanka Devi W/o. Prakash Chand R/o. House Number C-135, Gali No.2, Khajoori Khas Delhi. Have Changed My Name to Prema Devi. 0040525454-2

I, Prashant S/o Shakti Singh, Resident Of Dolcha, Baghpat, Uttar Pradesh, Have Changed My Name To Prashant Yadav. 0040525540-7

I, Prachi Garg W/o Vishal Garg R/o-B-592, GaliNo.22, Lal-Dora, Sant-Nagar, Burari, Delhi-110084. have changed my name from Preeti to Prachi Garg, for all purposes. 0040525509-7

I, Payal Chawla W/o-Saurabh R/o-House.No-661/25, Patel Nagar, Rohtak, Haryana, have changed my name to Payal for all future purposes. 0040525540-4

I, Pavneet Sachdeva S/O, Gurbeer Singh Sachdeva R/o 8294/20, Ram Swaroop Building, Roshanara Road, Delhi-7 have changed my name to Pavneet Singh for all purposes. 0050160264-1

I, Parmod Kumar S/O Satya Narain, Hno.18, II-Floor, Block & Pocket-A2, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name to Parmod Mittal. 0040525497-6

I, Paramjit Singh S/O Kishan Singh R/O-Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Krishna Market, Lajpat-Nagar Delhi-110024. Changed My Name To Paramjeet Singh. 0040525517-9

I, Pankaj Kumar S/o Ram Niwas R/o T-315, Baljeet Nagar, New Delhi-110008 have changed my name to Aditya Singh Luthra. 0040525501-6

I, Nishant Kumar S/o Niranjan Sharma R/o-E-39 (Second-Floor) Ayrasamaj Road, Uttam Nagar Delhi-110059 Have Changed My Name To Nishant Singh. 0040525511-3

I, Nikesh S/o Satbir, R/o-811, Juan (177), Sonipat, Haryana-131024, have changed my name to Nikesh Chhikara Permanently. 0040525540-3

I, Neena Kumar W/o Cdr JK Bhargava R/o H-96, Sector-25, Jalvayu Vihar Noida-201301(U.P.) have changed my name to Neena Bhargava for all future purposes. 0040525499-1

I, Neelam D/o Ramesh Chand Dogra R/O-A2/116A, Phase-5, Ishwar-colony Ayanagar N.Delhi-110047. Change my name to Neelam Kumari. 0040525540-6

I, Nasim Ahmed S/o Jina R/o C-20, Gali No.2 Muradi Road, Batla House, Jamianagar, N.Delhi-110025 changed my name Nasim Glotia to Nasim Ahmed, permanently. 0040525461-2

I, Naseeb S/O Hari Krishna R/O Vpo, Mayna Distt- Rohtak, Haryana-124001. Changed My Name To Naseeb Panghal. 0040525517-8

I, Mushir Hasan Khan S/o Ameenudeen R/o E-510, Sector-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad U.P.-201002. have changed my name to Musheer Hasan. 0040525509-2

I, Monika D/O Satya Narayan Aggarwal R/O M-200, Top Floor, Guru Harkrishan Nagar, Delhi-110087. Changed My Name To Monika Aggarwal. 0040525497-9

I, Mohd Hasan Raja S/O Ali Jaheer R/O P-55.Gali No-3. Shankar Nagar Ext, Krishna Nagar Delhi-110051. Changed My Name To Hasan Raza. 0040525501-1

I, Mohammad Quasim S/O Mohammad Hanif, H.No-402 Ghaffar Manzil Jamia Nagar Delhi-110025. Changed My Name To Mohammad Qasim. 0040525517-10

I, Mohammad Aliuddin S/o Mohammad Manzoor R/o 201, 2nd Floor, Shree Dhar Apartment, Plot No.884, Ward No.6, Mehrauli, Delhi-110030 have changed my name to Mohammad Alauddin 0040525472-1

I, Pirthi Singh S/o Roop Singh R/o-A-12, 3rd-Floor, C-4, Chattarpur-Extn., Chattarpur, ND-110074, changed my name to Prithi Singh Hooda for all purposes. 0040525509-4

I, Meenu Duggal D/o Ved Prakash Duggal R/o-540, Tower-3, Mount-Kailash, East-of-Kailash, N.Delhi-110065 inform that Meenu Duggal and Meenu Sahai are one and the same person. 0040525511-7

I, Md Rafique Alam S/o Khuda Bukshs R/o House No-32-A, Munirka Village. South West Delhi-110067, Changed my name to Rafique Alam. 0040525540-10

I, Manju Deep D/o Vishan Pal R/o-J-23, Sec-5, Dr.Ambedkar-Nagar, New Delhi-110062. have changed my minor son name from Divyansh Kumar aged 9-years to Rishan Deep,for all future purposes. 0040525509-9

I, Mandeep Chug, W/o Deepak Chug, R/o 4A, MIG DDA Red Flats, Rajouri Garden, Delhi-110027, have changed my name to MANDEEP KAUR. 0040525455-1

I, Majiur Reham S/O Wahid Husain, Hno.855, Pkt-II,Sec-A/6, Punarvas Colony, Narela, Delhi-110040. Changed My Name To Mojibur Rehman. 0040525497-7

I, Madan Gopal Garg S/o Sh. Devidayal Garg R/o Flat No. 84, 2nd Floor, Pocket 2, Sector-23, Rohini, Delhi-85, have changed my name from Madan Gopal to Madan Gopal Garg for all purposes. 0040525500-1

I, Km Divya Shobha W/O Balinder Kumar R/O-Q.No.1542, Type-II, Sector-7, Pushp Vihar, Delhi-110017 Have Changed My Name To Divya Shobha. 0040525511-1

I, Kartikey Jee S/o Surender Prasad residing 194, Group-2, Janta DDA Flats, Near Taneja Bakery, Hastsal Village, Uttam Nagar, Delhi, have changed my name to Kartikey for all purposes. 0040525476-2

I, Karamjeet Singh Mikki S/o Gurmeet Singh R/o-WZ-A-29 (F.F.) Gali No.11 Krishna-Park Tilak-Nagar Delhi. have changed my name to Karamjeet Singh. 0040525509-6

I, Jupinder Singh S/o Surinder Bir Singh Bedi R/o Flat No-605,Tower-18,Lotus Bouleward Sector-100, Noida, G.B.Nagar, Pincode-201301 (U.P.) India have changed my name to Jupinder Singh Bedi for all purposes. 0040525498-1

I, Jitender Kumar Jain S/o late Shri Banke Rai Jain R/o A-800/27 Shastri Nagar Delhi-110052, have Changed My Name To Jitender Jain and declare both name belongs to same person. 0040525523-1

I, Jaipal Singh Rawat S/o Virender Singh R/o F-18, Karampura, Delhi-110015, have changed my name to JAIPAL SINGH. 0040525490-1

I, Hitherto Known as Aakil Khan S/o Mohammad Mustaqeem Khan R/O House No.C-II/35, Raju-Park,Near-Saifiyan Masjid, Khanpur, New-Delhi-110062, India. Have changed my name and shall hereafter be known as Mohammad Aakil Khan. 0040525502-3

I, Harshit Devidas Makhijani S/o Late Devidas Makhijani & Mrs. Indu Makhijani, R/o C-629, Sector-19, Noida Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, have changed my name to Harry Devidas Makhijani for all future purposes. 0040525506-1

I, Harpal Singh S/o Narinder Singh Arora R/o-B-4/9b, II-Floor, Phase-2, Ashok-Vihar, Delhi-110052. Changed my name to Harpal Singh Arora. 0040525540-1

I Parvez Islam alias Parwaiz Jamal S/o Hikmatullah R/o B-159, 3rd Floor, Thokar No.8, Shaheen Bagh, Part-2, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, South Delhi, Delhi-110025 have changed my name to Parvez islam for all purposes. 0040525464-3

I, Gurleen Kaur Ahluwalia D/o Ravinder Jeet Singh R/o-C-9, Double-Storey, Ramesh Nagar, N.Delhi-15, have changed my name to Gurleen Kaur. 0040525501-5

I, Goldie D/O Virender R/O Plot no.41, Street no.9, Singhu Boader Road, Narela, Delhi-110040. Changed My Name To Goldie Harijan. 0040525497-8

I, Firdos Jhan W/o Tariq Hussain R/o M-23/3, Block-M, Ghaffar Mazil Extn., Part-2, Haji colony, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025 have changed my name from Firdos Jhan to Firdaus Jahan for all future purposes. 0040525462-1

I, Deepika Kansal W/o Shri Amit Kumar Singhal R/o E-2/2/8,Sector-15,Rohini, North-West,Delhi-110089, AADHAR NO.334346710367, have chaged my name to Deepika for all future purposes,infrom that deepika & Deepika Kansal both are same and one person. 0040525470-1

I, Deepak Saini S/O Shri Ishwar Singh R/O 26, Gali No-2, Village, Bhalaswa, Delhi-110039, have changed my name to Deepak. 0040525540-5

I, Deepak Kulkarni Prabhakar S/o Prabhakar Kulkarni R/o Flat No.81-B, Block B3B,Janakpuri,New Delhi-110058, have changed my name as Deepak Kulkarni for all future purposes. 0040525451-1

I, Bushra Naseem W/O Mohd Aaquib, H.No-845 Katra Hiddu Farash Khana Lal Kuan Delhi-110006. Changed My Name To Bushra Aaquib. 0040525501-2

I, Bhole Khandelwal (D.O.B.15-12-1978)S/o Shri.Ram Kishore R/o-31/84, GaliNo-5, Bhikam Singh-Colony Vishwas-Nagar Shahdara, Delhi-110032. have Changed my name from Bhola Khandelwal to Bhole Khandelwal,for all future purposes. 0040525511-2

I, Bachhi Ram Upriti S/o Kamla Pati Upreti R/o-4A/786, GaliNo.1, Mandawali, Fazalpur, Delhi-110092, have changed my name to Bachhi Ram Upreti. 0040525511-10

I, Amtul Yasmeen W/o. Mr. Sharafat Ali, R/o. 775, Phatak Karoli, Farash Khana, Delhi - 110006. Have Changed My Name to Amtul Yasmin For All Future Purposes. 0040525454-1

I, Akhlesh Kumar Srivastava and Akhilesh Srivastava (S/o Ishwar Dayal Srivastava R/o D-80, Govind Puram, Ghaziabad UP), are one and same person. Henceforth, I shall be known by the name AkhleshKumar Srivastava for all future purposes. 0040525474-1

I, Ajeet Singh Kohli S/o Jaspal Singh R/o 7956/5, Nai Basti Arakasha Road, Ram Nagar, Paharganj, Swami Ram, Tirth Nagar, Delhi-110055 have changed my name to Ajeet Singh for all purposes. 0040525458-1

I, Abdlu Gani S/O Naur Khan, Hno.56, Village Chinchadouli, Ghunjhunu, Rajasthan-333501. Changed My Name To Abdlu Ganii. 0040525497-5

I, Aashish S/O Arjun R/O B-186. Arjun Nagar Safdarjung Enclave, South/West Delhi-110029. Changed My Name To Ashish. 0040525517-7

I, Aamir Hasan Khan S/o Musheer Hasan R/o-E-510, Sector-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad. have changed my name to Amir Hasan Khan. 0040525509-1

I Sumohit S/O Vivek Kumar R/O-C-20,Third Floor, Gali No-5, Krishna Park, Tilak Nagar, New Delhi-110018 Have Changed my Name to Sumohit Dua. 0040525501-3

I SHAISTA W/O Sh. JAMIL AHMAD R/O of 897, Street No. 30/6, Jafrabad, Delhi 110053 shall henceforth be known as SHAISTA MALIK affidavit no IN-DL99872801168310R sworn before notary I.U. KHAN dated 23/12/2019 0050160265-1

I Rinkoo S/O Sh.Shadi Khan R/O-78/222, Aali-Village, Sarita-Vihar New Delhi-110076. Have Changed My Name From Rinkoo To Rinkoo Saif Gargazni. 0040525517-6

I, Kailashh Chandra S/o Ram Dhun Lal R/o 1434, B-1, VasantKunj, Delhi-110070, have changed my name to Kailash Chandra. 0040525511-5

I Poonam Singh,W/o Mr.Lalit Kumar Singh R/o-Flat No.SKC-311, Sipra Krishna-Vista Ahinsa-Khand-1 Indirapuram, Ghaziabad UP.201014. have Changed my Name Punam Singh, For All Purposes. 0040525509-8

I Jamil Ahmed Ansari alias Jameel Ahmed alias Jamil Ahemed alias Jameel Ahmed Ansari S/o Sh.Shakeel Ahmed Ansari R/o H.No.12A/26B, Street No.2, Vijay Mohalla, Mauj Pur, Bhajan Pura, Dehli-110053 have changed my name to Jamil Ahmed Ansari for all purposes. 0040525464-2

I Dinesh Chander S/o Jagdish Prasad Pundora R/o-H.No-1, Type-3, Police Residential-Complex P S VasantKunj Delhi-110070.have changed my name to Dinesh Chander Pundora. 0040525517-1

I Abdus Anis Mondal S/o Late Abul Hossain Mondal R/o Village Nagarpur, P.O. Punra, Police Station-Baduria, Distt. (N) 24 Parganas, West Bengal-743427 have changed the name of my minor daughter from Tanisa Afroja Mondal to Tanisha Afroza Mondal for all purposes. 0040525464-1

Ex man Army no-13663110.E Chokhe lal S/o shri sukhram singh R/o-C-131 harijan-basti Gharoli extn mayur vihar phase-3 Delhi-96 inform that name of my has been wrongly-mentioned as chokhe singh in my Gun Arms licence no-swdb/1/2002/10.The correct name is Chokhe Lal .which may be amended accordingly. 0040525517-2

I Harish Kumar S/O Lakhmi Chand R/O A-1/118 Top Floor Sector - 17 Rohini Delhi-85 Have Changed My Name To Harish Kumar Ramchandani Permanently. 0040525100-6

खोया+पाया

I, MONIKA D/o Om Prakash R/o-Govt Sarvodaya-Kanaya Vidyalaya-Alipur Delhi-36. Have lost my original-certificate class-12th year-2019 Rollno-9657802 CBSE-Delhi. 0040525502-8

I, MUSKAN D/o SONU R/o-Govt Sarvodaya-Kanaya Vidyalaya-Alipur Delhi-36. Have lost my original-certificate class-12th year-2019 Rollno-9657816 CBSE-Delhi. 0040525502-9

I, NAVYA Malik S/o Sachin R/o C-6/20B Lawrence Road Delhi. have lost my original certificate class-10th year-2018 Rollno-8235752 CBSE- Delhi. 0040525501-10

I, NEHA Mann D/o Bijender R/o Govt Sarvodaya Kanaya Vidyalaya Alipur, Delhi-36, have lost my original certificate class-12th year-2019 Rollno-9657738 CBSE Delhi. 0040525502-6

I, RAJBEER S/o-Ram Babu R/o-B-179 Jhuggi-Sarai Pipal Thala Adarsh-Nagar Delhi-33. Have lost my original-certificate Class-12th year-2012 Rollno-9655853 CBSE-Delhi. 0040525502-5

I Chandra Bhushan Pandey S/o Late Ram Janam Pandey, PNB CLPC A9, Connaught Place have lost original GBPA issued by Punjab National Bank. Finders may contact at Mobile No.9312400295. 0040525464-4

I, TANNU chauhan D/o Sushil kumar chauhan R/o-Govt Sarvodaya-Kanaya Vidyalaya-Alipur Delhi-36. Have lost my original-certificate class-12th year-2019 Rollno-9657732 CBSE-Delhi. 0040525502-7

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main Senior Secondary Examination of Year-2018, Roll No. 5856193 issued by CBSE has been actually lost. Neha Gusain D/o Tajbar Singh. Contact: 8447480815 0040525499-2

Lost original Demand Note,Allotment Letter, Possession Letter,Site Possession Letter Deposit Slips issued by DDA vide File No.F-502(1693)97/EHS/DW-1729 for Flat No.100, Block-E, Pocket-3,Bindapur,Type-A,Uttam Nagar,New Delhi-110059 favouring Manisha Arora W/o Raj Kumar. FIR lodged by Smt.Mala Sharma W/o Late Puaran Chand Sharma (Present Owner) vide LR No.2032860/2019 dated:25-12-2019. Founder inform at: 8750139659. 0040525451-2

My original Property document possession and allotment-letter of Flat No. 227, Dhruva Apartment, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092. Have been lost. Finder contact: Munish Chandra S/o Dhanish Chandra Mobile-9811463882. 0040525502-10

I Jaishankar Gupta S/o Late Shri Vishnu Deo. have lost my original allotment cum possession letters dated-08.10.1993 & 06.10.1994 issued by GDA in favour of Jai Shankar Gupta pertaining to Flat No.5/800, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad-UP. 0040525509-10

I, RITU D/o Satbir sharma R/o Govt sarvodaya-Kanaya Vidyalaya-Alipur Delhi-36, have lost my original-certificate class-12th year-2019 Roll no-9657731 CBSE-Delhi. 0040525502-4

खोया+पाया

पुनः दैनिक प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है कि तारणी देवी पति चन्द्रशेखर E/1103 सोनिया विहार, दिल्ली 94 के नाम धारित पावर आर्टोनि दस्तावेज जिसमें प्रॉपर्टी खसरा No. 231 एरिया 25 गज अंकित है, खो गया है। जिसका थाना में F.I.R पूर्व से री दर्ज है, P.S. Crime Branch Delhi F.I.R-LR No-729150/2016 है। जिस किसी जनों को प्राप्त हो कृपया थाना सोनिया विहार में जमा कर दें, या प्रॉपर्टी आर्नर को पहुंचा दें। इस दस्तावेज से किसी प्रकार का कोई लेन देन या दुरुपयोग न करें।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large That Sh. Attar Singh S/o Late Sh. Bhim Singh R/o H.No. 7, Near General Chopal Village, Garhi Rindhla, Delhi - 110081, who was passed away on 09/09/2018 and was bhumidar/owner of (1) Agriculture land ¼ share in Khata no. 33/33 min, Out of total land measuring 19 Bigha 07 Biswas, 10 Biswansi, Out of Khasra No. 98/2(0-16-10), 110(4-16), 177(4-9), 200(410), 204(4-16), and (2) 1/8 share in Khata No.32/33 min, Out of total land measuring 00 Bigha 07 Biswa, Out of Khasra no. -187/5(0-7), and (3) 1/8 share in Khata No. 34/34 Min, Out of total Land measuring 00 Bigha 16 Biswa, Out of Khasra No.- 168/4(0-16). Situated in the revenue estate of Village Garhi Rindhala, Delhi-110081, was the bhumidar/Owner of above said land and he was gived above said land through regd. will duly registration no. 1,259, in addl Book No. 3, Volume No. 44, On page 82 to 84, on the dated 14/12/2015, in the office of S.R.VID, Rohini, Delhi in favour of his Son Sh. Upender Kumar S/o Sh. Attar Singh R/o H.No. 7, Near General Chopal, village Garhi Rindhala, Delhi - 110081, if any person public at large any objection regarding above said will then he/she and etc. is requested please come at Tehsildar office, Kanjhawala, District North West, at D.C. Office Complex, Kanjhawala, Delhi-110081. Before or upto January 1st week or upto when the above said land will be mutate in the name of above said Sh. Upender kumar.

Sd/-
S.K. Sharma (Advocate)
D/3540/14
VILL GARHI RANDHALA
DELHI -110081

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that plot No. 1090 (old No.BA-7), area 307,46 sq.yds in Sector-B in our Greenfields Colony, Faridabad, Haryana stood allotted in the joint names of Shri Ashok Kumar Gupta and Shri Vijay Kumar Gupta both S/o Late Shri Raj Kishan R/o 4872A, Bhogal Road, Jangpura, New Delhi-110014 since 24/12/1990. Shri Vijay Kumar, joint allotee of above plot, expired on 19/8/2019. Shri Vaibhav Gupta, son of late Shri Vijay Kumar requested the Company to substitute the 50% share of above said plot in favour of all the legal heirs of late Shri Vijay Kumar i.e. Smt Jyotsna(Wife), Shri Vaibhav Gupta (son) and Priyanka Goel (Daughter). Anyone having any objection to the above said substitution in favour of the above said legal heirs of late Shri Vijay Kumar, may submit their objection within 30 days to Urban Improvement Co (P) Ltd F-32, Connaught Place, New Delhi.

Sd/-
M.K. AGGARWAL (Adv.)
16/681, Gawari Bhawan,
Faiz Road, Karol Bagh
New Delhi-5

PUBLIC NOTICE

Our clients Shri Sisir Kumar Rana S/o Sh. Subhash Chandra Rana and Smt. Abantika Rana W/o Sh. Sisir Kumar Rana both R/o. Plot No. 10, Nawada Govt. School Road, Nawada Extension, Uttam Nagar, New Delhi-110059 hereby disown and debar their son & Sh. Soumen Rana S/o Sh. Sisir Kumar Rana and Daughter-in-law Smt. Kripa Barman W/o Soumen Rana from inheriting all their movable and immovable property (including gold and silver ornaments), whatsoever belonging to our clients. The son and daughter-in-law of our client are not mending their way and keep harassing and torturing our clients with their acts continuously. Our clients will not be held responsible for any of their acts whether in past, present or in future. Anyone dealing with them will be doing so solely at his/her/their own risk and consequences.

S.K. ASSOCIATES-ADVOCATES & CONSULTANTS
Ch. No. 537, Dwarka Court Complex,
Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Bulaki Ram** s/o Nathu Ram & **Smt. Prakash** w/o Bulaki Ram, both r/o Plot-10, FF, Gali No. 9 A-2 Blk, West Sant Nagar, Burari, Delhi-110084 **disowned their two son namely (1) Gourav Vijhani his wife Garima Vijhani & their children (2) Amit Vijhani his newly wedded wife Ruchi Gupta & their to be children**, from their all moveable immoveable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or transactions belongs to them in any manner.

G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, Delhi-110006

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल आनंद सिंह सुपुत्र श्री गनपत सिंह निवासी 11-A, विश्वकर्मा, पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 आज दिनांक 24.12.2019 को अपनी पुत्री निशा को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं, आज के बाद वह अपने सभी कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। उससे जुडी किसी भी बात व लेन देन के लिए मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Sd/-
Rajesh "N" Shukla Associates
(Delhi High Court)
Reg No. D-814/2005

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी मकान नं. 138, [illegible] दिल्ली–110073 ने अपनी पुत्री [illegible] को उसके नियंत्रण में न होने व अभद्र व्यवहार एवं दुर्व्यवहार करने के कारण अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दी है, और उससे समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। यदि सर्वजन व व्यक्ति मैं कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किल की उपरोक्त पुत्री से कोई भी किसी प्रकार का व्यवहार / आर्थिक लेन–देन करता है, तो वह व्यक्ति अपने प्रति स्वयं जिम्मेदार होगा इसके लिए मेरे मुवक्किल की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

SHYAMBIR SINGH-ADVOCATE
Ch.No. 638, Dwarka Courts,
Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

सूचना

मैं, राज कुमार दलाल, S/O श्री लक्ष्मण दलाल, R/O हाउस नंबर V-3-10, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक V, पार्कलैंड्स, सेक्टर–76, फरीदाबाद (HR), ने अपना नाम बदल कर राज दलाल कर दिया है भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बन्सीधर, पता सी–48/3, [illegible] रोड, दिल्ली, श्रीमति प्रमिला के साथ शादी के बाद से अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। मेरे मुवक्किल का निमिला देवी पत्नी स्व बन्सीधर एवं उनके पुत्र शिशु, सुरजमान, राजेश, पुत्री–सन्तोष, सुशीला, माया, सुनीता, रेखा एवम इनके परिवार और रिश्तेदारों आदि से किसी प्रकार का कानूनी हक से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो भी व्यक्ति इन लोगों से किसी तरह का लेन–देन, व्यवहार करता है तो उससे होने वाली क्षति का वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

R. K. SRIVASTAVA
Enrol. No. D-448-H/93 Advocate
Ch. No. 107, Western Wing,
Tis Hazari Court Delhi

PUBLIC NOTICE

Notice is given to the General Public at large that my Clients Shri Vijay Sharma S/o Madan lal R/o 2-A/63, Geeta Colony East Delhi 110031 through Its Next Friends as well as his father Shri Madan Lal S/o Shri Bihari lal That Vijay Sharma @ Rakesh Sharma S/o Madan lal are the same person and his date of birth is 24/11/81 and suffering the deceases i.e schizophrenia (60%) and dependent on me That in future I am representing him for all purpose. I am also born all the liability of Vijay Sharma @ Rakesh Sharma.

Tarun Kumar (Advocate)

PUBLIC NOTICE

This General Public is hereby informed that my client, **MRS. SATWANT KAUR** W/O LATE SH. SAROOP SINGH R/o F-71, MAGAL BAZAR ROAD, VISHNU GARDEN, NEW DELHI-110018 had debarred/disowned their **son GURVINDER SINGH & daughter-in-law JASBIR KAUR (SIMRAN)** from all their movable and immovable properties by my husband late Sh. Saroop Singh vide Public Notice Notified in News Paper Veer Arjun dated 23/06/2004.
Now my client **MRS. SATWANT KAUR** and their son GURVINDER SINGH & daughter-in-law JASBIR KAUR (SIMRAN) with the mutual consent of the both parties are ready to make good relation. Hence due to natural love and affection and good faith and representation made by said debarred persons, my client Mrs. Satwant Kaur cancelled the contents of Public Notice dated 23/06/2004, notified in Veer Arjun Newspaper Delhi.

Sd/-
SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrol. No D-152/88

PUBLIC NOTICE

My client Hari Chand S/o Lt. Jeet Ram and Chander Kanta W/o Sh. Hari Chand both R/o 48, Mohammad Pur Village, South West Delhi-110066 have severed all their relations from their Son Shri Ashish Nimesh@ Ashu was disowned & debarred him from their all movable and immovable properties, assets and bank balances and shall not be responoisble for the acts, deeds, ominous and things done by Shri Ashish Nimesh @ Ashu S/o Hari Chand in past, present or future.

Kunwar Pal, Advocate
Lawyer's Chambers Block, Saket Court Complex, New Delhi-110017

NOTICE

Notice is hereby given that certificates No. 34457, Distinctive Nos 7305021- 7305120........ for Rs. 8000/- equity shares Rs. 10/- each Nos. 100 in Aketa Limited. Folio No. P002388 Standing in the names of Pushpendra Kumar has/have been lost and that an application for the issue of duplicate certificates in respect thereof has been made to the Company to whom any objection should be made within 15 days from the date of this announcement. The Public are cautioned against dealing in any way with these shares.
Date day of
Place

I, Nirmal Kumar Singh S/o Ram Lagan Singh R/o H.no.-31, Bhawtarni Path near Aangan Bari School Manaitand Dhanbad Jharkhand-826001, have lost Original Allotment Letter and All Original Payments Receipts of Property CGU-214 CLF Capital Greens, Ph-2, Shivaji Marg Moti Nagar New Delhi-15 i.e. 1. CG2/CRB/[illegible] dt.25/06/2008, Rs.750000. 2. CG2/CRB/[illegible] [illegible] [illegible] Finder Contact: [illegible]

PUBLIC NOTICE

My client Dr. Amrita Manchanda W/o Late Dr. S.P. Manchanda R/o C-26, Ground Floor, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110052 have disowned / debarred her Younger son Jayant Manchanda and his wife Ritu Manchanda as they are not in under control of my client from all her moveable and immovable properties, anybody transacting / dealing with them in respect of anything in doing that in his/her own risk. My client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

Yajuvandra Singh Advocate
Ch. No. 625-A, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS & HOW TO CRACK IT

FREE SEMINAR

TILAK NAGAR

Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.

NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

व्यक्तिगत

अरविन्द S/o जय भगवान शेखपुरा खालसा, तहसील घरौंडा, जिला करनाल का हूं मैंने अपना नाम अरविन्द से बदलकर अरविन्द शर्मा किया है। 50160206

व्यक्तिगत

I, चंदना चौहान, पत्नी श्री महिपाल सिंह, निवासी फ्लैट नंबर 125D, डीडीए फ्लैट्स, मानसरोवर पार्क, दिल्ली-110032, ने अपना नाम बदल कर चंदना कर दिया है. 0050160271-01

व्यापार संबंधित

Paper Bags, Grocery Bags and shopping bags. (Manufacturer)
contact: 9204628029
for wholesale and Retail,
www.omcompanies.com
130014173

गृह मंत्रालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए निरोध केंद्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि कानून का पूरी तरह से पालन करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में देश के विभिन्न हिस्सों में निरोध केंद्र (डिटेंशन शिविर) स्थापित किए गए। निरोध केंद्र या शिविर ऐसे केंद्र होते हैं, जहां विदेशी नागरिकों को उनकी राष्ट्रीयता के सत्यापन होने तक और संबंधित सरकारों द्वारा यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने और ऐसे लोगों को अपने मूल देश भेजने तक रोका जाता है।

सूत्रों ने बताया कि इस तरह के निरोध केंद्र विभिन्न राज्यों में पिछले कुछ दशकों से अस्तित्व में थे और ऐसे केंद्रों की स्थापना का राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से कोई संबंध नहीं है। विदेशी नागरिक कानून, 1946 के तहत केंद्र को किसी विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाने और व्यक्ति को किसी खास स्थान पर निवास की आवश्यकता का आदेश जारी का अधिकार है। ऐसे निरोध केंद्र असम (गोलपारा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहट, डिब्रूगढ़ और सिलचर की जिला जेलों में), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सेवा सदन – लामपुर), महिला सदन (महिलाओं के लिए), पंजाब (केंद्रीय जेल, अमृतसर में), राजस्थान (अलवर में जेल परिसर में), पश्चिम बंगाल (सुधार गृह), गुजरात (भुज) और तमिलनाडु में हैं।

पासपोर्ट कानून, 1920 के तहत, केंद्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को भारत से हटने का निर्देश दे सकता है, जिसने बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के यहां प्रवेश किया हो। निरोध केंद्रों में अपने मूल देश भेजे जाने की प्रतीक्षा करने वाले ऐसे विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई, 1998 से जारी किए गए हैं।

www.readwhere.com

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**

अधिकतम–11.8 डि.से. सूर्योदय– 7:12

न्यूनतम– 5.4 डि.से. सूर्यास्त– 17:32

गृह मंत्री अमित शाह सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कर बोले

'तेरह कानून खत्म कर पक्की हुई दिल्ली की कॉलोनियां'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए केंद्र सरकार ने 13 कानून खत्म किए हैं। इन कानून को खत्म करने के बाद 1,739 कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख परिवारों के घरों के पक्का होने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर सीधे हमले बोले और कहा कि दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री दें जो दिल्ली के विकास में रोड़ा नहीं अटकाए। इसी दौरान शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर भ्रम फैलाकर और जनता को गुमराह कर राष्ट्रीय राजधानी की शांति भंग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत समय के बाद देखा है कि लोग सड़कों पर आए और शांति भंग की गई। शाह ने वाम झुकाव वाले बुद्धिजीवियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' को पराजित करने का समय आ गया है।

गृह मंत्री ने गुरुवार को पूर्वी दिल्ली में एक सांस्कृतिक हब का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के किए गए कार्यों का भी श्रेय ले रहे हैं और प्रचार के माध्यम से उन योजनाओं पर दिल्ली के नाम का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी योजनाएं बनाईं वे दिल्ली भी उनमें शामिल है। उन्होंने कहा कि कच्ची कालोनी में रहने वालों के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया। इसमें 13 कानून इसकी अड़चन बने थे। 40 लाख लोगों को कम दरों पर नियमित किया है। इसका भी श्रेय दिल्ली सरकार लेने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सिख दंगों के बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कभी न्याय नहीं मिला। मोदी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआइटी बनाई और इसके दोषियों को सजा दी। इसके

अलावा सिखविरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा भी जारी किया। उन्होंने सवाल किया आज जो भी प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते सालों में कोई काम नहीं किया है और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा इस मामले में 'आप' के नेताओं को खुली चर्चा की चुनौती भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान योजना भाजपा ने शुरू की है। पीएम आवास योजना का फायदा दिल्ली वालों को देने से आम आदमी पार्टी ने रोका है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली की सरकार ने आम जनता को नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। दिल्ली में पानी की स्थिति खराब हुई है और केंद्र सरकार की पानी जांच रिपोर्ट में यह साबित हुआ है। पूर्वी दिल्ली हब के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उपराज्यपाल अनिल बैजल, सांसद गौतम गंभीर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, डीडीए सदस्य ओपी शर्मा समेत डीडीए के अधिकारी व बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

'दिल्ली में अब तक हुई 30 हजार रजिस्ट्री'

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का काननू बन जाने के बाद अब तक 30 हजार लोगों ने अपने घरों की रजिस्ट्री कराई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी कॉलोनियों के नक्शे अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने 2017 में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की थी। उनमें कई परियोजना थीं जिसमें दिल्ली सरकार को हिस्सेदारी थी। इन पर दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना को भी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री योजना बनाने की कोशिश की। लेकिन अब शहरी विकास मंत्रालय ने खुद इस पर काम शुरू किया है। सरकार ने एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा था। इन मकान को बनाने की मंजूरी एक या दो दिन में मिल जाएगी। दिल्ली में डीडीए व डीयूसिब ने ऐसे पांच लाख से अधिक मकानों का सर्वेक्षण किया है। दिल्ली सरकार ने राजनीति करने के लिए यह कोशिश की। उन्होंने बताया कि सरकार ने मेट्रो की परियोजनाओं में भी रोड़ा अटकाया है।

पूर्वी दिल्ली हब सरकार के कार्यकाल में ही होगा पूरा

पूर्वी दिल्ली में इंटीग्रेटिड डेवलमेंट हब भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही पूरा किया जाएगा। इसकी नींव गुरुवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। यह केंद्र आनंद विहार स्टेशन के पास तैयार होगा। इसके अतिरिक्त इसके आसपास मेट्रो के स्टेशन भी हैं। इसे ग्रीन पद्धति के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस पूरे केंद्र को जोड़ने के लिए एक स्काईवॉक तैयार होगा। इसमें कार पार्किंग, स्कूल, औषधायल, पुस्तकलाय, सामुदायिक केंद्र, इंडोर गेम्स, क्रेच जैसी सुविधाएं होंगी। इस परियोजना की पहले चरण में 1393 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दो साल में क्षेत्र के स्कूलों को डिजिटल करेंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

हंसी के कुछ टॉनिक

ये फिल्म हंसी के कुछ टॉनिक पेश करती है जिनके इस्तेमाल से आप कुछ देर तक, शायद ज्यादा देर तक भी, हंस सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं फिल्म में ये हंसी कुछ जगहों पर ऐसी भी हो गई है जिसे अंग्रेजी में 'नॉन वेज जोक' कहते हैं। हालांकि इस जुमले को हिंदी के लोग भी बखुबी समझते हैं।

एक शख्स है वरुण बत्रा (अक्षय कुमार)। ये बंदा कार बेचने के शोरूम काम करता है। काम क्या करता है, बस समझ लीजिए कि नौकरी करता है क्योंकि कार बेचने के लिए उसके पास हुनर नहीं है। इसलिए ग्राहक को किसी भी मॉडल की कार खरीदने के लिए पटा नहीं पाता। उसकी पत्नी है दीप्ति बत्रा (करीना कपूर खान)। दीप्ति को एक पत्रकार बताया गया है लेकिन क्या और कहां लिखती पढ़ती हैं या किस न्यूज चैनल में काम करती हैं, ये कहीं दिखाया नहीं गया है। वरुण और दीप्ति की शादी को कई साल हो चुके हैं लेकिन वे निसंतान है। दीप्ति को मां बनने की बहुत इच्छा है। वरुण और दीप्ति पर रिश्तेदारों का भी दबाव है कि जल्द से पिता और मां बने। हमारे समाज में ऐसा होता भी है रिश्तेदार और आस-पड़ोस वाले किसी को निसंतान देखना नहीं चाहते।

खैर, दोनों अपने रिश्तेदारों के दबाव में मुंबई में डॉ जोशी (आदिल हुसैन) की क्लिनिक में जाते हैं, जहां शर्तिया बच्चा होने की गारंटी है। और ये गारंटी दी जाती है आइवीएएफ तकनीक से जिसमें औरत के एग यानी डिंब से पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म को

गुड न्यूज

रेटिंग– ★★½

निर्देशक– राज मेहता

कलाकार– अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी, आदिल हुसैन।

लैब को मिलाया जाता है और फिर उसे औरत के गर्भाशय में रख दिया जाता है ताकि वो गर्भवती हो सके। होता ये है कि अस्पताल में बत्रा नाम से एक और जोड़ी आती है। हनी बत्रा (दिलजीत दोसांझ) और मोनिका बत्रा (कियारा आडवाणी) की। अस्पताल के लैब की गलती से दीप्ति के एग के साथ हनी बत्रा का शुक्राणु मिल जाता है और मोनिका के एग के साथ वरुण बत्रा का। अस्पताल में हंगामा खड़ा हो जाता है। कौन किस बच्चे का पिता होगा, इस पर कनफ्यूजन होने लगता है। वरुण ज्यादा परेशान है और उसे लगता है कि दीप्ति को गर्भपात करा लेना चाहिए। दूसरा बत्रा युगल भी कई तरह की परेशानियों में है।

क्या होगा आगे चलकर–यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म हंसी भरपूर है लेकिन आगे चलकर मामला काफी भावनात्मक भी हो जाता है। फिल्म वैसे तो कल्पना के आधार पर बनी है लेकिन वास्तविक जीवन में भी ऐसी कई खबरें आती रहती हैं। आइवीएफ तकनीक को लेकर भी सामान्य जन को इस फिल्म के माध्यम से जानकारियां मिलती हैं। 'गुड न्यूज' शुरू से अंत तक रोचक बनी रहती है। अक्षय कुमार तो अपनी कई अन्य फिल्मों की तरह बड़े मजाकिया लगे हैं। दिलजीत दोसांझ भी। करीना और कियारा भी अपनी अपनी भूमिकाओं में प्रभावशाली हैं। फिल्म बहुत कम संसाधनों में बनी है।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के चार विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक) के नियमित नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के चार विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक) के नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से दिनांक–**27.12.2019** से दिनांक–**20.01.2020** संध्या– **05:00** बजे तक **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ** आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2. एतद संबंधी विज्ञापन संख्या–**09/2019** आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र एवं चालान आयोग की वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर दिनांक–**27.12.2019** से उपलब्ध रहेगा जिसे इच्छुक अर्हत्ताधारी अभ्यर्थी डाउनलोड कर उक्त विज्ञापन में निहित शर्तों एवं अनुदेशों के अनुरूप आवेदन पत्र आयोग को निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत समर्पित करेंगे।

3. यह संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,

PR 222849 (Jharkhand Public Service Commission)19-20#D झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिये ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है:-

1. एनआईटी: ईई/ सीडी 03/ एनआईटी 42/ 2019-20
हैड: 4225 प्लान इम्प्रूवमेंट ऑफ ससी/ सटी बस्तीज
कार्य का नाम: शादहरा विधानसभा क्षेत्र एसी-62 में महावीर ब्लॉक गली नं. 12, शाहदरा में शाहदरा चौपाल का विध्वंस और पुनःनिर्माण।
अनुमानित लागत 1,55,81,643.00 रु. धरोहर राशि: 3,11,633.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 270 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 02.01.2020 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_186331_1)
निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3
DIP/Shabdarth/1182/19-20

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)
[(विशिष्ट-IV)देखें नियम 8(1)]

शाखा कार्यालय: शालिमार गार्डन, साहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद-201005

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्ती परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

अचल सम्पत्ती का विवरण

क्र.	ऋणधारकों/गारंटरों के नाम	गिरवी रखी गई/चार्ज सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	**कर्जदार: मैसर्स अमान गारमेंट्स: मालिक: श्रीमती नूरजहाँ अंसारी,** पता: 6435, भूतल, गली नं.1, ब्लॉक नं.8, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005. इसके अलावा: 16/696, गणेश गली नं.3, टैंक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 **गारंटर: श्रीमती हसीना बेगम** 16/696, गणेश गली नं.3, टैंक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005	(1) श्रीमती हसीना बेगम पत्नी मोहम्मद रहमत अली के नाम पर प्लॉट/खसरा नं. 295, आवासीय कॉलोनी, सावित्री एन्क्लेव, गांव पानी सादकपुर, परगना–लोनी, जिला–गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। सम्पत्ति का एरिया–83.81 वर्ग मीटर, **जो घिरा है:** उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: प्लॉट डिगर मलिक। पूर्व: 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: प्लॉट डिगर मलिक। (2) श्रीमती नूर जहां अंसारी पत्नी मोहम्मद अंसारी के नाम पर प्लॉट नं. 64, खसरा नं. 295, आवासीय कॉलोनी, सावित्री एन्क्लेव, गांव पानी सादकपुर, परगना–लोनी, जिला–गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। सम्पत्ति का एरिया–41.80 वर्ग मीटर, **जो घिरा है (बिक्री विलेख के अनुसार):** उत्तर: प्लॉट डिगर मलिक, दक्षिण: 20 फीट चौड़ा रास्ता। पूर्व: 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: प्लॉट डिगर मलिक।	01.10.2019	21.12.2019	रु. 48,80,718/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।
2.	**कर्जदार: श्री राजीव पुत्र रणवीर सिंह,** पता: मकान नं.34, गाँव निरस्तौली, लोनी, गाजियाबाद–201001 इसके अलावा: 67, कैलाश पुरम, फेज–2, गाँव रहीसपुर, गाजियाबाद इसके अलावा: अपर भूतल, प्लॉट नं. एच–12, केशव कुन्ज, गाँव–रहीसपुर, गाजियाबाद–201001 **गारंटर: मनोज कुमार पुत्र मांगे राम,** डी–136, ब्लॉक–डी, गोविन्द विहार, गोविन्द पुरम, गाजियाबाद–201001	श्री राजीव पुत्र रणवीर सिंह के नाम पर आवासीय प्लॉट नं. एच–12, सम्पूर्ण अपर ग्राउंड फ्लोर (बिना छत अधिकार), केशव कुंज कॉलोनी, गांव–रहीसपुर, जिला–गाजियाबाद, उ0प्र0 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, सम्पत्ति का एरिया: 58.527 वर्ग मीटर **जो घिरा है (बिक्री विलेख के अनुसार):** उत्तर: भूतल पर 15 फीट रोड, दक्षिण: फ्लैट नं. जे–651 पूर्व: फ्लैट नं.जे–657 पश्चिम: भूतल पर 20 फीट रोड	01.10.2019	21.12.2019	रु. 18,06,330/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।
3.	**कर्जदार: श्रीमती ऊषा रानी त्यागी पत्नी श्री सुशील कुमार,** मकान नं.जे–155, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001 इसके अलावा: मकान नं.जे–262, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद। **गारंटर: राकेश कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह त्यागी,** एन–45, एचआईजी सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001	ऊषा रानी त्यागी पत्नी श्री सुशील कुमार के नाम पर आवासीय फ्लैट नं. जे–262 (बिना छत अधिकार), भूतल, सैक्टर–23, संजय नगर, जिला गाजियाबाद, उ0प्र0 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, सम्पत्ति का एरिया: 27.75 वर्ग मीटर **जो घिरा है (बिक्री विलेख के अनुसार):** उत्तर: प्लॉट नं.13 दक्षिण: प्लॉट नं.11 पूर्व: प्लॉट नं.8 पश्चिम: 18 फीट चौड़ा रास्ता	01.10.2019	21.12.2019	रु. 17,72,659/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 21.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	13.4 डि.से.	13.4 डि.से.	11.7 डि.से.	12.4 डि.से.
न्यूनतम	5.8 डि.से.	5.8 डि.से.	5.8 डि.से.	5.8 डि.से.

खबरों में शहर

स्वास्थ्यवर्धक खानपान के लिए मंत्री ने किया प्रेरित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे गली पकवान मेले में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ पकवानों को चखा और बनाने वालों की खूब तारीफ की। इस दौरान उन्होंने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का 'ईट राइट मेले' का भी उद्घाटन किया।

पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रकाशन नैतिकता, कदाचार का अध्ययन अनिवार्य किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

यूजीसी ने पीएचडी विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण पूर्व पाठ्यक्रम की खातिर प्रकाशन नैतिकता और कदाचार के दो नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन अनिवार्य बना दिया है। आयोग ने हाल ही में एक बैठक में यह फैसला किया। यह निर्णय अगले सत्र से लागू किया जाएगा। यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग ने अपनी हालिया बैठक में पंजीकरण पूर्व पाठ्यक्रम के लिए सभी पीएचडी विद्यार्थियों की खातिर प्रकाशन नैतिकता (पब्लिकेशन एथिक्स) और प्रकाशन कदाचार (पब्लिकेशन मिसकंडक्ट) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दो क्रेडिट (30 घंटे)पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है। इस संबंध में यूजीसी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया गया है। इस कोर्स का नाम द रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स (आरपीई) है। इस कोर्स में छह इकाई हैं। इनमें विज्ञान एवं नैतिकता के दर्शन की मूल बातें, अनुसंधान अखंडता और प्रकाशन नैतिकता शामिल हैं।

आयुष्मान योजना : गोल्डन कार्ड बनाने में गौतमबुद्ध नगर का 16वां स्थान

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 26 दिसंबर।

आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वेक्षण अभियान चलाकर असत्यापित परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक-आर्थिक जाति गतगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। असत्यापित परिवारों के सत्यापन का काम जनवरी महीने में पूरा होना है। वहीं, योजना के गोल्डन कार्ड बनाने में गौतम बुद्ध नगर 16वें स्थान पर है। योजना के तहत छह सरकारी अस्पतालों समेत 34 अस्पताल पंजीकृत हो चुके हैं।

अदालत ने शिवेंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

अदालत ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिवेंदर सिंह आठ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) में कोष की कथित अनियमितता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गुरुवार को उन्हें अतरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष पेश किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि हिरासत रख कर उनसे और अधिक पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 12 दिसंबर को तिहाड़ जेल से शिवेंदर को हिरासत में लिया था, जहां उन्हें दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज इस कथित घोटाले से जुड़े मामले में रखा गया था।

फर्जी नोट की तस्करी में पांच गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फर्जी नोट की तस्करी करने के आरोप में पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 54 लाख रुपए के फर्जी नोट और एक करोड़ से अधिक मूल्य के डॉलर जब्त किए हैं। तस्करों की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी तबरेज अहमद (38), सीलमपुर निवासी शोएब मलिक (28), मुस्तफाबाद निवासी दानिश मलिक (28), दरिया गंज निवासी उस्मान अंसारी (40) और बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश निवासी रघुराज सिंह (52) के तौर पर हुई है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : शीत महोत्सव, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे से।

प्रदर्शनी

आइफैक्स : नीधि, मोहित भारद्वाज, गणेश प्रसाद साहू, कृष्णा श्रेष्ठ, आदि की सामूहिक कला प्रदर्शनी 'अलख्या' का आयोजन, आइफैक्स गैलरी, रफी मार्ग, समय 11 बजे से, दो जनवरी 2020 तक।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुए आंदोलनों पर नागरिक संगठनों ने एकजुट होकर कहा

हिंसा की न्यायिक जांच हो

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसक हुए आंदोलन की नागरिक संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग की है। इस मांग में स्वरा भास्कर और मोहम्मद जीशान अयूब जैसे बॉलीवुड कलाकार भी शामिल हुए। गुरुवार को हर्ष मंदर, कविता कृष्णन, योगेंद्र यादव, नदीम खान आदि ने प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हमारे मूल अधिकारों जैसे जीने के अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, हमारे विरोध करने के अधिकार इत्यादि को हमसे छीन लिया है और पूरे राज्य को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला कर खड़ा किया है। उनकी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि वह इस मामले में संज्ञान लें। न्यायिक आयोग बने और जांच हो। ताकि सच्चाई आम जनता को पता चल सके। और जो भी दोषी हो उसे कानून के तहत सजा दी जा सके।

इस प्रेस कान्फ्रेंस के तुरंत बाद स्वरा भास्कर और जीशान अयूब ने भी प्रेस कान्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर अपना नजरिया रखा। उन्होंने कहा कि वे किसी तरह की गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते। अदालत से की गई अपील को अभिनेत्री स्वरा भास्कर और अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब ने प्रेस कान्फ्रेंस में पढ़कर सुनाया। अपील में कहा गया है कि वे किसी भी तरह की हिंसा या गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के नागरिकों के पवित्र अधिकार का राज्य में हनन किया गया है। पत्र पर फिल्मकारों अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, अपर्णा सेन और अलंकृता श्रीवास्तव के साथ-साथ अभिनेत्री कुब्रा सैत, मल्लिका दुआ, कोंकणा सेन शर्मा, अय्यूब और भास्कर के हस्ताक्षर हैं। इसमें अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, अदालतें उस पर स्वतः संज्ञान लें। साथ ही लोगों की मौत और संपत्ति को हुए नुकसान की न्यायिक जांच का भी अनुरोध किया गया है।

स्वरा भास्कर और जीशान अयूब ने कहा कि हम सभी लोग यहां अभिनेता के तौर पर सरकार से अपील करना चाहते हैं कि नागरिकता कानून के विरोध में जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसने हम सबको अंदर से हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान हर नागरिक को शांति से विरोध करने की इजाजत देता है। हिंसा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। लिहाजा हम अदालतों से आग्रह करते हैं कि उतर प्रदेश में जो कुछ हुआ है। उसका स्वतः संज्ञान लें।

बॉलीवुड कलाकार स्वरा भास्कर और जीशान अयूब ने भी प्रेस कान्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर अपना नजरिया रखा। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की हिंसा या गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते।

उत्तर प्रदेश भवन के बाहर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये प्रदर्शनकारी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को रिहा करने की भी मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को वहां तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह स्थान विरोध प्रदर्शन करने का नहीं है। यहां से चले जाएं। पर प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 213 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हालांकि, बाद में सभी को छोड़ दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में संगठनों और कार्यकर्ताओं पर कथित अलोकतांत्रिक हमले के खिलाफ उत्तर प्रदेश भवन के बाहर विरोध जताने के लिए कई लोग एकत्र हुए। उत्तर प्रदेश भवन के बाहर से बिना अनुमति प्रदर्शन करने को लेकर कुल 213 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस थाने और कनॉट प्लेस पुलिस थाने ले जाया गया है।

चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 40 लोगों को बचाया गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

राजधानी में पिछले कुछ दिनों से आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कृष्णा नगर के सिल्वर पार्क का है, जहां पर एक चार मंजिला इमारत के गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही इमारत में मौजूद 40 लोग छत पर चढ़ गए और मदद की गुहार लगाने लगे। इसी बीच दिल्ली दमकल भी मौके पर पहुंच गई और सभी 40 लोगों को सकुशल नीचे उतार लिया। इस इमारत में 21 परिवार के लोग रहते थे। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि ई-रिक्शा के चार्जिंग के दौरान शॉट-सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। फिलहाल पुलिस ने मामल दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है।

सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 100 नई बसें शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में गुरुवार को 100 नई संतरी बसों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट क्लस्टर बस डिपो से इन नई अल्ट्रा मॉर्डन बसों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन-से चार माह में और भी बसें बेड़े में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना पर भी काम रही है। ऐसी 1000 बसें लाई जानी हैं। इन बसों का भी संचालन क्लस्टर बस सेवा के तहत किया जाएगा।

ये नई बसें दिल्ली के 12 रूट पर चलाई जाएंगी। इन बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस समेत सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले चार माह में परिवहन बेड़े में अब 529 नई बसों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कई सालों से दिल्ली में बसों की जो कमी महसूस की जा रही थी। वह कमी अब पूर्ण हो जाएगी। अब लोगों को बस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि नई बसों में तीन सीसीटीवी कैमरे हैं। हर वैकल्पिक सीट पर एक पैनिक बटन हैं और अगर एक पैनिक बटन दबाया जाता है, तो एक बड़ा हूटर कमांड सेंटर को सक्रिय करता है। अब दिल्ली की हर बस में मार्शल हैं। दिल्ली को नियमित रूप से नई बसें मिलती रहेंगी। इन बसों में 37 सीट हैं और सीसीटीवी कैमरे भी बसों में लगाए गए हैं।

तो वहीं, डीटीसी) ने 385 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसी 1,000 बस लाने की तैयारी है।

नई बसों को लाने का फैसला देर से लिया : भाजपा

नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई बसों को हरी झंडी दिखाने का फैसला देर से लिया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में दिल्ली सरकार नई बसें खरीदने के सभी प्रयास भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण विफल रहे। दिल्ली सरकार की ओर से अपने कार्यकाल में डीटीसी और क्लस्टर बसों की संख्या न बढ़ाने का खामियाजा दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ा। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि 2015 में किए गए उनके वादे का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वे डीटीसी के बेड़े में 5000 नई बसें और मिनी क्लस्टर योजनाओं के तहत 5000 बसें लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री कैलाश गहलोत ने यह छुपाया कि 1000 सीएनजी लो-फ्लोर बसें खरीदने का काम भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जांच के कारण अधर में लटक गया है।

कारोबारी की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक कारोबारी की उसकी कार के अंदर संदिग्ध हालत में सिर पर गोली लगने से मौत हो गई। टाइल्स कारोबारी की पहचान सचिन अग्रवाल के तौर पर हुई है। घटना के वक्त कार में मौजूद दोस्त प्रसून का कहना है कि सचिन ने आत्महत्या की है। वहीं, परिजनों ने आत्महत्या की घटना से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर ली है और शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा का कहना है कि घटनास्थल से टीम ने सबूत जुटाए हैं। उसके आधार पर छानबीन की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही पुलिस प्रसून को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

कांग्रेस का आरोप, उपभोक्ताओं के बजाय बिजली वितरण कंपनियों को पहुंचाया फायदा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के आम उपभोक्ताओं के बजाय आप सरकार ने बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय लाभ पहुंचाया है। चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि महंगे दाम पर बिजली खरीदकर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग की। साथ ही वादा किया कि दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आती है तो उपभोक्ताओं को सबसिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में देंगे।

अगर सरकार उपभोक्ताओं के खाते में सीधे पैसा भेजती है तो 600 यूनिट तक बिल भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह वादा हमारे (चुनावी) घोषणापत्र का हिस्सा होगा। चोपड़ा ने यह भी कहा कि शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने बुनियादी ढांचा खड़ा किया होता तो अनाज मंडी जैसे हादसों को टाला जा सकता था। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पर नरम रुख अख्तियार करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं, पूर्व मंत्री हारुन युसूफ और मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोला।

'जनता को मुफ्त बिजली से राहत पर विरोधी दल परेशान क्यों?'

दिल्ली के सांसदों को चार हजार यूनिट मुफ्त मिलती है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार आपके चालकों को 200 यूनिट बिजली दे रही है तो इस पर हंगामा क्यों है। उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत मिलती है तो इस पर तकलीफ क्यों हो रही है। वे महिलापुर में एक जलाशय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं की डीटीसी की यात्रा फ्री हो गई। हमने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। अब ज्यादातर लोगों के घर बिजली का बिल जीरो आ रहा है। इसका विरोधी दलों ने बहुत विरोध किया। विरोधियों ने कहा कि बिजली फ्री क्यों कर रहे हैं। इस तरह से तो सारी सरकार लुट जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लूट लें, तो ठीक है और जनता को कुछ फायदा हो जाए, तो इन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेसी ने कहा कि उसकी सरकार आएगी, तो 600 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

चुनाव के लिए आयोग की तैयारियां तेज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयोग की तैयारियों की समीक्षा की। यह बैठक दिल्ली में शांति पूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए बुलाई गई थी। आयोग ने आदेश दिए हैं कि ऐप के माध्यम से वीवीपैट व ईवीएम के संबंध में आने वाली शिकायतों के मामले में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बैठक चुनाव आयोग के मुख्यालय पर हुई। आयोग के अधिकारी अशोक लवासा व सुशील चंद्रा समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

बैठक के दौरान दिल्ली चुनाव आयोग के सीईओ रणबीर सिंह ने बताया कि मतदाता को जागरूक करने लिए आयोग तरह-तरह के कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, जहां पर बीते चुनाव में मतदान फीसद काफी कम रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए आयोग ने मतदाताओं को घर से लाने व छोड़कर आने के लिए इंतजाम किए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों की ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है।

राजीव सातव बने दिल्ली चयन समिति के अध्यक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व सांसद राजीव सातव को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके अलावा पार्टी के सचिव वीरेंद्र राठौर व चल्ला वाम्सी चंद रेड्डी को समिति का सदस्य बनाया गया है।

दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और दिल्ली के प्रभारी सचिव कुलजीत नागरा भी इस समिति के सदस्य होंगे। कांग्रेस की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में इन नियुक्तियों की जानकारी दी गई।

चुनाव की तैयारी | लोकसभा चुनाव के खट्टे अनुभवों के मद्देनजर विधानसभा चुनाव में गठजोड़ की चर्चा से भी परहेज

केजरीवाल से हाथ मिलाने के खिलाफ है कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) से चुनावी गठबंधन की कवायद में अपनी भारी किरकिरी करा चुकी कांग्रेस को अब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली इस पार्टी से गठजोड़ की चर्चा तक से गुरेज है। पार्टी नेताओं का यह मानना है कि भाजपा को शिकस्त देने के नाम पर केजरीवाल से हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अकेले ही सूबे की सभी 70 सीटों पर 'आप' और भाजपा दोनों से दो-दो हाथ करेगी।

केजरीवाल की पार्टी से चुनावी गठजोड़ को लेकर जारी चर्चाओं को लेकर पूछने पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। सबकुछ तय हो जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 'आप' और कांग्रेस के बीच क्रमशः चार और तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस ट्वीट के बाद पार्टी ने एक प्रकार से ऐलान कर दिया कि गठबंधन हो गया लेकिन उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें तो हरियाणा में तीन सीटें चाहिए जिसमें से एक सीट वह अपनी पार्टी के लिए और दो सीटें जेजेपी के लिए मांग रहे थे।

लोकसभा चुनाव में केजरीवाल से हाथ मिलाने की पुरजोर पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता ने कहा कि यह तय था कि अगर कांग्रेस व 'आप' मिलकर चुनाव लड़ते तो दिल्ली की सभी सात सीटों पर जीत होती और पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा तगड़ा संदेश जाता लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि गठबंधन होने ही न पाए। कांग्रेस नेता ने खुलासा किया कि हरियाणा में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक सीट देने को तैयार हो गई थी लेकिन केजरीवाल का कहना था कि जब तक उनके सहयोगी जेजेपी के लिए भी दो सीटें नहीं छोड़ी जातीं, तब तक वे समझौता नहीं करेंगे।

सूत्रों ने कहा कि यह बात सही है कि कुछ पार्टी नेता इस विचार के पक्षधर हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में या झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने भाजपा को रोकने में कामयाबी हासिल की है, उसी प्रकार दिल्ली में भी उसे करना चाहिए लेकिन सच यही है कि कांग्रेस ऐसा कतई नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी को भी इस प्रकार के गठजोड़ में शायद ही कोई रुचि हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के ट्वीट के बावजूद आम आदमी पार्टी के पीछे हट जाने के बाद कांग्रेस व 'आप' के बीच किसी भी गठबंधन की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है।

- राहुल गांधी के ट्वीट के बावजूद, केजरीवाल ने बदल ली थी राह

पहली टाउन हॉल बैठक, 'आप' ने दिया अपना रिपोर्ट कार्ड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में पहली टाउन हॉल बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है। अब पांच साल के बाद तो यह बनता है कि मैं आप लोगों को आपके पैसे का हिसाब दूं। आज उसी का हिसाब रखने के लिए आपके सामने आया हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बात नहीं करती है, तो वह कभी देश को आगे बढ़ा ही नहीं सकती है। हम लोगों ने दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। उसके स्नातक तक का हमने पूरा इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल बहुत खराब हुआ करते थे।

www.readwhere.com

एल्गार परिषद मामला

डाटा के लिए अमेरिकी खुफिया एजंसी की मदद ली जाएगी

पुणे, 26 दिसंबर (भाषा)।

पुणे पुलिस ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार तेलुगू कवि वरवर राव के घर से जब्त की गई क्षतिग्रस्त हार्ड डिस्क से 'डेटा' को पुनः प्राप्त करने के लिए अमेरिका की घरेलू खुफिया एजंसी एफबीआइ से मदद लेने का फैसला किया है।

एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अगस्त 2018 में छापेमारी की कार्रवाई में राव के घर से हार्ड डिस्क जब्त की गई थी। इसे चार फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में भेजा गया था लेकिन कोई डेटा बरामद नहीं किया जा सका।

जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले इसे पुणे की एक प्रयोगशाला भेजा गया जहां डेटा को फिर से हासिल नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि इसके बाद हार्ड डिस्क को मुंबई के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय भेजा गया लेकिन विशेषज्ञ इसे नहीं खोल सके।

उन्होंने बताया कि इसी तरह के प्रयास गुजरात और हैदराबाद की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में किए गए लेकिन डेटा हासिल नहीं किया जा सका। अधिकारी ने कहा, 'संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) की प्रयोगशालाएं बहुत उन्नत हैं, इसलिए हार्ड डिस्क को वहां भेजने का फैसला किया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवश्यक मंजूरी दे दी है।'

पुणे पुलिस ने मामले में कथित तौर पर वामपंथी झुकाव रखने वाले नौ कार्यकर्ताओं वरवर राव, सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंसाल्वेस और सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया था।

पुणे पुलिस के अनुसार माओवादियों ने पुणे में 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एल्गार-परिषद सम्मेलन का समर्थन किया था और यहां दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद अगले दिन कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई थी।

पूर्व आइएएस की 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बताया कि गुजरात कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी संजय गुप्ता और उनके परिवार की 36 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। 1985 बैच के आइएएस गुप्ता ने 2002 में नौकरी छोड़ दी थी और बाद में नीसा ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से अपना आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटेलिटी) कारोबार शुरू किया था।

उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला आपराधिक कदाचार और 'मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अमदाबाद कंपनी लिमिटेड' (एमईजीए) के कोष के कथित गबन का है। गुप्ता अप्रैल 2011 से अगस्त 2013 के बीच एमईजीए के अध्यक्ष थे।

ईडी ने एक बयान में कहा, 'जांच के दौरान यह पाया गया कि गुप्ता ने एमईजीए का अध्यक्ष रहने के दौरान मनमाने तरीके से अपने करीबी सहयोगियों को विभिन्न आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया।' ईडी ने आरोप लगाया है कि गुप्ता ने इन कर्मचारियों को निदेशक बताते हुए उनके साथ कई दिखावटी कंपनियां खड़ी की और 2012-13 के दौरान बैंक खाते खोले।

241 करोड़ की कर चोरी का भंडाफोड़

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधिकारियों ने 1,600 करोड़ रुपए के फर्जी रसीदों के जरिए 241 करोड़ रुपए की कर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

इस गिरोह का भंडाफोड़ केंद्रीय जीएसटी के दक्षिणी दिल्ली आयुक्तालय की कर चोरी रोधी इकाई ने किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक स्थानीय अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।आरोपी ने विभिन्न व्यक्तियों के पहचानपत्रों का अनाधिकार इस्तेमाल कर कई कंपनियां बनाई थी। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक इस मामले में संलिप्त 120 से अधिक निकायों का पता चला है, जिन्होंने 1,600 करोड़ रुपए के फर्जी रसीदों के जरिए 241 करोड़ रुपए की कर चोरी की। बयान में कहा गया, जांच में एक संगठित गिरोह का पता चला है, जो जाली कंपनियां बनाकर, फर्जी रसीद जारी कर तथा फर्जी ई-वे बिल के जरिए कर क्रेडिट की सुविधा का दुरुपयोग करता था। जांचकर्ताओं के एक दल ने कई सप्ताह की मेहनत के बाद देशभर में कंपनियों के जाल का पता किया।

'सुनामी' की 15वीं बरसी पर दी गई श्रद्धांजलि

चेन्नई, 26 दिसंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र सहित दुनिया के कई भागों में 2004 में आई भीषण सुनामी लहरों के साथ काल की गाल में समा गए लोगों को गुरुवार को याद किया गया। हजारों लोगों की जान लेने वाली इस प्राकृतिक आपदा की 26 दिसंबर को 15वीं बरसी है। इंडोनेशिया में समुद्र के भीतर आए भीषण भूकंप के बाद 26 दिसंबर, 2004, रविवार की सुबह पूरे दक्षिण भारत में ऊंची-ऊंची जानलेवा लहरें उठी थीं।

तमिलनाडु के कुड्डालोर और नागपट्टिनम जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेंट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)

एसएएम शाखा, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

14.01.2020 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री

आम जनता और विशेषतः कर्जदारों/गारंटीकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा लिया गया है, को बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" और "जो भी वहां है"** आधार पर **14.01.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। बोली जमा करने की तिथि **13.01.2020 को सायं 5:00** बजे तक, ई-नीलामी की तिथि एवं समय: **14.01.2020 को प्रातः 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच** (प्रत्येक 5 मिनट असीमित विस्तार के साथ)। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया **www.centralbankofindia.co.in** या **www.bankeauctions.com** देखें।

अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि तथा बकाया राशि (रु. लाखों में)	कब्जा की तिथि एवं प्रकार	रु. लाखों में आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	एसएएम शाखा पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	श्री एस.के. भट्ट मोबाइल: 9999729532	शिवांश डायमण्ड प्रा. लि.	(1) डेसनेट 2047, 2027, 2028, 2029, खसरा नं.-479, गली नं. 39, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली, एरिया-1053 वर्ग फीट (2) भूतल 2047, 2027, 2028, 2029, खसरा नं.-479, गली नं. 39, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली, एरिया-1053 वर्ग फीट (मालिक-आशुतोष शर्मा)	06.01.2017 रु.4152.96 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	12.06.2017 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 528.20 लाख / ₹ 83.00 लाख / ₹ 5.00 लाख
2.	एसएएम शाखा पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	श्री एस.के. भट्ट मोबाइल: 9999729532	शिवांश डायमण्ड प्रा. लि.	प्रथम तल 2047, 2027, 2028, 2029, खसरा नं.-479, गली नं. 39, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली, एरिया-1053 वर्ग फीट (मालिक-मुंजन गर्ग)	06.01.2017 रु.4152.96 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	12.06.2017 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 269.13 लाख / ₹ 27.00 लाख / ₹ 2.00 लाख
3.	एसएएम शाखा पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	श्री एस.के. भट्ट मोबाइल: 9999729532	शिवांश डायमण्ड प्रा. लि.	तीसरा तल 2047, 2027, 2028, 2029, खसरा नं.-479, गली नं.39, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली, एरिया-1053 वर्ग फीट (मालिक-आशुतोष शर्मा)	06.01.2017 रु.4152.96 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	27.11.2017 (भौतिक कब्जा)	₹ 155.92 लाख / ₹ 16.00 लाख / ₹ 1.50 लाख

नियम व शर्तें:
1. ईएमडी राशि **13.01.2020 को सायं 5.00 बजे** से पूर्व निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी : आरटीजीएस इंटरनिडिएटरी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसएएम शाखा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 **खाता सं.3774823433 (आईएफएससी कोड CBIN0285132)**।
2. सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद कुमार-9813887931 (सपोर्ट ई-मेल आईडी **support@bankeauctions.com**) और सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए संबंधित शाखाओं/प्राधिकृत अधिकारी के नाम के आगे वर्णित टेलीफोन नम्बरों पर या **श्री एस. के. भट्ट, मोबाइल: 9999729532** एवं **श्री अनुराग जैन, मोबाइल: 8851676117**
3. नियम व शर्तों के पूर्ण ब्यौरे के लिए कृपया: **www.centralbankofindia.co.in** या **https://www.bankeauctions.com** देखें।

सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन का बिक्री सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि ये ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक: 27.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसएएम शाखा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Public Announcement pursuant to provisions of clauses (iv), (v), (vi) and (ix) of Annexure A to SEBI Circular No. SEBI/ HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016

JAYENDRA KANTILAL DOSHI

Address: 12, Lavaniya Soci, Vasana, Ahmedabad 380007 | **Phone:** 9825730846 | **Email:** patwainvestment@gmail.com

I, Jayendra Kantilal Doshi, am the promoter of Patwa Investment And Finance Limited ("PIAFL"). PIAFL was listed on the Ahmedabad Stock Exchange, which have been de-recognised by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Consequently, PIAFL has been moved to the Dissemination Board ("DB") of the National Stock Exchange ("NSE"). Patwa Investment And Finance Limited established in 1984 to carry on Business of investment company and to invest in and to hold, purchase, sell and deal with the stocks, shares, bonds, debenture, stock and other negotiable or transferable securities and also business of money lending, financing industrial enterprise, corporations.

Financial and Other Information of PIAFL

i) **Name of the Company:** Patwa Investment And Finance Limited (CIN: L65910GJ1984PLC007207)

ii) **Registered Office:** 410, Wall Street-I, Gujarat College Road, Ellisbridge, Ahmedabad - 380015.

iii) **Shareholding:** As on September, 2019, the paid up equity share capital of PIAFL was ₹ 4.00 Crore represented by 40,00,000 fully paid up equity shares of ₹ 10/- each. Out of the total 40,00,000 equity shares issued by PIAFL, 11,99,650 equity shares (29.99%) are held by the Promoters. I Jayendra Kantilal Doshi, the promoter hold 2,22,650 equity shares (5.57%). 28,00,350 equity shares (70.01%) are held by public shareholders. As on September 30, 2019, PIAFL had 726 Public shareholders folios.

iv) **Summary Financials:** As per its audited financial statements for the last three years, PIAFL's Net Worth and Net Profit/ (Loss) after tax was as follows :

(₹ in lacs)

Particulars	31.03.2019 (Audited) ₹	31.03.2018 (Audited) ₹	31.03.2017 (Audited) ₹
Paid up equity share capital	400	400	400
Net worth	373.15	393.24	389.48
Net Profit/(loss) After Tax	(20.09)	3.76	0.10

The SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016 ("SEBI Circular"), has stipulated the procedure and process for exit of Exclusively Listed Companies ("ELC") from the DB. As provided in Clause (i) of Annexure A of the SEBI Circular, The Patwa Investment And Finance Limited and its Promoters has appointed, on December 06, 2019, Navigant Corporate Advisors Limited, a Category I Merchant Banker as Independent Valuer from NSE's and BSE's panel of expert valuers. The said Independent Valuer, after taking into consideration the applicable valuation methodologies, has issued its Valuation Report dated December 20, 2019 and has determined the fair value of an equity share of PIAFL as ₹ 4.14 (Four Rupees and Fourteen Paisa) per share. The said Valuation Report will be available for inspection at the Registered Office of PIAFL during office hours for a period of ten days from the date of this Public Announcement.

We are therefore making Exit offer to acquire the share of the Company from the Public shareholders at a price of ₹ 4.14 (Four Rupees and Fourteen Paisa) per Equity Share ("Exit or offer Price"), the value determined by the Merchant Banker as Stated Above.

The offer letter along with consent cum Acceptance Form ("Consent Form") & Blank Transfer Deed is being dispatched to only those public shareholders whose names appear on the register of shareholders of the Company on 30th September, 2019 (Specified Date").

According to Offer, you may tender your shares at the Exit or offer price along with valid Share Transfer Deed to the address of authorize registrar and transfer agent, as mentioned below :

Bigshare Services Private Limited
Add: A-802, Samudra Complex, Off C G Road, Navrangpura, Near Girish Cold Drinks, Ahmedabad 380009 | **Tel:** +91 079 40024135
Contact Person: Ramesh Nair | **Email Id:** bssahd@bigshareonline.com

The exit offer shall open on Monday 06th January, 2020 and will close on Friday 10th January, 2020. During the tendering period Public shareholders can tender shares as Prescribed above.

The shareholders who could not tender their shares within the above mentioned Offer Period, have right to tender the shares up to a period of one year from the date of completion of offer at the same price of ₹ 4.14 (Four Rupees and Fourteen Paisa) per share as determined by Navigant Corporate Advisors Limited. Promoters of Patwa Investment And Finance Limited hereby declare that they undertake the liability to acquire such Shares

Sd/-
Jayendra Kantilal Doshi
Promoter

Place: Ahmedabad
Date: 26.12.2019

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

PRINCE®
PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A (2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu (**"RoC"**) on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 176 of the prospectus dated December 23, 2019 (**"Prospectus"**).

Registered Office: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India;
Corporate Office: 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220; **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com
Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 28,089,885 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 178 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 168 PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF 14,044,943 EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 14,044,942 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING 1,123,595 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, 7,865,168 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, 2,808,988 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND 2,247,191 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES 25.53% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION WAS REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE WAS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.**

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH.
THE OFFER PRICE IS ₹ 178 PER EQUITY SHARE.
THE OFFER PRICE IS 17.80 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

BID/OFFER PROGRAMME

BID/OFFER OPENED ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019

BID/OFFER CLOSED ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

NOTICE TO INVESTORS

With reference to the Prospectus filed with the RoC, Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**, and together with BSE the **"Stock Exchanges"**), and the notice to investors dated December 25, 2019 (**"First Notice"**), investors should note the following:

As indicated in the First Notice, the writ petition filed by Montana Developers Private Limited (**"Montana"**, and such writ petition, the **"Writ Petition"**) was scheduled for an urgent admission before the High Court of Judicature at Bombay (**"Bombay High Court"**) on December 26, 2019. The Bombay High Court vide its order dated December 26, 2019: (i) issued notices to SEBI, the Stock Exchanges, the Union of India through the MCA (the **"Other Respondents"**) and our Company (together with the Other Respondents, the **"Respondents"**) for the next date of hearing on January 3, 2020, of which notices for the Company and certain Other Respondents were waived by their respective advocates; and (ii) directed one of the Other Respondents to make the relevant filing by January 3, 2020.

This notice is being issued under Regulation 60(4) of the SEBI ICDR Regulations, 2009.

All capitalized terms used in this notice shall, unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed to such terms in the Prospectus and the First Notice.

For **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 26, 2019

Prince Pipes and Fittings Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares (**"Equity Shares"**) and has filed the red herring prospectus dated December 11, 2019 (**"RHP"**) and prospectus dated December 23, 2019 (**"Prospectus"**) with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu and issued notice dated December 25, 2019. The RHP is to be read with addendum-cum-corrigendum dated December 17, 2019 and addendum dated December 18, 2019. The RHP is available on the websites of the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com as well as on the websites of the book running lead managers, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. The Prospectus is available or will be made available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page 17 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the draft red herring prospectus filed with SEBI for any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

AMBA ENTERPRISES LIMITED

(Hereinafter referred to as "AEL" or the "Target Company") (CIN: L99999MH1992PLC067004)
Registered Office: Gala No. 430, 4th Floor, Blue Rose Industrial Estate Western Express Highway, Near Metro, Borivali East, Mumbai 400066, Maharashtra, India
Tel No.: 022-28624345, 9322266693, 9820785258; E-mail: ambalfd@gmail.com; Website: www.ambalfd.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 32,91,725 EQUITY SHARES FROM SHAREHOLDERS OF AEL BY MR. KETAN HARILAL MEHTA (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "ACQUIRER-1") AND MRS. CHHAYA KETAN MEHTA (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "ACQUIRER-2") PURSUANT TO REGULATION 3(1) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Post Offer Advertisement is being issued by Capital Square Advisors Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers, in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (**"SEBI (SAST) Regulations, 2011"**) in respect of open offer for the acquisition of 32,91,725 fully paid up equity Shares of Rs 5/- each representing 26.00% of total equity and voting share capital of the Target Company, at a price of Rs 11/- (Rupees Eleven Only) per equity share (the **"Offer Price"**) payable in cash (**"Offer"** or **"Open Offer"**). The Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with the Public Announcement dated October 01, 2019 (PA), the Detailed Public Statement, which was published on October 10, 2019, and Corrigendum and Offer Opening to the Detailed Public Statement which was published on December 05, 2019 in Financial Express (English) (All India Edition), Jansatta (Hindi) (All India Edition), and Mumbai Mitra (Marathi) (Mumbai Edition)

1. Name of the Target Company : Amba Enterprises Limited
2. Name of the Acquirers ~~and Person Acting in Concert (PAC)~~ : Mr. Ketan Harilal Mehta and Mrs. Chhaya Ketan Mehta
3. Name of Manager to the Offer : CapitalSquare Advisors Private Limited
4. Name of Registrar to the Offer : Purva Sharegistry (India) Private Limited
5. Offer details
   a) Date of Opening of the Offer : Friday, December 06, 2019
   b) Date of Closing of the Offer : Thursday, December 19, 2019
6. Date of Payment of Consideration : Thursday, December 26, 2019
7. Details of the Acquisition :

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actual	
7.1	Offer Price	Rs. 11/- per equity share		Rs. 11/- per equity share	
7.2	Aggregate number of shares tendered	32,91,725		14,25,226	
7.3	Aggregate number of shares accepted	32,91,725		14,25,226	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 3,62,08,975/-		Rs. 1,56,77,486/-	
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement (No. & %)	31,33,578 24.75%		31,33,578 24.75%	
7.6	Shares Acquired by way of Agreements • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	7,47,044 5.90%		7,47,044 5.90%	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	32,91,725 26.00%		14,25,226 11.26%	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	Not Applicable		Not Applicable	
7.9	Post Offer shareholding of Acquirers • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	71,72,347 56.65%		53,05,848 41.91%	
7.10	Pre and Post Offer shareholding of Public Shareholders • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	Pre Offer 95,26,902 75.25%	Post Offer 54,88,133 43.35	Pre Offer 95,26,902 75.25%	Post Offer 73,54,632 58.09

8. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.
9. Share Purchase Agreement transaction is yet to complete and is under process.
10. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited, and the registered office of the Target Company.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers:

CAPITALSQUARE™
Teaming together to create value

MANAGER TO THE OFFER:
CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED
208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (E), Mumbai 400093, Maharashtra, India.
Tel: +91-22-66849999; **Fax:** +91-22-66849998
Website: www.capitalsquare.in; **Email Id:** tanmoy.banerjee@capitalsquare.in
Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee
SEBI Registration No: INM000012219

Date: 26/12/2019
Place: Mumbai

On behalf of Acquirers
Sd/-
Ketan Harilal Mehta

www.readwhere.com

जनसत्ता

27 दिसंबर, 2019

भूजल का प्रबंधन

भूजल का गिरता स्तर और इसकी वजह से भविष्य में गहराने वाले संकट के मसले पर पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा होती रही है। इस चिंता के मद्देनजर न केवल भारत, बल्कि वैश्विक पैमाने पर सम्मेलनों और सेमिनारों में आने वाले दिनों में पानी के अभाव को लेकर चेतावनी दी जाती रही है। लेकिन चिंता जताना और संकट का हल निकालना अलग-अलग बातें हैं। यह सही है कि सरकार की ओर से जल संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो उनका मकसद चुनौतियों से पार पाना ही है। लेकिन यह भी सच है कि स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर अगर कोई पहलकदमी होती है, तभी इस संकट से पार पाने की उम्मीद की जा सकती है। इस लिहाज से देखें तो बुधवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री ने जिस 'अटल भूजल योजना' की शुरुआत की है, वह इस दिशा में एक अहम कदम है। अगर यह योजना अपने बुनियादी स्वरूप में जमीन पर उतरती है तो इससे फिलहाल सात राज्यों के आठ हजार तीन सौ पचास गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, भूजल के स्तर को लेकर चिंता लंबे समय जताई जाती रही है, लेकिन इस गहराती समस्या से निपटा कैसे जाए, इसकी दिशा अभी पूरी तरह साफ नहीं रही है। न केवल वर्षा से जल के संरक्षण के पहलू पर कोई बड़ी कार्ययोजना जमीन पर नहीं उतर पाई है, न अन्य स्रोतों की वास्तविक स्थिति का आकलन करके उसके समाधान को लेकर ठोस पहल हुई है। हालांकि 'अटल भूजल योजना' की शुरुआत के करीब छह महीने पहले भी प्रधानमंत्री ने पानी की एक-एक बूंद के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने पर जोर दिया था। यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भूजल के स्तर और समग्र पैमाने पर जल की उपलब्धता को लेकर सरकार फिक्रमंद जरूर है, लेकिन शायद एक समग्र योजना के साथ जमीनी अमल अभी बाकी है। समस्या यह है कि भारी पैमाने पर पानी का बेलगाम उपयोग और उसकी बर्बादी करने वाले बड़ी कंपनियों और संस्थानों पर शायद ही किसी की लगाम है। यह गांवों और शहरों में वर्षा जल के संरक्षण को लेकर सजगता नहीं होने और इससे पैदा होने वाली समस्या से इतर एक पहलू है, जिसमें भारी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है। सवाल है कि जल संरक्षण को लेकर जताई जाने वाली चिंता के मद्देनजर क्या इस समस्या के बुनियादी पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा?

देश में ऐसे तमाम इलाके हैं, जहां भूजल का स्तर चिंताजनक पैमाने तक नीचे चला गया है। इसका एक बड़ा असर फसलों के उत्पादन के चक्र पर पड़ा है, जिसमें सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। हाल के दिनों में यह राय सामने आई है कि सिंचाई के लिए जल के बढ़ते संकट के मद्देनजर कम पानी की जरूरत वाली वैकल्पिक फसलें उगाने और सूक्ष्म सिंचाई की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में पानी के संरक्षण के कई पारंपरिक तौर-तरीके चलन में रहे हैं। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से हम उन परंपराओं से दूर होते गए। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि अपने जीवन के स्रोत के रूप में पानी की अहमियत को गौण हो जाने दिया और नतीजतन आज भूजल के गिरते स्तर से लेकर प्यास तक एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। समाज और सरकार की जिम्मेदारी के बरक्स पानी आज लगभग पूरी तरह बाजार के हवाले हो गया है। इतना तय है कि संकट का सही आकलन और उसके मुताबिक हल निकालने की कोशिश समय रहते शुरू नहीं की गई तो समस्या बेहद सकती है।

सहूलियत की दर

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए करीब ढाई साल हो गए। अब तक इसमें थोड़े-थोड़े अंतराल पर कई बार बदलाव किए जा चुके हैं। इसके बावजूद करों में कटौती की मांग उठती रहती है। इसकी एक वजह यह है कि जीएसटी में करों के चार ढांचे रखे गए हैं- पांच, बारह, अठारह और अट्ठाई फीसद। जिन वस्तुओं पर कर की दर अट्ठाईस फीसद रखी गई है, उसे घटाने की मांग उठती रहती है। शुरुआत में कुछ वस्तुओं पर कर की दरें बहुत ऊंची थीं, जिन्हें लेकर विवाद हुआ और उन्हें घटाना पड़ा। उनमें कई वस्तुएं कृषि क्षेत्र से भी जुड़ी थीं। पिछले काफी दिनों से माना जा रहा है कि जीएसटी की दरें स्थिर हो चुकी हैं, पर इनमें कटौती की मांग रह-रह कर उठती रहती है। इसका असर यह भी पड़ा है कि जीएसटी का संग्रह अनुमानित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि राज्यों को केंद्र की तरफ से मिलने वाले करों के अंशदान का दबाव बना हुआ है। इस समस्या से पार पाने के लिए नीति आयोग के एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि जीएसटी के कर ढांचे में बार-बार बदलाव उचित नहीं है, अगर जरूरत पड़े, तो इस पर साल में एक बार विचार किया जाना चाहिए। फिर कर ढांचों के चार के बजाय दो ही व्यावहारिक स्तर होने चाहिए। इसका मकसद कर संग्रह को बढ़ाना होना चाहिए। देखना है, इस पर जीएसटी परिषद कहां तक अमल करती है।

जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार का इरादा था कि इससे राज्यों की तरफ से लगने वाले अनेक करों से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मुक्ति मिलेगी। इस तरह वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और कारोबार में सुगमता आएगी, मगर अभी तक जीएसटी की उलझनें समाप्त नहीं हुई हैं। इसे लागू करने के तीन साल बाद करों में स्थिरता आने और कारोबारियों, केंद्र और राज्य सरकारों को लाभ मिलने लगने की उम्मीद जताई गई थी। जिन भी देशों में जीएसटी लागू किया गया, वहां के यही अनुभव रहे कि इससे राज्यों को होने वाले नुकसान तीन साल के बाद बंद हो गए थे। मगर हमारे यहां तीन साल होने को आ रहे हैं और जीएसटी को लेकर उलझनें ही दूर नहीं हो पाई हैं। बार-बार करों में बदलाव से कारोबारियों की उलझनें तो बढ़ती ही हैं, राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में कर ढांचों को लेकर एक बार अंतिम रूप से विचार करने और उनके ढांचे चार के बजाय दो करने का सुझाव उचित ही है।

करों का निर्धारण वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग और विभिन्न आयवर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और जिनका उपभोक्ता वर्ग अधिक है, उन पर सामान्यतया कर की दरें कम रखी जाती हैं। कृषि और डेरी उत्पाद उन्हीं में आते हैं, जिनका उपभोग गरीब से लेकर अमीर वर्ग तक करता है। इसलिए इन पर कर की दर पांच फीसद रखा जाना उचित है। मगर जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग संपन्न और विशिष्ट वर्ग करता है या जिनके उत्पादन में विशेष तकनीक और प्रसंस्करण प्रविधि आदि का उपयोग होता है, जिन्हें विलासिता की वस्तुएं कहा जाता है, उन पर कर की दरें ऊंची रखी जाती हैं। इस तरह जब सभी परोक्ष कर समाहित होकर केंद्रीय कर में शामिल हो गए हैं, तब करों के चार ढांचे रखने का कोई तर्क नहीं है। इसे अंतिम रूप से व्यावहारिक बनाने की सलाह उचित है।

कल्पमेधा

जिस समय हम समझते हैं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय अक्सर हम दूसरे के नेतृत्व में होते हैं।

– बायरन

मुशर्रफ को सजा से हैरान सेना

ब्रह्मदीप अलूने

पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में न्यायिक सक्रियता से पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी आइएसआइ और राजनीतिक दलों के नेता बेचैन हैं। हाल में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल बाजवा की उम्र विवाद को लेकर भी सेना और अदालत आमने-सामने रही। इस मामले में न्यायाधीशों पर अशोभनीय टिप्पणी की गई। यहां तक कि उन्हें भारत और अमेरिका का एजेंट बताने की कोशिश भी हुई।

नीतियों, साधनों, कार्यों और दृष्टिकोण से सेना का सर्वसत्तावाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसे में न्यायपालिका की निष्पक्षता उसे स्वीकार नहीं हो सकती। सैन्य शासन की परंपराओं से अभिशप्त राष्ट्र पाकिस्तान में लोकतंत्र होने का दिखावा भले किया जाए, लेकिन पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा देने के अदालती फैसले के बाद विरोध से समूची व्यवस्था की कलाई खुल गई है। 14 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आए पाकिस्तान ने तीन दशक से ज्यादा का सैन्य शासन देखा और भोगा है। 1956 में देश का संविधान लागू हुआ और इसे इस्लामिक गणतंत्र का नाम दिया गया। लेकिन गणतांत्रिक परंपराओं के स्थापित होने से पहले ही 1958 में पाकिस्तान में सेना द्वारा शासन पर नियंत्रण कर लिया गया। मार्शल अय्यूब खान पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने और इस प्रकार पाकिस्तान के संसदीय लोकतंत्र को सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद से लगातार सेना पाकिस्तान की सुरक्षा और भारत विरोध के नाम पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। आक्रामक और कूटनीतिक तरीकों से सेना का अधिनायकवाद मजबूत होता रहा और यह अब पाकिस्तान की नियति बन गया है।

वैश्विक दबाव के आगे पाकिस्तान को लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन इतिहास में एक बार ही कोई निर्वाचित सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकी। इस समय देश में इमरान खान की सरकार है और वे सेना द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। इन परिस्थितियों में देश की न्यायपालिका के पूर्व सेना अधिकारी पर एक न्यायिक निर्णय से सत्ता और सेना परेशान और हैरान है। पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला तीन नवंबर 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल लगाने से जुड़ा था। उस समय मुशर्रफ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए देश में आपातकाल घोषित कर संविधान को निलंबित कर दिया था।

समान व्यवहार और समान दृष्टिकोण से ही न्यायिक व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय होती है। लेकिन पाकिस्तान में सेना का संकल्पित सर्वाधिकार न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायिक निर्णय की आजादी नहीं देता। ऐसे में सेना ने अपने पूर्व अधिकारी को अदालत द्वारा दी गई कड़ी सजा को चुनौती देने में देर नहीं की। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बाकायदा बयान जारी कर अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए इसे जल्दबाजी में सुनाया गया फैसला बताया। मुशर्रफ का बचाव करते हुए सेना की ओर से कहा गया कि पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफने मुल्क की चालीस साल तक सेवा की है। जिस व्यक्ति ने मुल्क के लिए जंग लड़ी, वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है। इस अदालती कार्यवाही में संविधान की भी उपेक्षा की गई है, यहां तक कि अदालत में मुशर्रफ को खुद का बचाव करने का भी मौका भी नहीं दिया गया, जो किसी भी नागरिक का बुनियादी अधिकार है। सेना की इस कड़ी टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सैन्य नियंत्रित है और वहां न्यायपालिका सैन्य अधिकारियों को न्याय की समान परिधि में रखने का साहस नहीं कर सकती। सेना ने न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करते हुए यह भी कह दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ किसी सूरत में गद्दार नहीं हो सकते।

पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में न्यायिक सक्रियता से पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी आइएसआइ और राजनीतिक दलों के नेता बेचैन हैं। हाल में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल बाजवा की उम्र विवाद को लेकर भी सेना और अदालत आमने-सामने रही। इस मामले में न्यायाधीशों पर अशोभनीय टिप्पणी की गई। यहां तक कि उन्हें भारत और अमेरिका का एजेंट बताने की कोशिश भी हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा ने अपनी टिप्पणी में इसे निराशाजनक बताते हुए कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसके पहले न्यायपालिका पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को भी कड़ी सजा सुना चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसी आइएसआइ और सेना को सियासत से अलग रहने का निर्देश दिया था। इसके बाद आइएसआइ पर तंज कसने के चलते हाईकोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को पद से हटा दिया गया था। इस घटना से यह साफ हो गया था कि आइएसआइ की पाकिस्तान में बहुत अहमियत है और उस पर अदालती फैसला लागू करना आसान काम नहीं है। किसी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका के फैसलों पर विपरीत टिप्पणी करने का साहस किसी सत्ताधारी प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता। लेकिन सेना के दबाव में इमरान खान ने मुशर्रफ पर दिए गए फैसले को अराजकता उत्पन्न करने वाला बताया, वहीं देश के अटार्नी जनरल ने ऊपरी अदालत में मुशर्रफ का बचाव करने की बात कही।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में मुद्दों पर आधारित विरोध के साथ ही आम सहमति भी जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में सेना अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए सत्ता के संवैधानिक संकट को पसंद करती है। राजनीतिक अस्थिरता से लोगों का भरोसा सेना पर बढ़ता है और यह स्थिति सेना के लिए मुफीद मानी जाती है। कुछ साल पहले तक सेना राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए राष्ट्रपति का सहारा लेती थी। जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे तानाशाहों ने इसका भरपूर दुरुपयोग किया। साल 2008 में जरदारी ने राष्ट्रपति बनते ही इस स्थिति को उलट दिया और देश की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव कर दिया। एक संवैधानिक संशोधन से राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ही सीमित कर दी गईं और पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को भंग करना मुश्किल बना दिया गया। ऐसे में सेना न्यायपालिका की ओर देखती है जिससे लोकतांत्रिक सरकारों को काबू किया जा सके। साल 2018 में नवाज शरीफ पर प्रतिबंध लगाते हुए न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के फैसले में कहा गया था कि भविष्य में किसी भी सांसद या लोक सेवक को अगर अनुच्छेद 62 के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, तो उन पर यह प्रतिबंध स्थायी होगा, ऐसे व्यक्ति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और न ही संसद के सदस्य बन सकेंगे। पाकिस्तान में सेना ऐसे न्यायिक निर्णयों को लोकतांत्रिक नेताओं पर लगाम लगाने के तौर पर पसंद करती है, लेकिन उसे अपने मामलों में कोई दखल स्वीकार नहीं है।

पाकिस्तान में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार सेना की इच्छाओं की अनदेखी करने का साहस नहीं जुटा पाती है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने ऐसा करने की कोशिश की थी और उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। बेनजीर भुट्टो की हत्या एक आतंकवादी हमले में साल 2007 में हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि सेना के उच्च अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर जानबूझ कर लापरवाही की। यहां तक कि बेनजीर बुट्टो की हत्या में भी सेना और आइएसआइ की साजिश की बातें सामने आती रही हैं। जनरल जिया उल हक ने न्याय को नजरअंदाज कर हत्या के एक मामले में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकवा दिया था। पाकिस्तान सेना ने इन तानाशाहों का हमेशा समर्थन किया है।

परवेज मुशर्रफ को लेकर पाकिस्तान के विपक्षी दल और न्यायपालिका सख्त हैं। ऐसे में इमरान खान यदि सेना के साथ मिलकर मुशर्रफ को बचाने का प्रयास करते है तो देश में विरोधी दलों के स्वर बुलंद हो सकते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान में सेना और न्यायपालिका आमने-सामने है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मुशर्रफ के पक्ष में बयान देकर और अदालती फैसले की आलोचना कर अदालत की अवमानना की है और यह स्थिति पाकिस्तान का आंतरिक, राजनीतिक और संवैधानिक संकट बढ़ा सकती है।

खुश रहने का हुनर

विलास जोशी

दुनिया मेरे आगे

यह देख कर अक्सर बहुत दुखी हो जाता हूं कि मेरा बच्चा खुश होना ही भूल गया है। ऐसी भी बात नहीं है कि उसने कभी मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने उसे न दिया हो। हम पति-पत्नी के सरकारी नौकरी में होने के नाते रोजमर्रा का एक रूटीन है। सुबह की पूरी तैयारी के बाद हम दोनों दफ्तर के लिए निकलते हैं और बेटा विद्यालय। शाम को हम जब थके-हारे लौटते हैं, तब बेटा हमें मोबाइल में उलझा नजर आता है। मोबाइल से दिल भर जाने के बाद वह टीवी देखने में मशगूल हो जाता है। हम उसे रोजाना समाझाते हैं कि बेटा, देर तक मोबाइल चलाते रहना और फिर आधी-आधी रात तक टीवी देखते रहना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसके बाद वह कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। देर रात तक टीवी देखते रहने के कारण वह सुबह देर से उठता है। वह उठाने की कई कोशिशों के बाद। एक दिन उसने मेरे सामने उसके स्कूल के शिक्षक का लिखा नोट दिया, जिसमें लिखा था- 'कृपया, आप मुझे जल्दी आकर मिलें। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं'।

अगले दिन मैं उसके विद्यालय गया। शिक्षक महोदय कक्षा में थे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कक्ष में बैठ कर इंतजार करने लगा। दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। एक समय हम भी बच्चे थे। उस समय हम खेल के मैदान में जाकर क्रिकेट या कबड्डी खेलते थे। साधारणतया उस समय सबके घरों में ही गरीबी का दौर था, इसलिए हम सिगरेट और माचिस की डिब्बी के छिब्बे इकट्ठा कर उनसे खेलते थे। छुट्टी के दिन गिल्ली-डंडा, छुपम-छुपाई, गुलाम-डंडा, भंवरे और सरिया-गडावनी आदि खेल खेलते थे। कितना मजा आता था खुले मैदान में खेलने में। तेज धूप रहती थी, फिर भी पसीने में नहाते हुए मैदान में दौड़ते रहते थे।

हमारे पास उन दिनों पैसे नहीं होते थे और खेलने के साधन भी पर्याप्त नहीं होते थे, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिल कर खेलते और खुश होते थे। जब तीन-चार महीने में एक बार हमारे माता-पिता कोई फिल्म देखने ले जाने की बात करते थे, तो सुबह से ही फिल्म देखने जाने का एक आकर्षण और जिज्ञासा हमारे मन में रहती थी। तब लगता था कि कब शाम होगी और हम फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाएंगे। उन दिनों फिल्म देखने जाना भी किसी बड़े उत्सव से कम आनंददायक नहीं था। हमारा बचपन कितने लड़कपन में गया, मालूम ही नहीं पड़ा। जबकि आज हम अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे है, फिर भी उनके चेहरे से खुशी नदारद है। कहां गईं उनकी खुशियां? कौन चुरा कर ले गया उनका लड़कपन?

अक्सर लगता है कि उनके प्रथम अपराधी हम पालकगण ही हैं। हमने ही खुद उन्हें मोबाइल और टीवी की दुनिया में धकेल दिया है। हमें दफ्तर जाना है तो बच्चों से कहा- 'बेटा, हम दफ्तर जा रहे हैं, तुम थोड़ी देर मोबाइल पर खेल खेलना, फिर थोड़ा टीवी देख लेना और उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाना'। या फिर कभी-कभी हमें किसी पार्टी में जाना हुआ तब कहते हैं कि बेटा, तुम पड़ोस के अपने दोस्त को अपने घर बुला लेना और टीवी पर कोई फिल्म देखते रहना।

बहरहाल, बेटे के स्कूल में बुलाने पर मैं उसके शिक्षक के कक्ष में गया तो उन्होंने मेरी जिज्ञासा को भांपते हुए कहा- 'आपका बच्चा प्रतिभाशाली है। वह विद्यालय की हर एक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है। लेकिन मैंने गौर किया है कि फिर भी उसके चेहरे पर जो खुशी नजर आनी चाहिए, वह मुझे नजर नहीं आती।' मैंने कहा कि आप उसके क्लास टीचर हैं, इसलिए मैं आपसे ही निवेदन करता हूं। हम क्या करें कि हमारे बच्चे के चेहरे पर सच्चे दिल से उसके खुश होने का नूर हमको भी नजर आ सके! इस पर वे बोले- 'आज के आपाधापी के दौर में किसी भी माता-पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए 'क्वालिटी समय' है ही नहीं। शायद इसीलिए हमारे बच्चे स्वाभाविक रूप से खुश होना भूल गए हैं। अगर आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो पहले हमें खुद यह कला सीखनी होगी। हम बच्चों को भारी-भरकम तोहफे देकर यह सोचते हैं कि शायद उसकी खुशी इसमें छिपी है। लेकिन यह एकदम गलत है, क्योंकि यह एक तरह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामान भर है। अगर आप अपने बच्चे के चेहरे पर सच्ची खुशी देखना चाहते हैं तो उन्हें अपना बेहतरीन समय दें। उनके साथ रह कर पिकनिक मनाएं, उन्हें किसी पार्क में ले जाएं। उनके साथ बच्चे बन कर मैदान में खेलें। तब जो खुशी उनको मिलेगी, वही आपके लिए भी खुशी के कीमती पल होंगे। आप जो उन्हें देंगे, वही वे भी आपको लौटाएंगे।'

बेटे के स्कूल से लौटते वक्त उस शिक्षक के सारे शब्द मेरे दिमाग में किसी चलचित्र की तरह चल रहे थे। जब हम आज अपना समय उन्हें देंगे, तभी उनका कल हमें खिलखिलाता नजर आएगा। लगभग यही या इससे मिलती-जुलती बातें ही सब बच्चों पर लागू होती हैं और यही उनके खुश रहने का असली हुनर है।

अधूरा इंसाफ

सऊदी अरब की एक अदालत ने पत्रकार जमाल खाशोग्गी की हत्या के मामले में पांच लोगों को सजा-ए-मौत सुनाई है और तीन लोगों को चौबीस साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। मगर जमाल खशोग्गी के परिवार वाले और तुर्की इस फैसले से खुश नहीं है। उनका मानना है कि सिर्फ हत्या करने वाले ही दोषी नहीं होते, बल्कि साजिश रचने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं और उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। खशोग्गी के परिवार और तुर्की के अधिकारियों का आरोप सीधे-सीधे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर था जिनके इशारे पर खशोग्गी की हत्या की गई। मगर मोहम्मद बिन सलमान इस आरोप से इनकार करते रहे हैं कि उनका खशोग्गी की मौत से कोई लेना-देना है। खशोग्गी को आखिरी बार दो अक्तूबर 2018 को तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर देखा गया था। तुर्की ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया था कि दूतावास में जमाल खशोग्गी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन उनकी लाश नहीं मिली।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस हत्या की कड़ी आलोचना हुई थी। यहां तक कि सऊदी अरब का करीबी दोस्त अमेरिका भी स्पष्ट कर चुका था कि जमाल खशोग्गी की हत्या प्रिंस सलमान के कहने पर हुई थी। दुनिया भर में इस हत्या की खबर सुर्खियों में रही थी और इसके लिए सऊदी सरकार की कड़ी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि पत्रकार खशोग्गी सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ लिख रहे थे और अरब की जनता के अधिकारों का हनन करने वाली सरकार को बेनकाब करना चाहते थे। प्रिंस सलमान को यह रास नहीं आया और फिर खशोग्गी की हत्या करवा दी गई। सितंबर में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सार्वजनिक तौर पर जमाल उस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उनके रहते ही हत्या को अंजाम दिया गया है। सवाल है कि न्यायिक प्रक्रिया में इन पहलुओं को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया?

● *ब्रजेश सैनी, बिंदकी, फतेहपुर, उप्र*

चकाचौंध के बरक्स

सरकार चांद पर जाने बुलेट ट्रेन चलाने और देश को डिजिटल बनाने की बात करती है। लेकिन विश्व के साथ कदम से कदम मिला कर चलने और तेजी से बढ़ते भारत में आज भी असंख्य बेघर लोग सड़क के किनारे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश हैं। सर्दी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है और उसके साथ-साथ सर्द हवाओं का रफ्तार भी तेज हो गया है। दिन में थोड़ी राहत होती है, लेकिन रात को और सुबह में लोगों का घरों में रहना मुहाल हो जाता है। लेकिन इसी हाड़ कंपाती ठंड में सैकड़ों-हजारों लोग राजधानी की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे वक्त काटते हैं। जिम्मेदार लोगों और सरकार को इस हकीकत को भी देखना चाहिए। दिल्ली का तो यह हाल है, जो देश की राजधानी है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा, यह अनुमान लगाया जा सकता है। रैन बसेरों की हालत दयनीय होती है। गरीबों को कंबल बांटने पर भी राजनीति हर साल देखने को मिलती है। यह स्थिति बुजुर्गों और कल के सूत्रधार बच्चों के लिए कहीं ज्यादा दुखदाई होती है। हर मौसम के विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए सभी को सरकार एक अपना छत दे। रैन बसेरों की संख्या और सुविधाएं बढ़ाए, ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। सरकार को इस पर जल्द ही कोई पहल करना चाहिए।

● *नीतीश कुमार पाठक, नई दिल्ली*

भिक्षा से मुक्ति

दो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना अपने जमीर को मारने जैसा लगता है। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि भिक्षावृत्ति के उदाहरण अक्सर सड़क किनारे, धार्मिक स्थलों के आसपास या चौक-चौराहों पर दिख जाते हैं। हमारे देश भारत में भीख मांगना और भीख देना पौराणिक कर्म माना जाता है। यहां भिक्षा लेना या मांगना बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इसे दान की श्रेणी में रखा जाता है।

वास्तव में गरीबी, भुखमरी और आय की असमानता के चलते देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे भोजन, कपड़ा और आवास जैसी आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पातीं। यह वर्ग कई बार मजबूर होकर भीख मांगने का विकल्प अपना लेता है। भारत में आय की असमानता और भुखमरी की कहानी तो विश्व स्तर की कुछ रिपोर्टों से ही जाहिर हो जाती है। लेकिन आज भिक्षावृत्ति ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। इस काम में साधु वेश से लेकर फटे-चिथड़े पहने लोग लगे हुए हैं। गली-गली घूम कर, मुहल्लों में जाकर कभी चमत्कार से भरा आशीर्वाद देने तो कभी भूख के नाम पर भिखारी कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं।

इसके निदान के लिए सबसे पहले ऐच्छिक भिक्षावृत्ति और मजबूरीवश अपनाई गई भिक्षावृत्ति में अंतर किया जाना आवश्यक है। साथ ही इन दोनों से निपटने के लिए अलग-अलग नीति बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया जा सकता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के आधार पर एक कानून बनाए जाने की जरूरत है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं से मजबूर लोगों तक मौलिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, गंभीर बीमारी से पीड़ित, अपंगता से ग्रसित और छोटी उम्र के बच्चे जो भिक्षावृत्ति को अपना चुके हैं, उनके पुनर्वास के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिये पुनर्वास गृहों की स्थापना करके उनमें आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उचित कदम उठा कर हम इस समस्या से निजात पाकर भारत को खुशहाल बना सकते हैं।

● *अनु मिश्रा, बिठुना, सिवान*

रोजगार की राह

आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या इस कदर भयावह हो चुकी है कि युवावर्ग ऊंची-ऊंची डिग्रियां हासिल करके रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। ये युवा उन तमाम लोगों के अलावा हैं, जिन्हें किसी न किसी बहाने नौकरी से निकाल दिया गया। आखिर किन वजहों से अचानक ही युवाओं को नौकरी मिलनी बंद हो गईं? बाजार में मंदी की जो हालत है, उसमें रोजगार की तबाही की वजह से लोगों की क्रय-शक्ति बेहद गिर चुकी है। नतीजतन, कंपनियां और नौकरी देने वाले संस्थान उत्पादन में भारी कटौती कर रहे हैं। सवाल है कि जब तक लोगों की आमदनी के साथ क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक अर्थव्यवस्था की हालत कैसे मजबूत होगी और कैसे युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान होगी?

● *कुमारी कविता, गोरखपुर, उप्र*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

नई फिल्म

- गुड न्यूज

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
दबंग 3	108 करोड़
मर्दानी 2	35.5 करोड़
पति पत्नी और वो	70.75 करोड़
पानीपत	28.9 करोड़

25 दिसंबर तक की कमाई

जन्मदिन

- सलमान खान 27 दिसंबर
- ट्विंकल खन्ना 29 दिसंबर
- पुलकित सम्राट 29 दिसंबर
- प्रभु 31 दिसंबर

अभ्यास

कोलकाता में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के प्रतिभागी 60वें ऑल बंगाल ब्रतचारी ट्रेनिंग कैंप में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए।

जब नृत्य में उतरे मूषक, मयूर, नंदी और सिंह

शशिप्रभा तिवारी

कमानी सभागार में शंकरानंद कलाक्षेत्र के कलाकारों ने अपने मोहक नृत्य से समां बांध दिया। नंदी और सिंह की कथा पर आधारित नृत्य रचना पेश की गई। इस नृत्य की संरचना कुचिपुडी व भरतनाट्यम नृत्यांगना आनंदा शंकर ने की थी। जबकि समारोह की परिकल्पना संस्कृतिविद् डॉ सोनल मानसिंह और श्री कामाख्या कलापीठ सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस ने की थी।

नृत्योत्सव

नृत्य प्रस्तुति का आरंभ गणपति स्तुति से हुआ। यह रचना 'वागार्थ प्रतिपद्म जगत पितरौ वंदे' व 'विकट सुंदरदंती मुखम' पर आधारित थी। नृत्यांगनाओं ने गणपति के गजेंद्र, विनायक, हस्तीमुख, लंबोदर रूपों को दर्शाया। मूषक के चलन को मोहक अंदाज में पेश किया। इस प्रस्तुति के दौरान छंद 'हर हर शिव विगलित गणपति वाहनम' व 'प्रथम शिव तनय गणपति तारणम' का प्रयोग भी मनोरम था। इसी के अगले अंश में कार्तिकेय के प्रसंग को पेश किया गया। मयूर के चलन को पेश करते हुए, यह प्रवेशदरू मनोरम प्रतीत हुआ। वहीं, रचना 'मुरूगन कुमारन मरदन वरदन' के माध्यम से कार्तिकेय के जीवन चरित को संक्षिप्त रूप से निरूपित किया गया।

अगले अंश में दो नृत्यांगनाओं ने नंदी और सिंह की कथा को व्याख्यायित किया। उनकी लयात्मक गतियां और विभिन्न ताल आवर्तनों में अंगों व पैरों की गतियां प्रभावकारी थीं। शिव के वाहन नंदी और देवी पार्वती के वाहन सिंह के प्रसंग का यह चित्रण था। इसके लिए रचना 'नंदी केशव महाभाग शिववाहनम' व 'अनन्य शक्ति भवानी मानिनी सिंहवाहिनी' का चयन किया गया था। इसके पश्चात शिव व पार्वती के विवाह और अन्य प्रसंगों को नृत्य में पेश किया गया। इसमें भगवान शिव के पुरुष रूप व उनके तांडव पक्ष को विवेचित किया गया। वहीं देवी पार्वती के प्रकृति रूप व उनके लास्य भाव को चित्रित किया गया। नृत्य में तांडव व लास्य का संतुलित समावेश सुंदर था।

शिव और पार्वती के जीवन चरित्र को दर्शाने के लिए रचना 'अस्य उत्तर दिशि हिमालय नाम नागाधिराज' का प्रयोग किया गया। नृत्य को कलाकारों ने विभिन्न जतीस के प्रयोग से लयात्मक बनाया। नायिका पार्वती के रूप में वरिष्ठ नृत्यांगना आनंदा शंकर का संचारी भाव काफी परिपक्व था। शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग को मुख आंगिक अभिनय के जरिए कलाकारों ने चित्रित किया। श्रृंगार रस का यह समागम मनोरम था। प्रसंगवश नंदी पर सवार शिव और सिंह पर सवार पार्वती को दर्शाना लासानी था। नृत्यांगना आनंदा शंकर कुचिपुडी और भरतनाट्यम नृत्य शैली में पारंगत हैं। वह नृत्य प्रस्तुति के साथ युवा कलाकारों को सिखाती हैं, यह बड़ी बात है। आनंदा शंकर परंपरागत विषयों को लेकर नृत्य रचना करती रही हैं।

सभी मर्द खराब नहीं होते : दीपिका

आरती सक्सेना

बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी ताजा फिल्म 'छपाक' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में दीपिका तेजाब हमले में बची महिला का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 10 जनवरी को रिलीज होने वाली 'छपाक' के निर्माताओं में से एक दीपिका इस फिल्म के बारे में बता रही हैं।

आमने सामने

सवाल : 'छपाक' साइन करने को लेकर आपकी क्या सोच थी?

● मैंने यह फिल्म इसलिए की ताकि इसके जरिए जो मैंने महसूस किया, वह दर्शक भी महसूस करें। 'छपाक' एक खूबसूरत लड़की का बदसूरती की तरफ ढकेला हुआ दर्दनाक सफर है। पहली बार जब मैं फिल्म के किरदार के सिलसिले में लक्ष्मी से मिली जिसके साथ यह दुर्घटना हुई है, उस वक्त मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी कि क्या बताऊं। मैं इतनी नर्वस अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जब मैंने लक्ष्मी को देखा तो मैं भावुक हो गई, लेकिन लक्ष्मी को सांत्वना नहीं बल्कि जिंदगी जीने का हक चाहिए था। बुरे हालातों में भी वह एक आम लड़की की तरह मुस्कुराना चाहती थी, हंसना चाहती थी। मेघना गुलजार ने मुझे इस कहानी के दो ही सीन सुनाए, जिन्हें सुनकर मैंने फिल्म के लिए हां कर दी। मुझे अपने करिअर में इतना असरदार किरदार निभाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इस भूमिका के लिए मैं मेघना गुलजार की शुक्रगुजार हूं।

सवाल : इस फिल्म के निर्माण से भी जुड़ी है। बतौर निर्देशिका मेघना गुलजार के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, ?

● 'छपाक' में निर्माता बनने के बाद ही मैंने जाना कि फिल्म में अभिनय के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। बतौर निर्माता भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मेघना गुलजार के साथ काम करना अपने आप में बड़ी बात है। वह जब कोई कहानी लिखती हैं तो उस भावना को पकड़ कर चलती हैं। यही वजह है कि मेघना अपनी फिल्म के साथ न्याय कर पाती है। उनके साथ काम करने के दौरान मैंने यह महसूस किया कि मैं सही हाथों में हूं।

सवाल : 'छपाक' में मर्दों का एक बुरा चेहरा और एक अच्छा चेहरा दिखाया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?

● हां यह सही है। असल जिंदगी में भी एक शख्स था लक्ष्मी की जिंदगी में। अमोल अर्थात आलोक दीक्षित नामक व्यक्ति ने लक्ष्मी का हर हाल में साथ दिया। अमोल के जरिए हमने समाज के अच्छे मर्दों को भी पेश किया है और ये सच्चाई दर्शाने की कोशिश की है कि सभी मर्द खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं।

सवाल : 'छपाक' एक इमोशनल फिल्म है, तो हो सकता है यह फिल्म दर्शकों के दिल को छू जाए लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा सके... क्या इस बारे में भी सोचा है?

● 'छपाक' की सफलता को लेकर मेरी सोच बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं है बल्कि मेरे लिए यह फिल्म तभी हिट है जब हम लोगों की मानसिकता को बदल सकें। मेरे लिए 'छपाक' उन फिल्मों में से एक है जिसे मैं दस साल बाद भी देखूं तो याद रखूं। मेरे लिए यह यादगार फिल्म है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाउगी।

सवाल : लक्ष्मी के किरदार को जीना आपके लिए कितना मुश्किल था...

● सच कहूं तो जब मैंने लुक टेस्ट के लिए पहली बार लक्ष्मी के किरदार का मेकअप किया, तो मुझे पांच घंटे लगे थे। पांच घंटे के मेकअप के बाद जब मैंने अपने आपको आइने में देखा तो मैं पूरी तरह ओके थी, मुझे उस किरदार से कोई डर नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने किरदार में पूरी तरह उतर चुकी थी। हालांकि 'छपाक' की शूटिंग के दौरान मालती का किरदार मुझे अंदर तक झिझोड़ कर रख देता था। लिहाजा इस फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन मैंने अपना वो मास्क जला दिया था ताकि मैं इस किरदार को भूल सकूं और इससे बाहर आ सकूं।

सवाल : 'छपाक' की कहानी को आप निजी तौर पर किस तरह लेती हैं?

● 'छपाक' की कहानी एक ऐसे जख्म की कहानी है, जिसने सिर्फ एक औरत के शरीर को ही नहीं आत्मा को भी झिझोड़ दिया। वो घाव उसे किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि समाज के अपराधी, मुजरिम, की वजह से मिले। मेरे हिसाब से ऐसे विषयों पर फिल्म बनाना बेहद जरूरी हो गया है ताकि हम किसी का दर्द बता कर समाज की आंखें खोल सकें।

सवाल : आपकी शादी को एक साल हो गए, रणवीर सिंह के साथ आप कितनी खुश हैं?

● बहुत खुश हूं, एक बेहतरीन इंसान के साथ शादी करके भला कौन खुश नहीं होगा। रणवीर जिस तरह अपने काम के प्रति ईमानदार है, ठीक उसी तरह अपनी निजी जिंदगी में भी वह ईमानदार हैं। उन्होंने हमेश मुझे प्रोत्साहित किया है। कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हम दोनों ही अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहे हैं, इसलिए एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं।

खबर कोना

सावित्रीबाई के किरदार से अनजान थीं काजोल

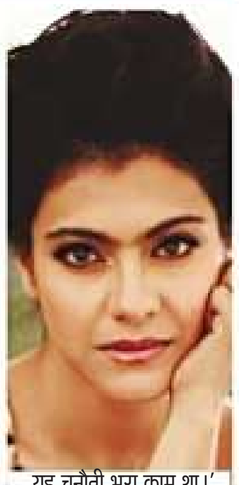

फिल्म 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' के रिलीज का दर्शकों को इंतजार है। अजय देवगन फिल्म में तानाजी और काजोल तानाजी की पत्नी सावित्रीबाई मालुसरे का किरदार निभाएंगी। काजोल फिल्म में अपने रोल को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें तान्हा जी की पत्नी सावित्रीबाई के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। काजोल ने बताया, 'इस किरदार के लिए संजीदा इसलिए होना पड़ा क्योंकि मेरे पास पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं सावित्रीबाई किरदार की तुलना किसी और से नहीं कर पाई। एक अभिनेत्री के रूप में मेरे ऊपर जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे खुद को यकीन दिलाना था कि मैं जो कर रही हूं वह सही है। यह चुनौती भरा काम था।' उन्होंने किरदार पर शोध करने के लिए निर्देशक और परिधान डिजाइनर नचिकेत बरवे को श्रेय देते हुए कहा, 'दोनों ने शोध किया और सभी तथ्यों की पुष्टि की। मैंने उनके कहे अनुसार काम किया। जब आप वह साड़ी पहनेंगी तो आपकी भावभंगिमा अपने आप बदल जाएगी।' काजोल ने कहा, 'फिल्म में सभी का किरदार स्पष्ट है। फिल्म दस जनवरी को सिनेमाघरों में प्रर्दिशत होगी।

'बंटी और बबली 2' में होगी रानी और सैफ की जोड़ी

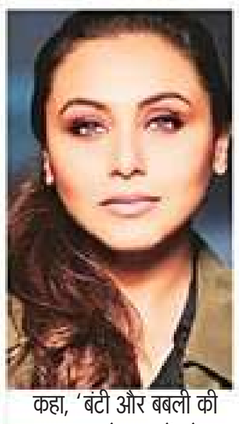

रानी मुखर्जी और सैफ अली खान 11 सालों बाद 'बंटी और बबली 2' में एक साथ काम करने जा रहे हैं। रानी 2005 में आई फिल्म 'बंटी और बबली' में अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई थी। सैफ इस फिल्म में अभिषेक की जगह बंटी के किरदार में होंगे। इस फिल्म में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और नई अभिनेत्री शारवरी भी नजर आएंगी। निर्माताओं के अनुसार इस सीक्वल में बंटी और बबली की चोर जोड़ी दस साल के बाद दो अवतारों में दिखेंगी। पहली सिद्धार्थ और शारवरी और दूसरी रानी और सैफ। रानी ने कहा, 'बंटी और बबली की सफलता के बाद मैं और अभिषेक इस फिल्म के सीक्वल के साथ वापस आना चाहते थे लेकिन वैसा हो नहीं पाया।' इस मौके पर सैफ ने कहा, 'रानी के साथ काम करना मेरे लिए हमेशा मजेदार रहा है। हम फिर से एक साथ काम करने को तैयार हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हमारी वापसी फिर से यशराज फिल्म्स के साथ हो रही है।'

सिनेमा में 'नायकवाद' कभी खत्म नहीं होगा : सलमान

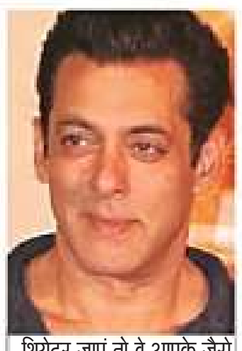

'दबंग 3' की सफलता का मजा ले रहे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने कहा है कि कभी-कभी ऐसा समय आता है जब फिल्म निर्माता हीरो को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दिखा देते हैं लेकिन उनका मानना है कि वह खुशकिस्मत हैं कि उनकी फिल्मों में सही संतुलन बना रहता है। 'दबंग 3' हाल ही में रिलीज हुई और इसने पहले ही सप्ताहांत को 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। सलमान ने कहा कि 'नायकवाद' कभी खत्म नहीं होगा। सलमान ने एक साक्षात्कार में कहा, 'मुझे लगता है कि प्रशंसक जब थियेटर जाएं तो वे आपके जैसे होना चाहें और खुश होकर बाहर आएं। फिल्में करने का यह मेरा फंडा है। मुझे नहीं लगता कि नायकवाद कभी मरने वाला है।' 'यह कभी नहीं मरेगा। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि हीरो को बहुत ज्यादा बढ़-चढ़ कर दिखाया जा रहा है तो आप इसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, सही संतुलन लाना बहुत मुश्किल है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं ऐसा कर पाता हूं।'

आमिर खान के लिए ऑडिशन देना स्वीकार किया : करीना

करीना कपूर खान को 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म के लिए ऑडिशन देना पड़ा है। इस बारे में करीना ने कहा कि उन्होंने केवल आमिर खान के कारण स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना स्वीकार किया। 'लाल सिंह चड्ढा' 1994 में आई टॉम हैंक्स की फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' की आधिकारिक रीमेक है। इसका निर्देशन अद्वैत चंदन कर रहे हैं और आमिर खान इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। करीना ने कहा, 'लाल सिंह चड्ढा संभवत: मेरे करिअर की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा। मैं आमिर (खान) के अलावा किसी के लिए या किसी भी फिल्म के लिए ऐसा नहीं करती।' उन्होंने कहा कि यह आमिर के कारण विश्वसनीय है। संभवत: उन्हें भारत में सिनेमा जगत की सबसे अच्छी समझ है। उस पीढ़ी के ऐसे जोशीले और समर्पित अदाकार के साथ फिल्म में काम करना उनके लिए गर्व की बात है।

विजय अरोड़ा (27 दिसंबर, 1944- 2 फरवरी, 2007)

सोने के पदक से सोने की लंका तक

गणेशनंदन तिवारी

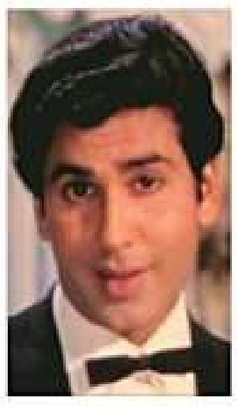

हमारी याद आएगी

पुणे के फिल्म और टीवी संस्थान ने भारतीय सिनेमा को कई महत्वपूर्ण कलाकार और तकनीशियन दिए। यहां से अभिनेता डैनी निकले, तो डेविड धवन भी। सतीश कौशिक निकले तो संजय लीला भंसाली भी। संस्थान के शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में छाए, तो जया भादुड़ी का नाम पूछते पूछते हृषिकेश मुखर्जी पुणे संस्थान जा पहुंचे थे। वजह यह थी कि सिनेमा की दुनिया को जैसे प्रशिक्षित कलाकार और तकनीशियन चाहिए थे, वे इस संस्थान ने तैयार करके दिए। इसी संस्थान से अभिनय में गोल्ड मैडल लेकर निकले थे अभिनेता विजय अरोड़ा, जिनकी आज 75वीं जयंती है। पहली मसाला फिल्म 'यादों की बरात' और धारावाहिक 'रामायण' में दहाड़ते इंद्रजीत यानी मेघनाथ की भूमिका ने अरोड़ा को घर घर पहुंचा दिया था।

फिल्मों की दुनिया में लगातार मेहनत करने के बावजूद कोई हुनरमंद पहचान बनाने को तरस जाता है, तो कोई बिना किसी खास मेहनत के रातोरात करोड़ों दिलों की धड़कनें बन जाता है। 1973 में विजय अरोड़ा जब जीनत अमान के साथ 'यादों की बरात' में 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को...' गाते नजर आए तो लगा था कि वह जल्दी ही हिट हीरो बन जाएंगे। फिल्म सुपर हिट थी इसलिए चार फिल्में कर चुके विजय अरोड़ा को राजेश खन्ना की टक्कर का कलाकार माना जा रहा था। फिल्मजगत में सफलता के अलावा किसी की पूछ नहीं होती। तो हुआ यूं कि कुछ फिल्मों ने औसत कारोबार किया और देखते ही देखते अरोड़ा मल्टीस्टारर फिल्मों की छोटी-मोटी भूमिकाओं में समेट दिए गए।

पुणे फिल्म संस्थान से अभिनय में सोने का पदक लेकर बाहर निकले विजय अरोड़ा की पहली फिल्म थी 'जरूरत', जिसे बनाया था 'चेतना' (1970) जैसी बोल्ड फिल्म बनाने वाले निर्देशक बीआर इशारा ने। इसमें एक नई लड़की सायरा अली को लिया गया था, जिसे बाद में रीना राय के नाम से जाना गया। इशारा ने पुणे फिल्म संस्थान से डैनी को लिया और सायरा अली (रीना राय) को हीरोइन बना 'नई दुनिया नए लोग' शुरू की थी, जो लटक गई। तब इशारा ने रीना राय को विजय अरोड़ा की हीरोइन बनाकर झटपट नई फिल्म 'जरूरत' शुरू कर दी। 'नई दुनिया नए लोग' दो साल बाद रिलीज हुई।

अरोड़ा को जिस 'यादों की बरात' से सफलता मिली थी, उसे हिंदी फिल्मों की पहली मसाला फिल्म माना जाता है। 1973 में अमिताभ की 'जंजीर' से एक्शन फिल्मों और धर्मेंद्र की 'यादों की बरात' से मसाला फिल्मों का दौर साथ-साथ शुरू हुआ था। इसके बाद अरोड़ा को राजेश खन्ना की 'रोटी' और ऋषि कपूर की 'सरगम', जैसी कई सफल फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करके संतोष करना पड़ा। कहां जीनत अमान के हीरो और कहां छिटपुट भूमिकाओं में एक-दो सीन। जिस विजय अरोड़ा का भविष्य उज्ज्वल नजर आ रहा था, वह गुमनामी में जा रहे थे।

लेकिन फिल्मों की दुनिया में किसकी किस्मत कब बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। पुणे फिल्म संस्थान से अभिनय में गोल्ड मैडल लेकर निकले सुभाष घई हीरो के रूप में नहीं निर्देशक के रूप में खूब चले। फिल्म संस्थान से अरोड़ा को जो सोने का तमगा मिला था, उसकी चमक फीकी पड़ती जा रही थी। 'यादों की बरात' आए 16 साल गुजर गए। लोग अरोड़ा को भूलने लगे थे। अचानक वक्त बदला। पुणे संस्थान से सोने का पदक लेकर निकले अरोड़ा सीधे सोने की लंका में पहुंच गए। 1989 में रामानंद सागर ने टीवी धारावाहिक 'रामायण' बनाया तो उसमें अरोड़ा को मेघनाद की भूमिका मिली। भूमिका थी तो छोटी, मगर जिस तेवर के साथ अरोड़ा ने उसने निभाया, उसने वापस उन्हें चर्चा में ला दिया। 'रामायण' से अरोड़ा भी घर घर पहुंचे, फिर भुला दिए गए। दस साल बाद 1999 में वह संजय दत्त की हिट फिल्म 'वास्तव' से चर्चा में आए थे, जिसमें वह एक्टर नहीं कैमरामैन थे।

हजारों लोगों ने देखा दशक का अंतिम सूर्यग्रहण

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

दशक का अंतिम सूर्य ग्रहण गुरुवार को पड़ा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से वलयाकृति में सूर्य का एक हिस्सा दिखाई दिया जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। देशभर में हजारों लोगों ने इस खगोलीय घटना को देखा, हालांकि उत्तर भारत में बादल छाए रहने की वजह से अधिकतर लोग ग्रहण नहीं देख पाए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आया और तीनों एक सीध में आ गए, देशभर में छतों, समुद्र तटों और अन्य खुले स्थानों पर एवं तारामंडलों में ग्रहण का नजारा देखने के लिए लोग जमा होने लगे।

देश के कई हिस्सों, खासकर उत्तर भारत में बादल और कोहरा छाए रहने की वजह से लोग ग्रहण का नजारा नहीं देख सके। केरल के कोझिकोड समेत दक्षिण भारत में लोगों ने साफ आसमान में इस ब्रह्मांडीय घटना का दीदार किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार सुबह आठ बजे ग्रहण का आंशिक चरण शुरू हुआ और सुबह 9:06 बजे वलयाकार चरण में यह ग्रहण पहुंचा। वलयाकार चरण दोपहर 12:29 बजे समाप्त हुआ, वहीं आंशिक चरण दोपहर 1:36 बजे समाप्त हुआ।

वलयाकृति में सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता और सूर्य को चंद्रमा के चारों ओर 'रिंग ऑफ फायर' के रूप में देखा जा सकता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि आंशिक ग्रहण के सर्वोच्च स्तर पर सूर्य ग्रहण बंगलुरु में करीब 90 फीसद रहेगा, वहीं चेन्नई में 85 फीसद, मुंबई में 79, कोलकाता में 45, दिल्ली में 45, पटना में 42, गुवाहाटी में 33, पोर्ट ब्लेयर में 70 और सिलचर में 35 फीसद दिखाई देगा।

इस बार भी ग्रहण के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान तथा धार्मिक आस्थाओं एवं मिथकों का संगम रहा। केरल में सबरीमला स्थित प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर, तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर और गुरुवयूर में भगवान कृष्ण मंदिर समेत विभिन्न मंदिर सूर्य ग्रहण के कारण बंद रहे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद खुले।

पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने सर्द मौसम में भी पवित्र नदियों में डुबकी लगाई। वहीं तारामंडलों एवं अन्य विभिन्न खुले स्थानों पर छात्रों, वैज्ञानिकों तथा आकाशीय घटनाक्रम में रुचि रखने वाले लोग इस खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए कतार में लगे दिखाई दिए।

मुंबई स्थित नेहरू तारामंडल के निदेशक अरविंद परांजपे के अनुसार 600 से अधिक लोगों ने एक प्रोजेक्शन बॉक्स के माध्यम से ग्रहण देखा। परांजपे स्वयं मुंबई के अंतरिक्षविज्ञानियों के उस समूह का हिस्सा थे जिसने एक विमान से ग्रहण देखा। पुणे के संगठन 'ज्योतिर्विद्या प्रतिष्ठान' ने कहा कि संगठन ने शहर के जेड ब्रिज पर दूरबीन लगाई लेकिन बादल होने की वजह से ग्रहण नहीं देखा जा सका।

एनआरसी को ही एनपीआर बनाकर पेश करने की सरकार की साजिश : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

● कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने एनपीआर के तहत पूछे जाने वाले सवालों पर जताई आपत्ति

कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के प्रायोगिक फॉर्म में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र की राजग सरकार एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता पंजी) को एनपीआर में रूप में लाने की साजिश कर रही है। पार्टी ने सरकार को चेताया है कि यदि उसने इन आपत्तिजनक सवालों को नहीं हटाया और कदम पीछे नहीं खींचे तो वह इसका पुरजोर विरोध करेगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार ने सिर्फ एनपीआर पर कदम बढ़ाया था लेकिन इसे एनआरसी से कभी नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि एनपीआर और एनआरसी में फर्क करने की जरूरत है। एनपीआर सामान्य निवासी के लिए है। सामान्य निवासी के लिए सबसे अहम है कि वह व्यक्ति जिस स्थान का पता दे रहा है वहां पर वह एक साल में छह महीने तक रहा हो या फिर आगे छह महीने तक रहना चाहता हो।

माकन ने कहा कि भाजपा ने पी चिदंबरम का जो वीडियो जारी किया उसमें स्पष्ट रूप से सामान्य निवासी की बात की गई है। भाजपा ने पिछले पांच साल में सामान्य निवासी की बात ही नहीं की। उन्होंने हमेशा एनआरसी की बात की है। वे लोग एनपीआर की बात ही नहीं करते थे। उन्होंने दावा किया कि एनपीआर में 14 साधारण जानकारियां ली जाती थीं। 2020 एनपीआर के लिए इसी साल सितंबर में प्रायोगिक तौर पर फार्म भरवाए गए। फॉर्म भरवाने की बात को अभी तक सरकार ने भी खारिज नहीं किया है।

माकन ने कहा कि इस प्रीटेस्ट फॉर्म में माता-पिता के जन्मस्थान के बारे में जानकारी मांगी गई है। मुझसे पूछेंगे तो मेरे माता-पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, मैं उनके ब्योरे कहां से लाऊंगा। इसमें मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपके लिए मुसीबत शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एनआरसी को एनपीआर के रूप में पेश करने की साजिश है। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी एनपीआर को लेकर राजग सरकार पर दुर्भावनापूर्ण एजंडा रखने का आरोप लगाया और दावा किया कि मौजूदा एनपीआर यूपीए सरकार के समय के एनपीआर से बिल्कुल अलग है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे खुशी है कि भाजपा ने 2010 में आरंभ हुए एनपीआर की एक वीडियो क्लिप जारी की है। कृपया इसे सुनिए। हम देश के सामान्य नागरिकों की बात कर रहे हैं। नागरिकता पर नहीं, निवास पर जोर है।

चिदंबरम ने दावा किया- भाजपा नीत सरकार का व्यापक और दुर्भावनापूर्ण एजंडा है। इसलिए उनके द्वारा जिस एनपीआर को मंजूरी दी गई है वह खतरनाक और 2010 के एनपीआर के लिखित ब्योरे एवं संदर्भ से अलग है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का इरादा सही है तो सरकार बिना शर्त यह कहे कि वह 2010 के एनपीआर फॉर्म और उसकी रूपरेखा का समर्थन करती है तथा इसे एनआरसी से जोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है।

मोदी ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कोझिकोड से देखा सूर्य ग्रहण

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में आसमान में बादल छाए रहने के कारण सूर्य ग्रहण नहीं देख सके लेकिन उन्होंने कोझिकोड और अन्य हिस्सों से लाइव स्ट्रीम के जरिए इसकी झलक देखी। प्रधानमंत्री ने अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं जिनमें वे सूर्य को देखने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं।

मोदी ने ट्वीट किया, 'कई भारतीयों की तरह मैं भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्यवश, बादल छाए होने के कारण मैं सूर्य ग्रहण नहीं देख सका लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए कोझिकोड और अन्य हिस्सों में सूर्य ग्रहण की झलक देखीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने विशेषज्ञों से बात कर इस विषय पर अपना ज्ञानवर्धन किया। जब एक ट्विटर यूजर ने मोदी की उस तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें वह सूर्य की ओर देख रहे हैं और कहा कि यह तस्वीर 'मीम' बन रही है तो मोदी ने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा, 'आपका स्वागत है... आनंद लीजिए।'

नियंत्रण रेखा के पार पाक के दो जवान ढेर

पेज 1 का बाकी

गोलीबारी में उसके दो सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने भारतीय जेसीओ एवं दो अन्य जवानों की मौत का दावा किया है।

हालांकि, भारतीय सैन्य प्रवक्ता ने दो अन्य जवानों के मारे जाने के पाकिस्तानी दावे को शिगूफा करार दिया है। प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना द्वारा बुधवार सुबह से उड़ी सेक्टर के सिलिकूट, हथलंगा, मोथल, सोवरा, बालकोट, चुरंडा और आस-पास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की गई। पाकिस्तान ने सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे इन इलाकों को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाना शुरू किया। इस दौरान 18 मराठा लाइट इंफैंट्री के जेसीओ बृजेश कराटे शहीद हो गए। चुरंडा गांव में गोले लगने से घायल हुई नसीमा (23) नामक महिला की मौत हो गई। पाकिस्तान की भारी गोलाबारी को देखते हुए रिहायशी इलाके में फंसे लोगों को सेना ने निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गोलाबारी के बीच ही सेना एवं पुलिस के कैस्पर वाहनों से लोगों को गांव से निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। किसी आपात स्थिति के लिए संवेदनशील इलाकों में वाहन और एंबुलेंस तैयार रखे गए हैं। गोलाबारी से इन इलाकों के लोगों में काफी दहशत का माहौल पैदा हुआ है।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई। हालांकि, इसमें किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। बीएसएफ ने भी करारा जवाब दिया है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान सबसे ज्यादा पुंछ जिले में एलओसी पर संघर्षविराम उल्लंघन कर रहा है। पुंछ के शाहपुर और कुपवाड़ा के किरणी सेक्टर में लगातार गोलाबारी की जा रही है। अकेले पुंछ में ही इस साल 1800 से अधिक बार संघर्षविराम उल्लंघन किया गया है। इस कारण सरहद पर तनाव का माहौल है। दोनों देशों के बीच पुंछ जिले में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। एलओसी के राजोरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामुला और बांदीपोरा जिलों में पूरी तरह से बंकरों का निर्माण नहीं हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान जानबूझ कर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। जिससे स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं।

रवीना टंडन, फराह खान समेत तीन के खिलाफ मामला

अमृतसर, 26 दिसंबर (भाषा)।

अमृतसर पुलिस ने एक टीवी शो में एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह बताया कि अजनाला ब्लॉक के ईसाई मोर्चा के अध्यक्ष सोनू जफर ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रसारित शो की वीडियो फुटेज के साथ एक शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके आधार पर बुधवार को एक मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, 'ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।' यहां अजनाला पुलिस थाने में आइपीसी की धारा 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अमृतसर (ग्रामीण) के एसएसपी विक्रम जीत दुग्गल ने कहा, 'हमने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस संबंध में जांच की जा रही है।'

नेतृत्व हिंसा की तरफ नहीं ले जाता

पेज 1 का बाकी

उपस्थिति में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन सूबेदार मेजर बाना सिंह और सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को सम्मानित किया। फिर उन्होंने नेतृत्व को लेकर अपने विचार रखे। इसी दौरान उन्होंने कैंपस में हुई हिंसा पर अपनी बात रखी।

जनरल रावत ने कहा, 'सेना का जवान नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत- इन पांच मूल वाक्यों को ध्यान में रखकर काम करता है। जवानों में सेना इसी तरह की नेतृत्व क्षमता के गुणों को विकसित करती है, जिससे वे कभी हार नहीं मानते। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आजकल के संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कैसे और किस तरह से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। विश्वविद्यालयों से हिंसा का संदेश दिया जा रहा है, यह दुखद है।'

सेना प्रमुख ने कहा, 'आप भीड़ के बीच किसी नेता को उभरता हुआ पा सकते हैं। लेकिन नेतृत्व वह होता है, जो लोगों को सही दिशा में ले जाए। नेता वे नहीं हैं जो अनुचित दिशाओं में लोगों का नेतृत्व करते हैं।' सेना प्रमुख ने कहा कि जिस तरह शहरों और कस्बों में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, वह नेतृत्व नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं जनरल साहब से सहमत हूं, लेकिन नेता वे भी नहीं होते हैं जो अपने समर्थकों को सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार में शामिल करते हैं। सांप्रदायिक आधार पर बांटना भी नेतृत्व नहीं है। उन्होंने सेना प्रमुख से पूछा कि क्या वे उनसे सहमत हैं।

एआइएमआइएम के प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट किया, 'किसी के पद की सीमाओं को जानना ही नेतृत्व है। नागरिक सर्वोच्चता के विचार को समझने व अपने अधीन मौजूद संस्थान की अखंडता को सुरक्षित रखना ही नेतृत्व है। सेना प्रमुख का काम किसी पार्टी के नेता की तरह बोलना नहीं है।'

माकपा पोलित ब्यूरो ने कहा कि जनरल रावत के इस बयान से साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की स्थिति में कितनी गिरावट आ गई है, जो बताती है कि सेना के शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति अपनी संस्थागत भूमिका की सीमाओं को किस प्रकार से लांघता है।

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने जनरल रावत के बयान को 'गलत' बताया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के लोगों को राजनीतिक ताकतों के बजाय देश की सेवा करने के दशकों पुराने सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

पुणे के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हादसा, दो जवान मरे

पेज 1 का बाकी

के सर्वे से जुड़े जवानों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

रक्षा मंत्रालय से जुड़े सीएमइ के पीआरओ महेश आयंगर के मुताबिक, गुरुवार सुबह 11:50 बजे सस्पेंशन ब्रिज निर्माण के लिए प्रशिक्षण के दौरान इसका एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा। इससे उस पर चढ़े जवान गिरकर घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान लांस नायक पीएस संजीवन पीके और नायक संजीवन बीके का निधन हो गया। पूरे मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। इस हादसे में सेना के एक अधिकारी का पैर भी टूटा है।

सरकार के खिलाफ माकपा की देशव्यापी हड़ताल आठ जनवरी को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

माकपा ने मोदी सरकार पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर सरकार की हठधर्मिता ने लोगों के विरोध को बढ़ा दिया है। माकपा इसके विरोध में आठ जनवरी को देशव्यापी हड़ताल करेगी।

पार्टी के मुखपत्र 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' के संपादकीय लेख में पार्टी ने कहा है कि संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, पिछले 15 दिन भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हुए। इस अवधि में दो परस्पर विरोधी बातें उजागर हुईं। पहली यह कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना लिया है और दूसरी बात यह साबित हुई कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर उपजा देशव्यापी विरोध संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर हुए हमले के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक था। मुखपत्र में माकपा ने कहा कि केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकारें देश के नागरिकों के एकजुट होने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों पर हमले कर रही हैं। चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, भाजपा शासित राज्यों और दिल्ली, जहां पुलिस केंद्र सरकार के मातहत है, में लागू की गई। पार्टी ने कहा कि सबसे बुरे हालात भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, जहां राज्यव्यापी स्तर पर निषेधाज्ञा लागू की गई। पार्टी ने सरकार पर धारा 144 जैसे उपनिवेशकालीन प्रावधानों के आधार पर संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि असम में नौ दिनों तक इंटरनेट बंद रहने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर इसे बहाल किया गया।

'भारत पीओके में कर सकता है कार्रवाई'

पेज 1 का बाकी

प्रकार की कार्रवाई' कर सकता है। खान ने अपनी फौज को तैयार रहने को भी कहा है। खान ने झेलम जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा।

इससे पहले पाकिस्तानी फौज ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा 'बिना उकसावे' के की गई गोलीबारी में दो पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने का दावा किया था।

खान ने कहा, 'मैं पिछले पांच महीनों से दुनिया से कह रहा हूँ कि दुनिया का ध्यान कश्मीर और (संशोधित) नागरिकता कानून के प्रति हो रहे विरोध से हटाने के लिए भारत सरकार निश्चित तौर पर पीओके में किसी प्रकार की कार्रवाई करेगी।'

खान ने कहा कि उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भारत के खतरे से आगाह किया है और बाजवा ने उनसे कहा है कि पाकिस्तान तैयार है।

अखिल गोगोई के घर एनआइए छापा, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने गुरुवार को आरटीआइ कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई के गुवाहाटी स्थित आवास पर छापा मारकर विभिन्न दस्तावेज और एक लैपटॉप जब्त किए। इससे पहले जांच एजंसी ने दिल्ली स्थित विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर गोगोई की 10 दिनों की हिरासत मांगी थी। इसे अदालत ने ठुकराते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विभिन्न किसान संगठनों को सलाह देने वाले कार्यकर्ता अखिल को नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत 12 दिसंबर को जोरहाट से तब गिरफ्तार किया था, जब असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। गुरुवार को आतंकवाद रोधी बल एनआइए के अधिकारियों ने गुवाहाटी के निजारापाड़ा इलाके में गोगोई के घर छापेमारी की और उनके पैन कार्ड की प्रतियां, एसबीआइ डेबिट कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और बैंक की पासबुक जब्त कर ली।

सुबह सात बजे खत्म हुई छापेमारी तीन घंटे तक चली, जिसके बाद गोगोई की पत्नी गीताश्री तामुली ने पत्रकारों को जब्त की गई चीजों की सूची दिखाई, जिनमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, एएसआइ के अधीक्षण पुरातत्वविद मिलन कुमार चौले का पत्र और जेल डायरी 2014 समेत कई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।

मृतकों की संख्या 22 हुई

पेज 1 का बाकी

जख्मी हुए तीन लोगों की दिल्ली के अस्पतालों में मौत होने की खबर है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मरने वालों की संख्या 19 बताई थी।

फिरोजाबाद के अस्पताल से करीब 40 साल के मोहम्मद शफीक और 20 साल के मुकीम को क्रम से 24 दिसंबर और 22 दिसंबर को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीस साल के मोहम्मद हारून को बुधवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के एक डॉक्टर ने बताया, 'हारून को गर्दन पर गोली लगी थी और उसे फिरोजाबाद के एक अस्पताल से यहां लाया गया था। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।'

सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, 'अस्पताल की पुस्तिका में लिखा है कि इन दोनों को फिरोजाबाद के एक अस्पताल से स्थानांतरित किया गया है और 'संदिग्ध गोली के जख्म' का इलाज हुआ। दोनों ही चिकित्सा-कानूनी मामले हैं। शफीक की मौत गुरुवार तड़के हुई, जबकि अन्य की मौत 23 दिसंबर को हो गई।' फिरोजाबाद में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया और कथित तौर पर घायल हुए।

यूपी में हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए एसआइटी

पेज 1 का बाकी

विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनों के साथ ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी पुलिस ने इस संबंध में पूरे प्रदेश में 327 मुकदमे दर्ज कर 1113 लोगों को गिरफ्तार किया और 5558 लोगों के खिलाफ एहतियान कार्रवाई की है। हिंसा में 288 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 61 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है।

यूपी पुलिस के डीजीपी ने गुरुवार को बताया कि राज्य के अनेक जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में 93 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 19409 सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा 9372 ट्विटर, 9856 फेसबुक और 181 यूट्यूब प्रोफाइल्स को बंद करवाया गया।

हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को चिह्नित कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। रामपुर, गोरखपुर, लखनऊ और मेरठ समेत कई जिलों में हिंसा में संलिप्त पाए गए तीन सौ से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं।

गाजियाबाद समेत यूपी के 14 जिलों में इंटरनेट बंद

पेज 1 का बाकी

आदेश लागू किया गया है। जुमे की नमाज के कारण पुलिस-प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। जिन इलाकों में पूर्व में बवाल हो चुका है, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल समेत सेक्टर व सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि गुरुवार रात 10 बजे से शुक्रवार रात तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन और खुफिया इनपुट के कारण 24 घंटे इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला लिया गया है। शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में इंटरनेट बंद रहेगा। गत 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद इस कानून के विरोध में कैला भट्टा, पसौंडा, लोनी व मुरादनगर इलाकों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। इस बार सिविल डिफेंस के वार्डन भी गोपनीय रूप से स्थिति पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं।

उत्तर-पश्चिम राज्यों में ठंड की मार से ठिठुरे लोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली सहित समूचा उत्तर, पश्चिमोत्तर व मध्य भारत शीतलहर की चपेट में है। आने वाले दो दिनों तक शीतलहर से राहत के कोई आसार नहीं हैं। इस हफ्ते के आखिर में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं।

साल के आखिरी दिन व नए साल की शुरुआत बादलों व बारिश के साथ होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य शीतलहर के चलते जम से गए हैं। पहाड़ी इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से भी काफी नीचे चला गया है। जनजीवन पर ठंड का भारी असर पड़ रहा है। करगिल जिले के द्रास क्षेत्र में गुरुवार को तापमान शून्य से 30.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे ठंडा स्थान रहा। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में मौसम ठंडा और शुष्क रहा। द्रास में न्यूनतम तापमान शून्य से 30.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा और अधिकतम तापमान शून्य से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में गुरुवार को सबसे ठंडी रात रही जहां तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि जम्मू में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि मौसम के औसत तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम था।

दक्षिण कश्मीर में बर्फीले क्षेत्र पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 12.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा जबकि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान शून्य से 11.2 डिग्री सेल्सियस कम और कुपवाड़ा में शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू के कटरा का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लेह में तापमान शून्य से 18 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इन तमाम इलाकों में पानी की पाइप लाइनें तक जम गई हैं। कई बर्फीले इलाकों का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। दिल्ली के पालम में गुरुवार को अधिकतम तापमान 11.6 व न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री व सफदरजंग में अधिकतम तापमान 12.7 व न्यूनतम तापमान 5.8 दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान में नौ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जबकि न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की कमी देखी गई। आयानगर में न्यूनतम तापमान 4.5 रहा जो औसत से तीन डिग्री नीचे है। जबकि अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दो दिनों में न्यनूनतम तापमान में और गिरावट आएगी।

साल के आखिरी दिन गरज के साथ बारिश के आसार हैं। नए साल की शुरुआत भी बादलों व बारिश के बीच कड़ाके की ठंड के साथ होगी।

भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक कम दबाव के चक्रवाती परिसंचरण के साथ दक्षिण-पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर और पड़ोस पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मौजूद है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है जो 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत पर तीन जनवरी तक गंभीर ठंड के दिन वर्षा और घने कोहरे की स्थिति है। अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ ओले पड़ने व बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़ीशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दो जनवरी तक बारिश के आसार हैं। क्षेत्र के तमाम निगरानी केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से सात से 12 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम अधिकतम तापमान नौ डिग्री के साथ गंगानगर और चंडीगढ़ सबसे ठंडे स्थानों में शुमार रहे।

मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में अगले दो दिनों तक भीषण ठंड को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है।

www.readwhere.com

सुशासन के मामले में तमिलनाडु देश में अव्वल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में सुशासन की स्थिति के आकलन के लिए जारी किया सुशासन सूचकांक

बेहतर शासन-व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु देश में अव्वल राज्य रहा है जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक इस मामले में क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी सुशासन सूचकांक (जीजीआइ) में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है। इसके बाद आंध्र प्रदेश पांचवें, गुजरात 6ठे, हरियाणा को 7वें और केरल 8वें पायदान पर रहा है।

इस सूचकांक में मध्य प्रदेश नौवें, पश्चिम बंगाल दसवें स्थान पर रहा है। वहीं, तेलंगाना 11वें, राजस्थान 12वें, पंजाब 13वें, ओड़ीशा 14वें, बिहार 15वें, गोवा 16वें, उत्तर प्रदेश 17वें और झारखंड 18वें स्थान पर रहा है। कुछ अलग-अलग संकेतकों के आधार पर इस रैंकिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में बांटा गया है। ये समूह बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश हैं।

पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा है। जम्मू-कश्मीर को अब दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी पहले पायदान पर है। इसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप हैं।

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समय में राज्यों में सुशासन की स्थिति का निष्पक्ष आकलन करने के लिए कोई एक समान सूचकांक नहीं है। हालांकि सुशासन सूचकांक राज्यों में सुशासन की स्थिति और राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक साधन तैयार करने की दिशा में किया गया प्रयास है।

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

GIAN LIFE CARE LIMITED

Our Company was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 2013 and registered with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur, pursuant to a certificate of incorporation dated November 06, 2018. Subsequently, our Company has acquired the entire business of M/s Gian Pathology & X- Ray w.e.f. March 01, 2019 vide the Business Transfer Agreement executed on March 01st, 2019. For further details please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 94 of the Prospectus.

Registered Office: 7/216 (6) Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208002 India
Contact Person: Ms. Astha Chaturvedi, (Company Secretary & Compliance Officer);
Tel No: + 91-0512-2531860; **E-mail:** info@gianpathlabs.com; **Website:** www.gianpathlabs.com.

PROMOTER OF OUR COMPANY: MR. ARUN KUMAR GUPTA

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF UPTO 14,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF GIAN LIFE CARE LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.00/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A PREMUIM OF ₹ 12.00/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING ₹ 311.52 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.00/- EACH AGGREGATING ₹ 15.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 13,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.00/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 295.68 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.12% AND 28.59%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE 172 OF THE PROSPECTUS.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated September 16, 2019 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of BSE beginning on page 159 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Offer Document was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 156 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Hem Securities Ltd. **HEM SECURITIES LIMITED** 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai-400 013, India. **Tel:** (022) 4906 0000 **Email:** ib@hemsecurities.com **Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com **Contact Person:** Anil Bhargava **Website:** www.hemsecurities.com **SEBI Reg.No.:** INM000010981	CAMEO **CAMEO CORPORATE SERVICES LTD** Submaramanian Building, 1 Club House Road, Chennai 600 002. **Tel No.:** +91-44-40020700 **Fax No.:** +91-44-2846 0129 **E-mail :** cameo@cameoindia.com; investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person:** Mr. R. D. Ramasamy **SEBI Registration No:** INR000003753	GIAN **GIAN LIFE CARE LIMITED** **CIN: - U85100UP2018PLC110119** 7/216 (6) Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208002 India | **Tel No:** + 91-0512-2531860 **E-mail:** info@gianpathlabs.com; **Website:** www.gianpathlabs.com. Applicants can contact the Compliance Officer or the LM or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or Post-Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of Gian Life Care Limited, Lead Manager: Hem Securities Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants.Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the website of Lead Manager at www.hemsecurities.com

ISSUE PROGRAMME	ISSUE OPENS ON DECEMBER 31, 2019
	ISSUE CLOSES ON JANUARY 03, 2020

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 22 PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 6,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 6,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of Equity Shares of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares of our Company. The Issue Price should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed on the SME Platform of BSE. No assurance can be given regarding an active and/or sustained trading in the Equity Shares of our Company or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus.Specific attention of the investors is invited to the section, "Risk Factors" on page 21 of the Prospectus.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI	now available in ASBA for retail individual investors

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page 172 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 94 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 203 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Capital of ₹ 5,00,00,000 consisting of 50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 3,28,46,940 consisting of 32,84,694 Equity Shares of ₹ 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 4,70,06,940 consisting of 47,00,694 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 47 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: (1) Mr. Arun Kumar Gupta: 9297 equity share of ₹ 10 each (2) Mrs. Avani Gupta: 500 equity share of ₹10 each (3) Ms. Rashika Agarwal: 100 equity share of ₹ 10 each (4) Mr. Devang Agarwal: 100 equity share of ₹10 each (5) Mr. Manjeet Singh: 1 equity share of ₹ 10 each (6) Mr. Praveen Tomar: 1 equity share of ₹10 each, (7) Ms. Akanksha Gupta: 1 equity share of ₹10 each details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 94 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 47 of the Prospectus.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated December 18, 2019.

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 21 of the Prospectus before making any investment decision.

For **Gian Life Care Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Arun Kumar Gupta
Chairman & Managing Director

Date: December 26, 2019
Place: Kanpur, Uttar Pradesh

Gian Life Care Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kanpur. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the LM at https://www.gianpathlabs.com, www.bseindia.com and www.hemsecurities.com, respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "*Risk Factors*" beginning on page 21 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on RegulationS under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applicants may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Raka

यूको बैंक

अंचल कार्यालयः एनसीआर प्लाजा, द्वितीय तल,
न्यू कैंट रोड, देहरादून–248001 फोन नं0: 0135–2742811

सम्पत्ती बिक्री की ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्ती की ई-नीलामी बिक्री।

जबकि यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नलिखित प्रभारित/बंधक सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया गया है और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्तियों की बिक्री हेतु **"जहां है जैसा" "जहां है जो भी है"**, के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं.	ऋणी / जमानतकर्ता के नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि के समय बकाया धनराशि (सुरक्षित ऋण)	आरक्षित मूल्य (रु0)	अग्रिम धनराशि मूल्य का 10 प्रतिशत	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा: नथनपुर** **ऋणी:** श्रीमती शीतल जोशी पत्नी राकेश जोशी **गारन्टर:** श्री भगवती प्रसाद बहुगुणा पुत्र स्व० नन्द एवं श्री राकेश जोशी पुत्र रवि दत्त जोशी हरिद्वार -249407	बंधक ट्रिपल स्टोरी आवासीय सम्पत्ति/अंकित भूमि खाता नं0 1402 (1417-1422 फसली) खसरा नं0 726 मिन (पुराना खसरा नं0 306 मिन का भाग) माप क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर स्थित मौजा नथनपुर, परगना परवादून, देहरादून एवं उप-रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून लिखित दर्ज बही नं0 1, जिल्द नं0 4715, पेज 1-20 एवं क्रमांक 2484, दिनांक 18.03.2013 पर पंजीकृत है। सीमायें:- पूर्वः राजेन्द्र कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, उत्तरः 7 फीट चौड़ा आम पार्किंग के बाद 25 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः ओ0पी0 डिवेला की सम्पत्ति।	रु0 19,92,891.80/- दिनांक 25.09.2019 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 31.08.2019 तक	रु0 12,00,000/- (बारह लाख मात्र)	रु0 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार)	दिनांक 27.01.2020 12.00 PM to 1.30 PM
2.	**शाखा: देहरादून** **ऋणी:** मैसर्स एकता इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट, लिमिटेड रजिस्ट्रार ऑफिस- सी- 14, जवाहर पार्क, देवली रोड, नई दिल्ली-110062 एवं वर्क्स (ii) ए-6 विकास नगर, देहरादून। **गारन्टर:** 1. श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री प्रमोद शर्मा निवासी मकान नं0 463, सेक्टर 17-ए, गुड़गाँव (हरियाणा), 2. श्री अनुज शर्मा, 3. श्री सतीश शर्मा पुत्र श्री प्रमोद शर्मा निवासी: नौबतगढ़ मार्ग, विकास नगर, देहरादून, 4. श्री प्रमोद शर्मा निवासी: मकान नं0 463, सेक्टर 17-ए, गुड़गाँव (हरियाणा)।	व्यावसायिक फैक्ट्री भूमि एवं भवन प्लॉट नं0 ए-6 स्थित क्षेत्र सरकारी औद्योगिक एस्टेट के भीतर, विकास नगर, देहरादून माप क्षेत्रफल 669.14 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी मैसर्स एकता इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, (ii) ए-6 विकास नगर, देहरादून।	रु0 68,65,188.29 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2016 तक	रु0 57.00 लाख भूमि एवं भवन	रु0 5.70 लाख	दिनांक 27.01.2020 12.00 PM to 1.30 PM
3.	**शाखा: देहरादून** **ऋणी:** स्व0 श्री देवराज मलिक कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से। निवासी: मौजा करनपुर, सहस्त्रधारा रोड, जिला-देहरादून	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड भूमि एवं भवन नं0 167, खसरा नं0 123/2 माप क्षेत्रफल 168.71 वर्ग मीटर स्थित मौजा करनपुर खास, सहस्त्रधारा रोड, जिला- देहरादून उप-रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून बिक्रय बुक नं0 1, वाल्यूम नं0 67, पेज नं0 105 से 114, क्र0 सं0 541, दिनांक 30-12-2018 पर पंजीकृत है।	रु0 18,72,606/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 30.04.2019 तक	रु0 35.50 लाख भूमि एवं भवन	रु0 3.55 लाख	दिनांक 27.01.2020 12.00 PM to 1.30 PM

ऑनलाइन निविदा/नीलामी की नियम एवं शर्तें:- (1) नीलामी वेबसाइट : **https://ucobank.auctiontiger.net** के द्वारा ऑनलाइन नीलामी/बिडिंग के माध्यम से दिनांक 27.01.2020 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक (आईएसटी के अनुसार) 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होगी। (2) इच्छुक निविदाकर्ता की ईमेल आईडी होनी आवश्यक है। (3) इच्छुक निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अपनी बिड जमा करने एवं ई-नीलामी में भाग लेने से पहले विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी वेबसाइट: https://ucobank.auctiontiger.net से प्राप्त करें। (4) इच्छुक निविदाकर्ता को ई–नीलामी की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैo ई प्रक्यूरमेंट टैक्नोलोजीज लि0 (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद, श्री कुशल भैसारी, इस नम्बर एवं मेल आइडी पर सम्पर्क करें, लैंड लाइन नं. : 079-61200519, मोबाइल नं. 09978434773, ईमेल आइडीः **support@auctiontiger.net/ kushal@auctiontiger.net** पर सम्पर्क करें। (5) बिड केवल निर्धारित प्रारूप में उचित जानकारी के साथ ऑनलाइन जमा होंगे। (6) ऑनलाइन बिड जमा करने की अन्तिम तिथि 26.01.2020 है। (7) अग्रिम जमा धनराशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से **(सम्पत्ति नं0 1) यूको बैंक, मुख्य शाखा नथनपुर,** आईएफएससी कोड **UCBA0002794**, खाता सं. **27940210000144** एवं **(सम्पत्ति नं0 2 एवं 3) यूको बैंक, मुख्य शाखा देहरादून,** आईएफएससी कोड **UCBA0000075**, खाता सं. **00751030100001** में जमा होगी। (8) सम्पत्ति का निरीक्षण ई-नीलामी बिक्री के पांच दिन पहले सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक शाखा अधिकारी से पहले समय लेकर कर सकते हैं। (9) बोली फार्म की एक प्रति ऑनलाइन संलग्नक के साथ (जिसमें यूटीआर नं. का उल्लेख हो) प्राधिकृत अधिकारी, **यूको बैंक, अंचल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून-248001** के पास जमा करना होगा या इसकी स्कैन कॉपी मेल आईडी **zo.dehradun@ucobank.co.in** पर मेल करनी होगी। (10) बिड मूल्य जो जमा करना है व आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिये एवं बिडर्स बोली वृद्धि मूल्य रु 10000/- के गुणांक में बढ़ायेंगे। (11) सफल बिडर्स को बिड मूल्य का 25 प्रतिशत (जमा की गई अग्रिम जमा धनराशि (ईएमडी) को मिलाकर) ई-नीलामी बिक्री समाप्त होने के पश्चात उसी दिन तत्काल नियम सं. 7 में दिये गये माध्यम से जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता को अधोहस्ताक्षरी द्वारा खरीद की स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर खरीद मूल्य का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। (12) यदि सफल बोलीकर्ता ऊपर दिये गये नोटिस के अनुसार खरीद मूल्य जमा करने में असफल होता है तो बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि जब्त हो जायेगी। (13) असफल बोलीकर्ता को अग्रिम जमा धनराशि (ईएमडी) ई–नीलामी बिक्री समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी। (14) बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन है। यदि ऋणी/जमानतदार बकाया राशि नीलामी से पूर्व जमा कर देते हैं तो बिक्री निरस्त हो जायेगी। (15) ई-नीलामी "जहां है जैसा" तथा "जहां है जो भी है", के आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा सूचना के अनुसार किसी सम्पत्ति का कोई ऋण भार नहीं है। यद्यपि इच्छुक बिडरों को अपनी बिड प्रस्तुति से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले ऋण भार, नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति/यों/के टाईटल तथा दावे/अधिकार/बकाया के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र जांच करवानी चाहिये। सम्पत्ति बैंक के वर्तमान तथा भविष्य के जाने-अनजाने ऋण भार सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/बकायों के लिए किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (16) अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार एवं विवेक है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के बिड को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है बिक्री को स्थगित/टाल/रद्द कर सकता है एवं नियम व शर्तें बदल सकता है। (17) क्रेता को स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र पंजिकरण शुल्क एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्तमान एवं भविष्य के सभी सरकारी कर एवं दर वहन करना होगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीकर्ता के नाम पर जारी होगा। (18) बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में उल्लिखित शर्तों एवं ऊपर अंकित शर्तों के अधिन है। (19) अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी, **यूको बैंक, अंचल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून, मो. 9459983645, फोन नं. 0135-2742811** पर सम्पर्क कर सकते हैं। (20) नोटिस विशेष रूप से ऋणी/गो. जमानतदार/ों एवं सामान्य रूप से आम जनता के लिए भी है।

दिनांक: 26.12.2019 स्थान – देहरादून **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**

INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD.

Registered Office: - One Indiabulls Centre, 20th Floor, Tower 2A, Jupiter Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Mumbai – 400013. India.
Phones: - 022 – 43157000 Web: - www.Indostarcapital.com
Auction Place/Branch Office At: M-5A, 4th Floor, Mythri House Middle Circle, Connaught Place, New Delhi – 110001, India.

INDOSTAR

अनुलग्नक-IV-A
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी-सह-विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी विक्रय।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों (''अचल सम्पत्तियों''), जिस पर इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार/इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा कर लिया है, की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 1) रुद्रांश गुप्ता, एन-158, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 तथा साथ ही : एन-19, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048. 2) श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी कृष्ण मुरारी गुप्ता, एन-158, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-क, नई दिल्ली-110048 तथा साथ ही : एन-19, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048. 3) श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, एन-158, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 तथा साथ ही : एन-19, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048. 4) द विलेज शॉप, इसके प्रोपराइटर, 10, हौज खास, नई दिल्ली-110016 के माध्यम से। 5) मैसर्स क्यूरियोसिटी, इसके प्रोपराइटर, 10, हौज खास, नई दिल्ली-110016 के माध्यम से बकाया रु. 1,76,82,594 (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख बयासी हजार पाँच सौ चौरानबे मात्र) तथा प्रतिभूत लेनदार को देय ब्याज, लागतों तथा अनुबन्धात्मक दर पर प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 09.01.2020 को की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 1,66,04,325/- (रुपये एक करोड़ छियासठ लाख चार हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 16,60,433/- (रुपये सोलह लाख साठ हजार चार सौ तैंतीस मात्र) होगी।

ज्ञात ऋणभार तथा बिक्री की निश्चित शर्तों सहित अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	ऋण खाता सं. (A)	कर्जदार/सह-कर्जदार(रों) के नाम (B)	माँग सूचना की राशि तथा तिथि (C)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (D)	ज.ध.रा. (आरपी का 10%) तथा अन्तिम तिथि (E)	निरीक्षण की तिथि तथा समय (F)	नीलामी की तिथि तथा समय (G)	ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो (H)
1.	LSDEL05117-180002017	1. रुद्रांश गुप्ता 2. मधु गुप्ता 3. कृष्ण मुरारी गुप्ता 4. द विलेज शॉप 5. मैसर्स क्यूरियोसिटी	रु. 1,76,825,594/- 01.01.2019	रु. 1,66,04,325/-(रुपये एक करोड़ छियासठ लाख चार हजार तीन सौ पच्चीस मात्र)	रु. 16,60,433/- (रुपये सोलह लाख साठ हजार चार सौ तैंतीस मात्र) तथा 08.01.2020.	28.12.2019 को 12.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. तक	09.01.2020 को 5.00 बजे अप.	कोई नहीं
अचल सम्पत्तियों का विवरण (I)	सं. 158, ब्लॉक-एन, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली पर दो संयुक्त बाथ रूम, एक ड्राइंग रूम सह डाइनिंग रूम, टेरेस के बिना एक रसोईघर से निर्मित बरसाती/दूसरी मंजिल, साथ ही 1/7वाँ अविभाजित अविभाजनीय तथा अपक्षपाती मालिकाना हक का सम्पूर्ण भाग, भूमि की माप 300 वर्ग गज।							

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें:-

1. बिक्री पूर्णतः नीचे उल्लिखित नियम एवं शर्तों तथा इच्छुक संविदाकारों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के आधार पर की जायेगी।
2. अचल सम्पत्तियों की बिक्री ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। नीलामी के अधीन अचल सम्पत्तियों का निरीक्षण यहाँ निर्दिष्ट तिथि तथा समय पर 28.12.2019 को 12.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है। संविदा आवेदन प्रपत्र, धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने के सम्बन्ध में किसी पूछताछ या स्पष्टीकरण के लिए कृपया इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें (सम्पर्क विवरण नीचे उपपद (4) में दिया गया है)। यदि नीलामी के संचालन में कोई तकनीकी खामी या त्रुटि होती है तो नीलामी शाखा स्तर पर भी की जा सकती है।
3. हमने विपणन अथवा सम्भावित संविदाकारों/क्रेताओं की खोज के लिए स्थानीय विपणन एजेन्सी/सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है जो सरफाएशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सहायता भी करेंगे।
4. निविदाकारों/सम्भावित संविदाकारों/क्रेताओं को अपने प्रस्ताव के साथ स्तम्भ (ई) में सन्दर्भित के अनुसार जमा धरोहर राशि (ईएमडी) दिल्ली शाखा में देय इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट या पेऑर्डर के माध्यम से मुहरबन्द लिफाफे में रखकर उस पर ''अचल सम्पत्तियों/सम्पत्ति के क्रय हेतु प्रस्ताव'' लिखकर इस प्रकार जमा करना होगा ताकि यह हमारे अधिकृत प्राधिकारी/व्यक्ति श्री सुप्रीत सिंह, मोबाइल : 9873018111 के पास संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि अर्थात 08.01.2020 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुँच जाये। सफल संविदाकार द्वारा प्रदत्त ईएमडी की राशि विक्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।
5. जो प्रस्ताव उचित रूप से भरे नहीं होंगे या प्रस्ताव के साथ ईएमडी नहीं होगी या इसमें वर्णित तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा/वैध प्रस्ताव नहीं माना जायेगा, तदनुसार इन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. इच्छुक संविदाकार प्रस्ताव दस्तावेज के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की एक प्रति (अथवा प्रपत्र 60) तथा अपना पहचान पत्र का प्रमाण और आवास का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रति भी संलग्न करेगा।
7. अचल सम्पत्तियों की बिक्री उच्चतम संविदाकार/प्रस्तावकर्ता को की जायेगी बशर्ते इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार/नीलामी विक्रय समिति द्वारा इसकी स्वीकृति हो। उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों की ऑनलाइन/इंटर-से संविदा ऊपर स्तम्भ ''जी'' में उल्लिखित निर्धारित तिथि तथा समय पर और हमारे इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट पर की जायेगी। किन्तु, अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विशेषाधिकार होगा।
8. कथित अचल सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिबकायों सहित समस्त बकायों तथा व्ययों, अर्थात निगम करों, रखरखाव/सोसाइटी प्रभारों, बिजली एवं पानी के करों अथवा किसी अन्य बकायों का भुगतान सफल संविकार(रों)/क्रेता द्वारा किया जायेगा।
9. सफल संविदाकार/क्रेता को विक्रय राशि (ज.ध.रा. सहित) की 25% राशि का भुगतान विक्रय के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात तुरन्त करना होगा जिसमें असफल रहने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
10. विक्रय मूल्य की शेष 75% राशि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सफल क्रेता को विक्रय की पुष्टि प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर या प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्रतिभूत लेनदार के एकमात्र विशेषाधिकार द्वारा लिखित में सहमति के आधार पर किसी विस्तारित तिथि तक करनी होगी। विक्रय मूल्य के शेष 75% की राशि या उसके किसी भाग के निर्धारित तिथि अवधि के भीतर भुगतान करने में चूक करने की स्थिति में जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और प्रतिभूत लेनदार को एक बार पुनः अचल सम्पत्तियों का विक्रय करने की स्वतन्त्रता होगी और चूककर्ता क्रेता अचल सम्पत्तियों या उसके क्रय के लिए पहले प्रदत्त राशि के किसी भाग के प्रति कोई दावा नहीं कर सकेगा।
11. यहाँ ऊपर वर्णित अचल सम्पत्तियाँ अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विक्रय की पुष्टि की तिथि से आग या चोरी या अन्य दुर्घटनाओं द्वारा क्षति एवं अन्य जोखिम सहित प्रत्येक पक्ष में पूर्ण रूप से सफल क्रेता के एकमात्र जोखिम पर होंगी। सफल संविदाकार किसी भी प्रकृति के आधार पर विक्रय को रद्द नहीं कर सकेगा।
12. यदि आस्तियों की अन्तिम संविदा/विक्रय राशि रु. 50.00 लाख या इससे अधिक है तो सफल संविदाकार इसे घटायेगा और घटाये गये के अनुसार कर्जदार का पैन नम्बर देते हुए विक्रय राशि से संविदा राशि का 1% की दर से टीडीएस का भुगतान करेगा जिसे संविदा पूर्ण होने के पश्चात अधिकृत प्राधिकारी/बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और विक्रय राशि का शेष 99% निर्धारित समय के भीतर बैंक को देय होगा। अतः उच्चतम सफल संविदाकार आयकर अधिनियम, 1961 के खण्ड (194-IA) के अनुसार कर्जदार के पैन पर पुनः कब्जाकृत आस्ति के क्रय पर 1% की दर से टीडीएस जमा करने के लिए बाध्य होगा।
13. ऐसे मामलों में नीलामी के तहत आस्ति की विक्रय वसूली राशि रु. 50.00 लाख है या अधिक है तो सफल संविदाकार/क्रेता को उपर्युक्त सम्पूर्ण विक्रय राशि के भुगतान तथा विक्रय औपचारिकताओं की पूर्णता के पश्चात केवल टीडीएस जमा करने पर प्रपत्र सं. 26क्यूबी में चालान-सह-विवरण की प्राप्ति पर सरफाएशी अधिनियम एवं नियम 2002 के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार अचल सम्पत्तियों हेतु एक विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। इसके पश्चात बैंक के पास प्रपत्र 16बी में टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
14. विक्रय प्रमाण पत्र पंजीकृत करवाना सफल संविदाकार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। उपर्युक्त सन्दर्भित अचल सम्पत्तियों के लिए सरफाएशी अधिनियम एवं नियम 2002 के तहत निर्धारित प्रारूप में निर्गत विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभारों, अन्तरण प्रभारों तथा अन्य व्ययों एवं प्रभारों से सम्बन्धित समस्त व्ययों का वहन सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा। विक्रय प्रमाणपत्र अन्तरण के विषय में राज्य के कानूनों/नियमों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पंजीकृत कराना होगा अन्यथा क्रेता को पंजीकरण के विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिभूत लेनदार के पास निवेदन-पत्र देना होगा।
15. अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या कोई या समस्त प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, प्रतिभूत लेनदार के रूप में इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड को बिना कोई कारण बताये किसी या समस्त संविदा(ओं) को अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि संविदाएँ अस्वीकार की जाती हैं तो अधिकृत प्राधिकारी किसी निविदाकृत या इच्छुक संविदाकारों या अन्य पक्षों से निजी सन्धि द्वारा अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु मोल-भाव कर सकता है। बिक्री इंडोस्टार फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार/नीलामी विक्रय समिति तथा संशोधित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 द्वारा पुष्टि का विषय होगी।
16. इच्छुक संविदाकारों/प्रस्तावकर्ताओं या स्वयं, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नीलामी/विक्रय प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु, विक्रय प्रमाण-पत्र केवल उन क्रेताओं के पक्ष में पंजीकृत होगा जिसके नाम से संविदा आवेदन प्रपत्र जमा किया गया है।
17. अधिकृत प्राधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के अपने विशेषाधिकार पर विक्रय हेतु इस सूचना के किसी भी नियम एवं शर्त को परिवर्तित करने का अधिकार है और वह कथित पुनः कब्जाकृत बंधक अचल सम्पत्तियों की बिक्री में पेशेवर शुल्क देकर मार्केटिंग एजेन्ट या सेवा प्रदाता की सेवाएँ भी ले सकता है जिसे कर्जदार से वसूला जायेगा।
18. यदि प्रतिभूत लेनदार द्वारा व्यय किये गये समस्त लागत प्रभारों तथा व्ययों सहित समस्त बकाये नीलामी की तिथि के पूर्व एक कार्यकारी दिवस तक उपर्युक्त नामधारी कर्जदार/सहकर्जदार अदा कर देते हैं तो अचल सम्पत्तियों की बिक्री नहीं की जायेगी और संभावित संविदाकारों से प्राप्त समस्त संविदाएँ इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के बिना किसी दायित्व/दावे के उन्हें वापस कर दी जायेगी।
19. यदि बकाये पूर्ण रूप से अदा नहीं किये गये तो उपर्युक्त तिथि पर विक्रय करने की सहायता के विषय में यह प्रकाशन कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) के लिए 30 दिन की सूचना भी है।
20. निविदाकृत दस्तावेज इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की स्थानीय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.lndostar-capital.com देखें।
21. कर्जदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि वे इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड को पूर्व सूचना देकर प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के भीतर इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के संरक्षण में कथित बंधक सम्पत्तियों के भीतर पड़ी अपनी निजी घरेलू वस्तुएं/सामान, यदि कोई हो, अवश्य निकाल लें जिसमें असफल रहने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की इसके प्रति कोई दायित्व/जिम्मेदारी नहीं होगी और यह कर्जदारों/बंधककर्ताओं के जोखिम पर निस्तारित कर दी जायेंगी।
22. विशेष निर्देश : अन्तिम क्षणों में संविदा करने से संविदाकारों को बचना चाहिए क्योंकि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ऐसी विषम स्थितियों को संरक्षित करने के क्रम में किसी लैप्स/असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, संविदाकारों से समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/वैकल्पिक बैक-अप आदि की व्यवस्था करने का निवेदन किया जाता है ताकि वे इन विषम स्थितियों से निपटने में सक्षम हो सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। नीलामी का विक्रय स्तम्भ सं. जी में उल्लिखित के अनुसार नीलामी बिक्री के समापन समय पर स्वतः ही बन्द हो जायेगा। अधिकृत प्राधिकारी अपने विशेषाधिकार के प्रयोग द्वारा नीलामी विक्रय को 15 मिनट तक विस्तारित करने के अधिकार का उपयोग कर सकता है।

स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत प्राधिकारी**
दिनांक : 27.12.2019 **कृते इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड**

www.readwhere.com

SECOND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT DATED AND PUBLISHED ON OCTOBER 9, 2018.
FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF

FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

Registered Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F-79 & 80, Okhla Phase - I, New Delhi South Delhi 110020, **Tel:** +91 11 4905 7597 **Fax:** + 91 12 4429 2840

Open offer ("**Offer**") for acquisition of up to 1,39,16,676 (One Crore Thirty Nine Lakhs Sixteen Thousand Six hundred and Seventy six) fully paid up equity shares of face value of INR 10 (Indian Rupees Ten) each ("**Equity Share**"), representing up to 25.02% of the total equity share capital of Federal-Mogul Goetze (India) Limited ("**Target Company**") on a fully diluted basis, from the eligible equity shareholders ("**Eligible Shareholders**"), by Tenneco Inc. ("**Acquirer**") together with Icahn Enterprises LP ("**IEP**" or "**PAC 1**"), American Entertainment Properties Corp. ("**AEP**" or "**PAC 2**") and IEH FMGI Holdings LLC ("**IEH**" or "**PAC 3**") (collectively known as "**PACs**").

This second corrigendum ("**Corrigendum 2**") to the Detailed Public Statement ("**DPS**") is being issued by CKP Financial Services Private Limited, the manager to the offer ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer and PACs. This Corrigendum is in continuation of and should be read in conjunction with the offer public announcement dated April 16, 2018 ("**PA**") in relation to this Offer filed by the Acquirer, DPS published and dated October 9, 2018, Draft Letter of Offer dated October 16, 2018 ("**DLoF**") and Corrigendum 1 to the DPS ("**Corrigendum 1**") dated June 29, 2019. Capitalized terms not defined herein shall have the meaning assigned to them in the PA, the DPS, the DLoF and Corrigendum 1, as the case may be.

The Offer is being made under Regulation 3(1), Regulation 4 read with Regulation 5(1) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("**SEBI (SAST) Regulations**"), in light of the indirect acquisition of voting rights in and control by the Acquirer (a New York Stock Exchange listed entity) over the Target Company in terms of the definitive agreement dated April 10, 2018 between the Acquirer, IEP, AEP and Federal-Mogul LLC ("**Federal-Mogul**") to acquire the ownership of Federal-Mogul.

The Acquirer has come to an agreement with IEP and AEP on March 28, 2019, whereby IEP and AEP, through its wholly owned subsidiary IEH, will acquire the shares of the Target Company tendered in the Offer. Such acquisition of shares will be undertaken directly through IEH, a wholly-owned subsidiary of AEP, as the person acting in concert with the Acquirer.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER:

Sub-point 1 of Point A1 of Point A of Point I of the DPS shall be read as follows:

The Acquirer is a publicly traded corporation in the United States of America and was incorporated on August 26, 1996 under the name of New Tenneco Inc. On December 11, 1996 it changed its name to Tenneco Inc. The registered office/headquarters of the Acquirer is located at 3411 Silverside Road, Tatnall Building #104, Wilmington, DE 19810/500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, United States of America. Its telephone number is +001 847 482 5000 and fax number is +001 847 482 5940.

Sub-point 2 of Point A1 of Point A of Point I of the DPS shall be read as follows:

Headquartered at Lake Forest, Illinois, Acquirer is one of the world's leading designers, manufacturers and marketers of Aftermarket, Ride Performance, Clean Air and Powertrain products and technology solutions for diversified markets, including light vehicle, commercial truck, off-highway equipment and the aftermarket, with 2018 pro forma revenues of US$ 17.8 billion and approximately 51,000 employees worldwide. On October 1, 2018, Acquirer completed the acquisition of Federal-Mogul LLC ("**Federal-Mogul**"), a leading global supplier to original equipment manufacturers and the aftermarket. 100% of the equity of Federal-Mogul was acquired by Acquirer and Federal-Mogul was merged with and into Acquirer, with Acquirer continuing as the surviving company. The Acquirer conducts operations in more than 100 facilities across 5 (five) Continents.

Sub-point 4 of Point A1 of Point A of Point I of the DPS shall be read as follows:

The top five shareholders forming part of the shareholding pattern of the Acquirer as on June 30, 2019, based on information provided by National Association of Securities Dealers Automated Quotations System ("**NASDAQ**") regarding the ownership of the Acquirer's common stock, is given below-

Sl. No.	Shareholder	Number of shares held	Percentage
1.	Icahn Associates Corporation	5,651,177	9.9%
2.	The Vanguard Group, Inc.	4,839,841	8.5%
3.	Fuller & Thaler Asset Management Inc.	3,875,500	6.8%
4.	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	3,408,038	6.0%
5.	Dimensional Fund Advisors, L.P.	2,599,892	4.5%

Sub-point 6 of Point A1 of Point A of Point I of the DPS shall be read as follows:

The Acquirer expects to separate its businesses to form two new, independent companies, an Aftermarket and Ride Performance company as well as a new Powertrain Technology company.

Sub-point 7 of Point A1 of Point A of Point I of the DPS shall be read as follows:

On April 10, 2018, the Acquirer announced that it had entered into a definitive agreement dated as of April 10, 2018 ("**Underlying Agreement**") with IEP, AEP and Federal-Mogul to acquire the ownership of Federal-Mogul. The transaction contemplated under the Underlying Agreement has been concluded on October 1, 2018 ("**Primary Transaction**"). The Acquirer has come to an agreement with IEP and AEP on March 28, 2019, whereby IEP and AEP through its wholly owned subsidiary IEH will acquire the shares of the Target Company tendered in the Offer. Such acquisition of shares, will be undertaken directly through IEH, a wholly-owned subsidiary of AEP, as the person acting in concert with the Acquirer.

Sub-point 13 of Point A1 of Point A of Point I of the DPS shall be read as follows:

The key financial information of the Acquirer, as derived from its restated audited consolidated financial statements for the financial years ended December 31, 2016, December 31, 2017 and December 31, 2018 audited by the independent auditor of the Acquirer and its unaudited consolidated financial statements for the 6-month period ended June 30, 2019 which have been subject to limited review by the independent auditor of the Acquirer is set out here below. The said financials have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles:

Particulars	For the 12-month period ending December 31						For 6-month Period	
	2016		2017		2018		Period ending June 30, 2019	
	INR	US$	INR	US$	INR	US$	INR	US$
Total Revenue	6,12,071	8,597	6,60,271	9,274	8,37,477	11,763	6,39,909	8,988
Net Income	29,546	415	18,867	265	7,903	111	(4,272)	(60)
Basic Earnings Per Share (EPS)	441.41	6.2	266.98	3.75	66.21	0.93	(80.45)	(1.13)
Net Worth/ Shareholder' Fund	40,795	573	48,556	682	1,36,411	1,916	1,31,285	1,844

Notes:

a. *All US$ amounts except EPS are in millions.*

b. *All INR amounts except EPS are in millions.*

c. *Since the financials of the Acquirer are presented in US$, a translation (convenience translation) of such financials into INR has been adopted. The US$ to INR conversion has been assumed at the reference rate of US$ 1 = INR 71.1959 as on December 24, 2019, (i.e. the last working day prior to the date of the Corrigendum 2 to the DPS) (Source: www.fbil.org.in. Effective July 10, 2018 Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) has assumed the responsibility of computation and dissemination of reference rate for US$/INR and exchange rate of other major currencies from RBI).*

d. *The financial information for the financial years ending December 31, 2016, 2017 and 2016 set forth has been extracted from the audited consolidated financial statements of the Acquirer which have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles. These financial statements have been audited by PricewaterhouseCoopers LLP, the independent auditor of the Acquirer. Financial information presented above for the period ended June 30, 2019 is derived from the Acquirer's unaudited financial statements for the 6-month period ended June 30, 2019 included as Part I of the Acquirer's Quarterly Report on Form 10-Q filed with the United States Securities and Exchange Commission on August 6, 2019.*

e. *Total Revenue includes net sales and operating revenues.*

f. *Net Income is including income attributable to non-controlling interest.*

g. *Net worth includes common stock and accumulated other comprehensive loss, retained earnings (accumulated deficit), premium on common stock, other capital surplus and non-controlling interest excluding Treasury Shares.*

Sub-point 5 of Point A2 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

Based on the information contained in PAC 1's Quarterly Report on Form 10-Q for June 30, 2019, filed with the United States Securities and Exchange Commission on August 6, 2019, the equity for limited partners is US$ 6,498 mn and the depository units outstanding as on June 30, 2019 are 201,551,298. The Market Capitalisation of PAC 1 was US$14.9 Billion as at August 6, 2019 based on a share price of $76.05 on August 6, 2019.

Sub-point 6 of Point A2 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

PAC 1 is a public company whose shares are traded on the NASDAQ. As such, shareholding of PAC 1 changes frequently. The top five shareholders forming part of the shareholding pattern of the PAC 1 as on June 30, 2019, based on the information contained in the filings made with the United States Securities and Exchange Commission as of August 6, 2019, regarding the ownership of the PAC 1's common stock, is given below:

Sl. No.	Shareholder	Number of shares held	Percentage
1.	Carl Icahn and his Affiliates	185,333,620	92.0%
2.	Citigroup Inc.	6,415,557	3.2%
3.	Horizon Kinetics LLC	2,836,180	1.4%
4.	Morgan Stanley	275,392	0.1%
5.	Geode Capital Management	138,788	0.1%

Sub-point 7 of Point A2 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

PAC 1 has not entered into any related party transactions in the course of its business, with the Target Company, according to the unaudited financial statement of the Target Company for the period ended June 30, 2019.

Sub-point 12 of Point A2 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

The key financial information of PAC 1, as derived from its audited consolidated financial statements for the 12-month period ended December 31, 2016, December 31, 2017 and December 31, 2018 audited by the independent auditor of the Acquirer and its consolidated financial statements for the 6-month period ended June 30, 2019 which have been subject to limited review by the independent auditor of the Acquirer is set out here below. The said financials have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles.

Particulars	For the 12-month period ending December 31						For 6-month Period	
	2016		2017		2018		Period ending June 30, 2019	
	INR	US$	INR	US$	INR	US$	INR	US$
Total Revenue	5,29,982	7,444	9,15,081	12,853	9,64,054	13,541	287	4,027
Net Income	(1,58,055)	(2,220)	1,84,409	2,591	1,45,667	2,046	(89,778)	(1,261)
Basic Earnings Per Share (EPS)	(574.55)	(8.07)	1053.70	14.80	815.91	11.46	(321.09)	(4.51)
Net Worth/ Shareholder' Fund	5,70,778	8,017	8,09,355	11,368	9,18,783	12,905	8,14,908	11,446

Notes:

a. *All US$ amounts except EPS are in millions.*

b. *All INR amounts except EPS are in millions.*

c. *The above figures have been converted into INR using the exchange rate of US$ 1 = INR 71.1959 as on December 24, 2019 one working day before the date of the Corrigendum 2 to DPS. (Source: www.fbil.org.in).*

d. *The financial information for the financial years ending December 31, 2016, December 31, 2017 and December 31, 2018 set forth has been extracted from the audited consolidated financial statements of IEP as at and for the financial years ending December 31 2016, December 31, 2017 and December 31, 2018 and has been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles and as at and for the 6-month period ending June 30, 2019 included as Part I of IEP Quarterly Report on Form 10-Q filed with the United States Securities and Exchange Commission on August 6, 2019.*

e. *These financial statements have been audited by Grant Thornton, the independent auditor Icahn Enterprises LP and are included as Part I of IEP's Report on Form 10-K filed with the United States Securities and Exchange Commission. Financial information presented above for the 6-month period ended June 30, 2019, is unaudited and has been reviewed by IEP's independent auditor.*

f. *Total Revenue includes net sales, operating revenues and other income.*

g. *Net Income is including income attributable to non-controlling interest.*

h. *Net worth includes common stock and accumulated other comprehensive loss, retained earnings (accumulated deficit), premium on common stock, other capital surplus and non-controlling interests.*

Sub-point 4 of Point A3 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

The total equity of PAC 2 as per the unaudited consolidated financials as at and for the 6-month period ended June 30, 2019 is US$ 10,807 mn and as per the audited consolidated financials as at and for the year ended December 31, 2018 is US$ 11,227 mn.

Sub-point 5 of Point A3 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

PAC 2 owns 3,075,963 Class B shares of the Acquirer as of the date of Corrigendum 2.

Sub-point 7 of Point A3 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

PAC 2 has not entered into any related party transactions in the course of its business, with the Target Company, according to the unaudited financial statements of the Target Company for the period ended June 30, 2019

Sub-point 12 of Point A3 of Point A of Point I of the Corrigendum to the DPS shall be read as follows:

The key financial information of PAC 2, as derived from its audited consolidated financial statements for the 12-month period ending December 31, 2016, December 31, 2017 and December 31, 2018 audited by the independent auditor and the limited review financial statements for the Six month period ended June 30, 2019 reviewed by the independent auditor of PAC 2 is set out here below:

Particulars	For the 12-month period ending December 31						For 6-month Period	
	2016		2017		2018		Period ending June 30, 2019	
	INR	US$	INR	US$	INR	US$	INR	US$
Total Revenue	12,07,055	16,954	14,90,415	20,934	9,15,508	12,859	3,30,135	4,637
Net Income	(50,834)	(714)	1,94,721	2,735	1,60,832	2,259	(11,107)	(156)
Basic Earnings Per Share (EPS)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Net Worth/ Shareholder' Fund	5,04,138	7,081	6,86,898	9,648	7,99,316	11,227	7,69,414	10,807

Notes:

a. *All US$ amounts except EPS are in millions.*

b. *All INR amounts except EPS are in millions.*

c. *The financial information for the financial years ending December 31, 2016, 2017 and 2018 set forth has been extracted from the audited consolidated financial statements of AEP as at and for the financial years ending December 31 2016, December 31, 2017 and December 31, 2018 which have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles and as at and for the Six month period ending June 30, 2019 is prepared as per US Generally Accepted Accounting Principles.*

d. *These financial statements have been audited by Grant Thornton, the independent auditor of AEP. Financial information presented above for the period ended June 30, 2019, is unaudited and has been reviewed by AEP's independent auditor.*

e. *The above figures have been converted into INR using the exchange rate of US$ 1 = INR 71.1959 as on December 24, 2019 one working day before the date of dispatch of this Corrigendum 2 to the DPS. (Source: www.fbil.org.in).*

f. *Total Revenue includes net sales, operating revenues and other income.*

g. *Net Income is including income attributable to non-controlling interest.*

h. *Net worth includes common stock and accumulated other comprehensive loss, retained earnings (accumulated deficit), premium on common stock, other capital surplus and non-controlling interests.*

Sub-point 6 of Point C of Point I of DPS shall be read as follows:

There are no Related Party Transaction with PACs. The Acquirer has not entered into any related party transactions in the course of its business, with the Target Company, according to the 10 Q filing with the United States Securities and Exchange Commission by the Acquirer for the six month period ended June 30, 2019. Please note that the related party disclosures for the Target Company are prepared pursuant to Regulation 23(9) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("**SEBI LODR**"). Please note this disclosure differs from the disclosure of related party transactions by the Acquirer because the Acquirer is subject to the requirements of the United States Securities and Exchange Commission. The United States Securities and Exchange Commission requires disclosure of related party transactions pursuant to Item 404 of Regulation S-K only if the amount of the transaction exceeds $120,000.

Sub-point 7 of Point C of Point I of DPS shall be read as follows:

Brief audited consolidated financial details of the Target Company for the last 3 (three) financial years (ending March 31) as derived are as set forth below. Also, audited consolidated financial statements as at and for the 12-month period ending March 31, 2017, March 31, 2018 and March 31, 2019 and limited review unaudited consolidated financial information for the 6-month period ended September 30, 2019 are prepared in accordance with Indian Accounting Standards are as follows:

(Amount INR in million, unless stated otherwise)

Particulars	FY 2017	FY 2018	FY 2019	6-month ending September 30, 2019
	INR	INR	INR	
Total Revenue	14,284.00	13,713.61	13,560.75	5,800.47
Net Income	807.41	961.92	954.98	258.70
Basic Earnings Per Share (EPS)	15.06	17.29	17.17	3.98
Net Worth/ Shareholder' Fund	6,671.31	7,628.73	8,579.05	8,793.31

Notes:

a. *All amounts are in INR in million, except per share data.*

b. *Audited consolidated financial statements for the 12-month period ending March 31, 2017, March 31, 2018, March 31, 2019 and as at and for the 6-month period ending September 30, 2019 are prepared as per Indian Accounting Standards (IndAS).*

c. *Total revenue includes revenue from operations and other income.*

d. *Net income does not contain other comprehensive income.*

e. *Net worth includes share capital/equity share capital, reserves and surplus/other equity and minority/ non-controlling interest.*

(Source: Target Company Annual Reports are available on BSE website for year ending on March 31, 2017, 2018 and 2019 and also limited review unaudited consolidated financial information for the period ending September 30, 2019).

Sub-point 4 of Point D of Point I of DPS shall be read as follows:

This Offer is to acquire 13,916,676 (One Crore Thirty Nine Lakh Sixteen Thousand Six Hundred and Seventy Six) Equity Shares, representing 25.02% of the voting share capital of the Target Company at a price of INR 667.50/- (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only) per Equity Share ("**Enhanced Offer Price**"), which includes an offer price of INR 608.46 (Indian Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share ("**Offer Price**") and an enhancement of INR 30.51 (Indian Rupees Thirty and Paise Fifty One Only) per Equity Share i.e. a sum of 10% (ten percent) per annum on the Offer Price for the period between April 10, 2018 (i.e. the date of execution of the Underlying Agreement for the Primary Transaction) and the date of publication of the DPS in terms of Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, as per the final SEBI observation letter dated July 4, 2019, the applicable tendering period would have been from July 22, 2019 to August 2, 2019 with the last date for payment of consideration being August 20, 2019. Subsequent to the SEBI observation letter dated July 4, 2019, legal remedies were pursued at the Honourable Securities Appellate Tribunal ("**SAT**") and the Honourable Supreme Court, and the final order was pronounced by the Honourable Supreme Court on December 16, 2019, leading to a revision in the tendering period to January 6, 2020 to January 17, 2020 with last date for payment of consideration being January 31, 2020. Accordingly, the additional interest for the period between August 21, 2019 to January 30, 2020 is INR 28.53 (Indian Rupees Twenty Eight and Paise Fifty Three Only) per Equity Share. Thus the Enhanced Offer Price is **INR 667.50** (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only), payable in cash, in accordance with Regulation 9(1)(a) of SEBI (SAST) Regulations and subject to the terms and conditions set out in the PA, DPS, DLoF and Corrigendum 1.

The Corrigendum 2 to the DPS is being published in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Business Standard	English	All
Business Standard	Hindi	All
Jansatta	Hindi (Regional)	Regional

The DPS was published in Business Standard English, Business Standard Hindi and Jansatta on October 09, 2018 (The Lucknow and Chandigarh editions of Business Standard English published the DPS on October 10, 2018, due to technical reasons)

The Corrigendum 1 to the DPS was published in Business Standard English, Business Standard Hindi and Jansatta on June 29, 2019

A copy of the PA, DPS and Corrigendum 1 to the DPS are also available on the SEBI website at www.sebi.gov.in

Paragraph 3 of Sub-point 3 of Point II of DPS shall be read as follows:

Following the separation of Acquirer, Acquirer's board of directors has selected Brian J. Kesseler to serve as the Chairman and Chief Executive Officer of the Aftermarket and Ride Performance company and Roger J. Wood to serve as Chairman and Chief Executive Officer of the Powertrain Technology company.

Sub-point 1 of Point III of DPS shall be read as follows:

The current and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of their acquisitions are as follows:

Details	Acquirer and PACs	
	No. of Equity shares held	Percentage (%)
Shareholding as on the date of PA	Nil	Nil
Equity shares acquired between the PA date and the DPS date	Acquirer acquired indirect control over 41,715,454 equity shares due to acquisition of Federal-Mogul. Federal-Mogul owned Federal-Mogul Holdings Limited and Federal-Mogul Vermogensverwaltungs GMBH through a chain of subsidiaries. Upon completion of the Primary Transaction, 100% of the equity of Federal-Mogul was acquired by Acquirer and Federal-Mogul was merged with and into Acquirer, with Acquirer continuing as the surviving company. Federal-Mogul Holdings Limited holds 60.05% and Federal-Mogul Vermogensverwaltungs GMBH holds 14.93% of the equity voting share capital of the Target Company.	74.98%
Post offer shareholding (On fully diluted basis, as on 10th working day after close of the tendering period) (assuming full acceptance under the offer)	Acquirer's indirect shareholding in the Target Company will be 41,715,454 equity shares and PAC 3 will directly hold 13,916,676 Equity Shares. Accordingly, the aggregate of equity shares directly and indirectly owned by the Acquirer and PACs would be 55,632,130 equity shares.	100%

Sub-point 3 of Point III of DPS shall be read as follows:

Assuming full acceptance under the Offer, PAC 3 shall (i) directly own 13,916,676 Equity Shares of the Target Company representing 25.02% of the equity voting share capital of the Target Company; and (ii) Acquirer shall indirectly own 41,715,454 equity shares of the Target Company representing 74.98% of the equity share voting capital of the Target Company through indirect ownership of Federal-Mogul Holdings Limited and Federal-Mogul Vermogensverwaltungs GMBH which in turn hold 60.05% and 14.93% of the equity voting share capital of the Target Company respectively. Therefore, assuming full acceptance of the Offer, the Acquirer and PACs together shall indirectly/directly own 55,632,130 equity shares representing 100% of the equity voting share capital of the Target Company.

Sub-point 4 of Point IV of DPS shall be read as follows:

The Offer Price is justified, taking into account the following parameters, as set out under Regulation 8(3), Regulation 8(4) and Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations:

a)	Highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under an agreement attracting the obligation to make the PA of the Offer	N.A.
b)	The volume-weighted average price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with the Acquirer, during the 52 (fifty-two) weeks immediately preceding April 10, 2018 (being the earlier of, the date on which the Primary Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to enter into the Primary Transaction is announced in the public domain)	N.A.
c)	Highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with the Acquirer, during the 26 (twenty-six) weeks immediately preceding April 10, 2018 (being the earlier of, the date on which the Primary Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to enter into the Primary Transaction is announced in the public domain)	N.A.
d)	Highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with the Acquirer, between April 10, 2018 (being the earlier of, the date on which the Primary Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to enter into the Primary Transaction is announced in the public domain), and the date of the PA.	N.A.
e)	Volume-weighted average market price of the Equity Shares for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding April 10, 2018 (being the earlier of, the date on which the Primary Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to enter into the Primary Transaction is announced in the public domain), as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares of the Target Company are recorded during such period, provided that such Equity Shares are frequently traded	N.A. (as Equity Shares of the Target Company are listed on BSE and NSE and are infrequently traded within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations)
f)	Fair price of the Equity Shares based on valuation parameters including book value, comparable trading companies and other such parameters as are customary for valuation of shares of such companies under Regulation 8(4) of the SEBI (SAST) Regulations* *(Source: Valuation Report dated April 03, 2019 provided by Hariprakti & Co. LLP, Chartered Accountants.)* *Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants, were appointed by SEBI as an independent valuer pursuant to Regulation 8(16) of the SEBI (SAST) Regulations*	INR 608.46 (Indian Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share
g)	Price of INR 667.50/- (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only) including interest in terms of Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations and additional interest for delay in making Offer.	INR 667.50/- (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only) ***Please refer Note (1) below.***
h)	Per Equity Share value, as required under Regulation 8(5) of SEBI (SAST) Regulations.	N.A. Since - (a) the proportionate net asset value of the Target Company as a percentage of the consolidated net asset value of Federal-Mogul; or (b) the proportionate sales turnover of the Target Company as a percentage of the consolidated sales turnover of Federal-Mogul; or (c) the proportionate market capitalization of the Target Company as a percentage of the enterprise value for Federal-Mogul - is not in excess of fifteen per cent on the basis of the most recent audited annual financial statements, the Acquirer is not required to compute and disclose the per share value of the Target Company along with a detailed description of the methodology adopted for such computation.

Notes:

(1) In accordance with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, in case of an indirect acquisition other than indirect acquisition referred in Regulation 5(2) of SEBI (SAST) Regulations, the offer price shall stand enhanced by an amount equal to a sum determined at the rate of 10% (ten per cent) per annum for the period between the earlier of the date on which the primary acquisition is contracted or the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain, and the date of the detailed public statement, provided that such period is more than five working days.

For disclosure purposes, the Offer Price and Enhanced Offer Price have been rounded to two decimal places.

*The Underlying Agreement was executed on April 10, 2018 and the PA with respect to the Underlying Agreement was made on April 16, 2018. The Primary Transaction contemplated in the Underlying Agreement was concluded on October 1, 2018. In compliance with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price of INR 608.46/- (Indian Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share has been enhanced by INR 30.51/- (Indian Rupees Thirty and Paise Fifty One Only) per Equity Share, being the interest determined at the rate of 10 per cent per annum on the Offer Price for the period between the date of the Underlying Agreement (agreement triggering the Offer) i.e. April 10, 2018 and the date of publication of the DPS i.e. October 9, 2018. Further, as per the final SEBI observation letter dated July 4, 2019, the applicable tendering period would have been from July 22, 2019 to August 2, 2019 with the last date for payment of consideration being August 20, 2019. Subsequent to the SEBI observation letter dated July 4, 2019, legal remedies were pursued at the Honourable Securities Appellate Tribunal ("**SAT**") and the Honourable Supreme Court, and the final order was pronounced by the Honourable Supreme Court on December 16, 2019, leading to a revision in the tendering period to January 6, 2020 to January 17, 2020 with last date for payment of consideration being January 31, 2020. Accordingly, the additional interest for the period between August 21, 2019 to January 30, 2020 is INR 28.53 (Indian Rupees Twenty Eight and Paise Fifty Three Only) per Equity Share. Thus the Enhanced Offer Price is INR 667.50 (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only).*

**Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants, in their valuation report dated April 03, 2019 have mentioned that the fair value for the Equity Shares of the Target Company is INR 608.46 (Indian Rupees Six hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share. They have considered the following valuation methods for arriving at this fair value and have given each of these methods equal weightage: (a) Comparable Companies' Multiples Method/Guideline Company method - EV/EBITDA multiples of comparable companies; and (b) Discounted Cash Flows (DCF) method (c) Net Asset Value Method*

The Offer Price may be revised in the event of any corporate action such as bonus issue, rights issue, stock split, etc., if the record date for effecting such corporate actions falls prior to three working days before the commencement of the Tendering Period of the Offer.

Sub-point 7 of Point IV of DPS shall be read as follows:

In the DPS, an offer price of INR 420.05 (Indian Rupees Four Hundred Twenty and Paise Five Only) per Equity Share was offered, consisting of a base price of INR 400 (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share plus interest of INR 20.05 (Indian Rupees Twenty and Paise Five Only). However, SEBI's observation letters dated March 20, 2019 and July 04, 2019, directed revision of the base offer price upwards from INR 400 (Indian Rupees Four Hundred Only) to INR 608.46 (Indian Rupees Six Hundred Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share. Acquirer filed an appeal against the observation letters received from SEBI at the SAT on April 1, 2019 and July 15, 2019 respectively. SAT passed its orders dated May 16, 2019 and November 7, 2019 respectively. SAT order dated November 7, 2019 was in favour of SEBI. Acquirer along with PACs lodged an appeal with the Honourable Supreme Court on December 3, 2019. The Honourable Supreme Court disposed the appeal on December 16, 2019 and upheld the offer price of INR 608.46 (Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share.

Point V of DPS Financial Arrangement shall be read as follows:

1. Assuming full acceptance, the total fund requirement (including the Enhanced Offer Price) to meet the Offer is INR 928,93,81,230/- (Indian Rupees Nine Hundred and Twenty Eight Crore Ninety Three Lakh Eighty One Thousand Two Hundred and Thirty Only) ("**Maximum Consideration**").
2. The Acquirer has come to an agreement with PAC 1 and PAC 2 on March 28, 2019, whereby PAC 1 and PAC 2 agreed to acquire the shares of the Target Company tendered in the Offer. Such acquisition of shares will be undertaken directly through PAC 3, a wholly-owned subsidiary of PAC 2, as the person acting in concert with the Acquirer.
3. PAC 3 has made firm financial arrangements to fulfil the payment obligations under this Offer, in terms of Regulation 25(1), 27(1)(a) and (b) of the SEBI (SAST) Regulations, and hence the Acquirer/ PACs are in a position to complete the Offer.
4. PAC 3 has confirmed that it has sufficient capital resources for the purpose of providing such commitment. PAC 3 vide its letter dated December 23, 2019 to the Manager to the Offer has confirmed that, based on the aforementioned, it has sufficient means and capability for the purpose of fulfilling the obligations under the Offer and that it has firm arrangements for funds to fulfil the payment obligations under the Offer. After considering the aforementioned, MSKA & Associates, Chartered Accountants (Address: Floor 3, Enterprise Centre, Nehru Road, Near Domestic Airport, Vile Parle (East), Mumbai-400099, India; Telephone: +91 22 3332 1600; Fax number: +91 22 2439 3700; Firm Registration Number: 105047W) has confirmed, by way of a certificate dated December 24, 2019, ("**Firm Financing Certificate**"), that the PAC 3 has adequate financial resources through verifiable means available for meeting its obligations under the SEBI (SAST) Regulations for a value up to the Maximum Consideration.
5. In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the PAC 3 and the Manager to the Offer have entered into an escrow agreement with JPMorgan Chase Bank N.A. (acting through its office at Mumbai, the "**Escrow Agent**") on December 18, 2019 ("**Escrow Agreement**"), and by way of cash deposit for performance by the PAC 3 of its obligations under the SEBI (SAST) Regulations, the PAC 3 has created an escrow account named "IEH Escrow Account" ("**Open Offer Escrow Account**") with the Escrow Agent. The PAC 3 has made an aggregate cash deposit of INR 167,96,76,000.37 (Indian Rupees One hundred and Sixty Seven crores Ninety Six lakhs Seventy Six thousand and Paise Thirty Seven Only) in the Open Offer Escrow Account ("**Escrow Amount**"), which is equal to the amount required to be deposited in cash computed basis the offer size in accordance with regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations.
6. The PAC 3 has mutual fund balance and cash and bank balance as on December 20, 2019 and December 23, 2019 respectively which is more than 100% (one hundred percent) of the Maximum Consideration and to fulfil the payment obligations under the Offer. The balance in mutual fund denotes units/investments in USA Government securities and the IEH confirms that no redemption shall be made of any units from the said balance in mutual fund till the completion of Offer.
7. The source of funds for the Offer shall be a combination of PAC 3's mutual fund balances together with cash and bank balances. MSKA & Associates, Chartered Accountants, by its letter dated December 24, 2019, has confirmed that the mutual fund balances and cash and bank balances available with PAC 3 as of such date that were, in the aggregate, substantially in excess of the Maximum Consideration.
8. The amount deposited in the Open Offer Escrow Account meets the requirement for total sum of (i) 25% of INR 5,00,00,00,000/- (Indian Rupees Five Hundred Crore Only) out of the Maximum Consideration; and (ii) 10% of the balance of the Maximum Consideration, as required under Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations.
9. In case of any upward revision in the Offer Price, the Acquirer/ PACs shall make further deposit into the Open Offer Escrow Account, prior to effecting such revision, to ensure compliance with regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
10. The Acquirer as well as PACs are aware of, and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations. PAC 3 has adequate financial resources to meet the Offer obligations under the SEBI (SAST) Regulations.
11. On the basis of the aforesaid financial arrangements, the undertaking by the PAC 3 and MSKA & Associates, Chartered Accountants' Firm Financing Certificate, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements for funds for payment through verifiable means are in place to implement this Offer.

Sub-point 6 of Point D of Point I and Sub point 1 of Point VI of the DPS and Point 5 of the Corrigendum 1 to the DPS shall be read as follows:

continued on next page...

www.readwhere.com

अब यूपीएससी के जरिए होगी रेलवे में अफसरों की भर्ती

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने गुरुवार को बताया कि रेलवे में अब से सभी नई भर्तियां यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से पांच विशेषज्ञताओं के तहत होंगी। बताते चलें कि कैबिनेट ने इसी सप्ताह आठ सेवाओं का विलय कर उन्हें भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आइआरएमएस) बना दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अन्य अभ्यर्थियों की तरह ही रेलवे में नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के बाद वे पांच विशेषज्ञताओं के तहत आइआरएमएस को चुन सकते हैं। इन पांच विशेषज्ञताओं में से 'तकनीकी' के तहत चार इंजीनियरिंग सिविल, मैकेनिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल के व एक गैर-तकनीकी होगा। गैर-तकनीकी में लेखा, कार्मिक और यातायात क्षेत्र की नियुक्तियां होंगी। यादव ने कहा कि इसकी विस्तृत रुपरेखा तैयार की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि अभ्यर्थी प्राथमिक परीक्षा देंगे और फिर अपनी पसंद चुनेंगे। उन्हें आइआरएमएस परीक्षा में शामिल होने का भी विकल्प दिया जाएगा। यादव ने कहा कि हम पांच विशेषज्ञताओं के तहत हमारी भर्ती को स्पष्ट करते हुए उसका मांगपत्र भेजने वाले हैं। इनमें चार इंजीनियरिंग के हैं और एक गैर इंजीनियरिंग। गैर इंजीनियरिंग वाले में कला संकाय के लोग नियुक्ति पा सकते हैं। इसमें लेखा, यातायात और कार्मिक सेवाएं शामिल होंगी। सभी को एक ही वक्त में पदोन्नति दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, जो कि रेलवे का नया सीईओ भी होगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे सेवा का अधिकारी होगा, वह किसी अन्य सेवा से नहीं आएगा।

'यात्री किराया, माल भाड़ा दरों को तर्कसंगत बनाएंगे'

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को कहा कि रेलवे यात्री और माल भाड़ा दरों को तर्कसंगत बनाने की प्रकिया में है। हालांकि, इस प्रक्रिया के तहत क्या किराया बढ़ाया जाएगा इस बारे में बताने से उन्होंने इनकार किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने घटते राजस्व से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। किराया बढ़ाना एक संवेदनशील मुद्दा है और अंतिम फैसला लेने से पहले इस पर लंबी चर्चा की जरूरत होगी।

मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस शिकायत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है जिसमें कहा गया है कि जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त उन गरीब मरीजों का राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत इलाज नहीं हो पा रहा है, जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। आयोग को इस बाबत शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि बीपीएल कार्डधारक रोगियों को उस स्थिति में आरएएन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि उन्होंने आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लाभ उठाया है और भले ही वे जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हों।

आयोग ने मंत्रालय को उचित कदम उठाने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छह हफ्ते के भीतर भेजने को कहा है। आयोग ने कहा- शिकायकर्ता का कहना है कि इस तरह की विसंगतियों के कारण समाज के सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोग अपने घर व जमीन बेचने और इलाज का खर्च उठाने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने को मजबूर हो जाते हैं।

हरे शंकर इन्वेस्टमेन्ट एंड ट्रेडिंग क. प्राईवेट लिमिटेड
302, प्रैस कॉम्प्लैक्स, ई-13, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
CIN No: U65923DL1993PTC052494
ई-मेल आईडी: hareshanker1993@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 23 दिसम्बर, 2019 को 10.30 बजे पूर्वा. में 10 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी सार्वजनिक से प्राईवेट कम्पनी में रुपांतरण के उपरांत कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा जारी की गई निगमन के नये प्रमाण पत्र की सूचना प्रकाशित करने के लिये उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी।

हस्ता./-
स्थानः दिल्ली भागवत प्रसाद बंसल
तिथिः 27.12.2019 (निदेशक)

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष [illegible] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
एनआरएसएस एक्सएक्सएक्सआई (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड
(CIN: U40106DL2013PLC256049)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एसेल हाउस, बी-10, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली-110035 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
[illegible] "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में बदलने हेतु मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को पारित किया गया।
[illegible] (www.mca.gov.in) [illegible] एसेल हाउस, बी-10, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली-110035 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।
कृते एनआरएसएस एक्सएक्सएक्सआई (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड
[illegible]
(निदेशक)
दिनांक: 26 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 08414988

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
वर्ष 2020-2021 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेट फर्मो/एल.एल.पी को सूचीबद्ध करने हेतु

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) के अंतर्गत कंपनियों के तथा सॉविधिक निगमों/स्वायत्त निकायों के उनके संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्ष 2020-2021 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में सूचीबद्ध होने हेतु इच्छुक चार्टर्ड एकाउंटटेन्ट फर्म/एल.एल.पी. से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा विस्तृत निर्देश हमारी वेबसाइट www.cag.gov.in पर 1 जनवरी 2020 से 14 फरवरी 2020 तक उपलब्ध होंगे। फर्म/एल.एल.पी. अपनी 1 जनवरी 2020 की स्थिति दर्शाते हुए आवेदन डाटा भर/अपडेट कर सकते हैं। डाटा भरने/अपडेट करने के पश्चात् उन्हें इस वर्ष के लिए ऑनलाइन पावती पत्र जनरेट करना है। यदि फर्म/एलएलपी ऑनलाइन पावती जनरेट नहीं करते हैं तो सूचीबद्धता के लिए उनका आवेदन नहीं माना जाएगा। फर्म/एलएलपी को ऑनलाइन पावती पत्र की प्रतिलिपि के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर दिनांक 28 फरवरी 2020 तक जमा करवाने होंगे।

हस्ता./-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
davp 51101/11/0014/1920 लेखापरीक्षा-पंचम

राहुल झूठों के सरदार : भाजपा

कांग्रेस नेता द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुरुवार को पलटवार करते हुए उन्हें झूठों का सरदार कहा। भाजपा ने कहा कि असम में निरोध केंद्र (डिटेंशन सेंटर) तब बने थे जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह कांग्रेस सत्ता में थी।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि रफाल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के बाद राहुल गांधी अब निरोध केंद्रों के मुद्दे पर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल यह कहा कि ऐसा कोई निरोध केंद्र नहीं है जहां भारत के मुसलिमों को एनआरसी के बाद रखा जाएगा। पात्रा ने कहा कि 2011 में तत्कालीन कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान और 2012 में पार्टी नीत सरकार द्वारा विदेशियों के मुद्दे पर जारी श्वेतपत्र दिखाया और दावा किया कि इन दस्तावेजों के अनुसार राज्य में निरोध केंद्र स्थापित किये गए। उन्होंने कहा-राहुल गांधी झूठों के सरदार हैं। असम में तीन निरोध केंद्र तब बने थे जब उनकी पार्टी केंद्र और राज्य दोनों ही जगह सत्ता में थी। इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में निरोध केंद्र के मुद्दे पर देश से झूठ बोल रहे हैं। असम में डिटेंशन सेंटर से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए गांधी ने ट्वीट किया- आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भाजपा की एक रैली में कहा था कि देश में निरोध केंद्र को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें सरासर झूठ हैं। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने जो खबर शेयर की है उसके मुताबिक असम में हिरासत केंद्र मौजूद हैं।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना निविदा सूचना सं0 ETC/MU/T-203/2019-20 के सम्बन्ध में सूचित करना है किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा में प्रतिभाग न किये जाने के फलस्वरूप निविदा को दिनांक 06.01.2020 तक विस्तारित किया जाता है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। ''राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें'' पत्रांक/No./2623/वि.पा.म. (ETC)/मु. नगर (MZN)/ दिनांक/ DATED 26.12.2019

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन,सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष।
कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियमावली-2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में।
एवं
रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
[CIN: U52609DL2012PTC231979]
जिसका पंजीकृत कार्यालय :10138, ईस्ट पार्क रोड, नियर फिल्मिस्तान सिनेमा, दिल्ली-110005, में है, के मामले में।
......(याचिकाकर्ता)
आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर गुजरात राज्य में स्थानांतरित करने के लिये 19 नवम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन के खंड-2 में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उनके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें:
10138, ईस्ट पार्क रोड, नियर फिल्मिस्तान सिनेमा, दिल्ली-110005
आवेदक की ओर से और उसके लिये
रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
विजय गुप्ता
निदेशक
DIN: 05237347
दिनांक: 24.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

विश्वविद्यालयों में शोध डिग्री या नौकरी के लिए नहीं होने चाहिए : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान और अन्य विश्वविद्यालयों में हर साल बड़ी संख्या में शोध हो रहे हैं लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि इनका उपयोग कहां हो रहा है। शोध सिर्फ डिग्री या नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि इसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। यह बातें केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पांच पहलों (दिशानिर्देशों व रूपरेखाओं) के उद्घाटन के मौके पर गुरुवार को कही। कार्यक्रम में यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य आदि उपास्थित थे।

मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने हर विश्वविद्यालय में हो रहे शोधों की सूची मंगाई और जाना की वहां क्या और किस तरह के शोध हो रहे हैं। साथ ही मैंने यह भी जांच की इन शोधों का उपयोग कहां हुआ। इससे मुझे पता चला कि हम देश का कितना समय और पैसा खराब कर रहे हैं। जब एक विषय पर शोध हो चुका है तो दूसरा व्यक्ति उसी पर शोध कर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहा है। मंत्री ने यूजीसी से कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि वह सभी विश्वविद्यालयों को यह सूची जारी करे कि किन-किन विषयों पर शोध हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि इस तरह से तो हम विश्व को नेतृत्व नहीं दे पाएंगे।

मंत्री ने कहा कि हम 'लीड' कार्यक्रम के तहत अपने शिक्षकों में नेतृत्व क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिसर की समस्याओं का सामना करने के लिए भी नेतृत्व क्षमता जरूरी है।

डाबर इंडिया लिमिटेड
CIN - L24230DL1975PLC007908
पंजीकृत कार्यालयः 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002
Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051
Website - www.dabur.com; e-mail:investors@mail.dabur

सूचना

सेबी के सूचीयन विनियम के विनियम 47(1)(A) के तहत एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 30 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो रहे कंपनी के तिमाही / नौ माह के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जायेगा।
निवेशक हमारी वेबसाइट www.dabur.com एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, और www.bseindia.com भी देख सकते हैं।

कृते डाबर इंडिया लिमिटेड
(ए.के. जैन)
कार्यकारी उपाध्यक्ष (वित्त) एवं कंपनी सचिव
नई दिल्ली
26 दिसम्बर, 2020

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, 1ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,
फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.10.2019 जारी कर ऋणधारक, श्री आफताब हुसैन, पुत्र श्री अदूलिश, एच.नं. 4238, भू तल, आईपी एक्स्टें, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद-121001 तथा गारन्टरों: 1) श्री ताहिर हुसैन, पुत्र श्री अभूलिश हुसैन, एच.नं. 425, टैगोर गार्डन एक्स्टें., चीनू चाट के निकट, नई दिल्ली-110027 2) श्री आफताब हुसैन एवं ताहिर हुसैन, सी/ओ जेनपत इंडिया प्रा.लि., प्लॉट नं. 22 सेक्टर-8, उद्योग नगर, गुड़गाँव-122025 3) श्री ताहिर हुसैन, पुत्र श्री अभूलिश हुसैन, एच.नं. 1278, भूतल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद-121001 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 43,00,324.00 (रुपये तैंतालिस लाख तीन सौ चौबीस मात्र)+7.10.2019 से अनुबंधित दर पर ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 43,00,324.00 (रुपये तैंतालिस लाख तीन सौ चौबीस मात्र)+7.10.2019 से अनुबंधित दर पर ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. प्लॉट सं. 4238, भूतल, आईपी एक्स्टें., सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 27.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
132 के.वी. उपकेन्द्र पुवायां रोड, शाहजहांपुर (उ.प्र.)-242001

निविदा सूचना संख्या 07/2019-2020

सहायक अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड शाहजहाँपुर के प्रयोगार्थ एक नग डीजल चालित हल्का वाहन वर्ष 2018 या उसके बाद का माडल (चालक सहित) नौ माह के लिए मासिक किराये पर रखने हेतु सीलबन्द निविदायें निर्धारित निविदा प्रपत्र पर दो भागों में अनुभवी एजेन्सी/फर्मों द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। भाग एक में धरोहर धनराशि रुपये 3000/- जो एफ.डी./बी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड शाहजहांपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। भाग दो में दर नियम एवं अन्य शर्ते होनी चाहिए। निविदा दिनांक 30.01.2020 को 12.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन 15.00 बजे निविदा दाताओं या उससे अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र संख्या 07/2019-2020 का मूल्य रुपये 224/- (जी.एस.टी. सहित) मात्र होगा जो इस कार्यालय से प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र www.upptcl.org पर भी उपलब्ध है। निविदा का क्रय करना अनिवार्य है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। हस्ता/-अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड उ.प्र.पा.ट्रॉ. का. लि., 132 के.वी. उपकेन्द्र पोवायाँ रोड शाहजहांपुर ''राष्ट्र हित में बिजली बचायें।'' पत्रांक 167/वि.परी.एवं परि.खं.(शा) निविदा सख्या 07/2019-20 दिनांक/Date :26/12/2019

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S ANNIES APPAREL PRIVATE LIMITED
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	PROACTIVE PLAST PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	21/04/2005
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U25203DL2005PTC135194
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A) Regd Off: W-68, Ground Floor, Right Side, Greater Kailash-II, New Delhi 110019 B) Principal Office: Plot No. 274- 275,280- 281, Ecotech -1 Extension, Greater Noida, U. P.
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	14.10.2019 (Order received on 31.10.2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	27.12.2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The Interim Resolution Professional by email at: iprakeshJ1@gmail.com rakeshjainca@rediffmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	The Interim Resolution Professional by email at: iprakeshJ1@gmail.com rakeshjainca@rediffmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	12.01.2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	21.01.2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	26.01.2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	05.02.2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	26.01.2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Interim Resolution Professional by email at: iprakeshJ1@gmail.com rakeshjainca@rediffmail.com
16.	Last date for submission of resolution plans	26.02.2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed envelope by post/ by hand to Interim Resolution Professional at the correspondence address. It should also be submitted in electronic mode in a password protected pen drive.
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	14.03.2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Rakesh Kumar Jain Regd No: IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, New Delhi- 110035 rakeshjainca@rediffmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035 iprakeshJ1@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	The Interim Resolution Professional by email as mentioned in column No.9.
23.	Date of publication of Form G	27.12.2019

RAKESH KUMAR JAIN
Interim Resolution Professional
PROACTIVE PLAST PRIVATE LIMITED
Regd No:IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068
Regd Address: 1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri Nagar, New Delhi- 110035
Date and Place:27/12/2019 and New Delhi

...continued from previous page

In view of an application made by the Acquirer before the Competition Commission of India ("CCI") under section 6(2) of the Competition Act, 2002 read with the Competition Commission of India (Procedure in regard to transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, the CCI vide its order dated June 5, 2018, opined that the proposed combination is not likely to have an appreciable adverse effect on competition in India and approved the same.

Further, in view of an application jointly made by the PACs before the CCI under section 6(2) of the Competition Act, 2002 read with the Competition Commission of India (Procedure in regard to transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011 and the CCI vide its order dated September 23, 2019, approved the proposed combination.

Point VII of DPS shall be read as follows:

SCHEDULE OF MAJOR ACTIVITIES RELATING TO THE OFFER

Activity	Day and Date	
	Original	Revised
PA Date	Monday, 16 April 2018	Monday, 16 April 2018
Date of publication of the DPS	Tuesday, October 9, 2018	Tuesday, October 9, 2018
Date by which DLoF is to be filed with the SEBI	Tuesday, October 16, 2018	Tuesday, October 16, 2018
Last date for a competing offer (within 15 (fifteen) Working Days of the DPS)	Wednesday, October 31, 2018	Wednesday, October 31, 2018
Last date for SEBI observations on the DLoF (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Friday, November 9, 2018	Wednesday, March 20, 2019
Appeal 1 filed by Acquirer with Securities Appellate Tribunal (SAT)	-	Monday, April 01, 2019
SAT Order/Decision for the Appeal 1	-	Thursday, May 16, 2019
SEBI Observations on the DLoF -upholding the revised offer price	-	Thursday, July 04, 2019
Appeal 2 filed by Acquirer with Securities Appellate Tribunal (SAT)	-	Monday, July 15, 2019
SAT Order/Decision for the Appeal 2	-	Thursday, November 07, 2019
Appeal 3 filed by the Acquirer with the Supreme Court	-	Tuesday, December 03, 2019
Supreme Court Order	-	Monday, December 16, 2019
Identified Date*	Tuesday, November 13, 2018	Friday, December 20, 2019
Last date by which Letter of Offer ("LoF") will be dispatched to the Eligible Shareholders	Tuesday, November 20, 2018	Monday, December 30, 2019
Last date by which the committee of independent directors constituted by the Board of Directors of the Target Company shall give its recommendation (up to 2 (two) working days prior to the commencement of the Tendering Period)	Monday, November 26, 2018	Wednesday, January 1, 2020
**Last date for the revision of the Offer Price/number of Equity Shares (Prior to the commencement of last 1 (one) Working Day before the commencement of the Tendering Period)	Thursday, November 22, 2018	Thursday, January 2, 2020
Date of Advertisement announcing the schedule of activities for the open offer, status of statutory and other approvals, status of unfulfilled conditions (if any), etc. in the newspapers in which the DPS has been published	Wednesday, November 28, 2018	Thursday, January 2, 2020
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Thursday, November 29, 2018	Monday, January 6, 2020
Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Wednesday, December 12, 2018	Friday, January 17, 2020
Last date of communicating the acceptance/ rejection and payment of consideration (net of applicable taxes) or refund of Equity Shares under the Offer to the Eligible Shareholders	Thursday, December 27, 2018	Friday, January 31, 2020
Last date for publication of post-offer public announcement in the newspapers in which the DPS had been published	Thursday, January 3, 2019	Friday, February 7, 2020

*Date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of the Tendering Period. The Identified Date is only for the purpose of determining the Eligible Shareholders as on such date to whom this Letter of Offer would be sent. All the Eligible Shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares of the Target Company are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Tendering Period.

**change in SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018, w.e.f. 11-09-2018, prior to this, it was "three working days".

Point VIII Procedure for tendering the Shares in case of Non Receipt of LoF shall be replaced:

a. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the LoF, may also participate in this Offer.

b. Eligible Shareholders may participate in the Offer by approaching their Selling Broker and tender the Equity Shares in the Offer as per the procedure mentioned in the LoF or in the relevant Form of Acceptance-cum-Acknowledgment.

c. In case of non-receipt of the LoF, such Eligible Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares.

d. Alternatively, in case of non-receipt of the LoF, the Eligible Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client identification number, DP name, DP identification number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Eligible Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the Designated Stock Exchange before the Closure of the Tendering Period.

Procedure to be followed by the Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form:

a. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 03, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019.

b. Accordingly, the Eligible Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialised. Such Eligible Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialised.

Sub-point 7 of Point VIII of DPS shall be read as follows:

The Acquirer along with PACs has appointed Pravin Ratilal Share And Stock Brokers Limited ("**Buying Broker**") as their broker for the Offer through whom the purchase and settlement of the Equity Shares tendered in the Offer will be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name of Broker	**Pravin Ratilal Share And Stock Brokers Limited**
Address of Broker	"Sakar-1", 5th floor, opp. Gandhigram Railway Station, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009
Telephone No.	+91-79-26553700/792
Fax No.	+91-79-26582331
Email of Broker	info@prssb.com
CIN	U67120GJ1994PLC022117
Contact Person	Dhwani S. Jamnarwala
SEBI Registration Details	INZ000206732

This Corrigendum 2 to the DPS is being issued on behalf of the Acquirer and PACs, by the Manager to the Offer i.e. CKP Financial Services Private Limited.

If the Eligible Shareholders have any queries, they should consult the Manager to the Offer (details appearing below).

A copy of this Corrigendum 2 is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in.

MANAGER TO THE OFFER

CKP Financial Services Private Limited
Delsol, 1st floor, CTS No. C/597 & C/598, D'Monte Park Road,
Near Bandra Gymkhana, Bandra (West), Mumbai-400050, India
Tel: +91-9322997964. E-mail: fmgi.openoffer@ckpfinancialservices.com
Contact Person: Mr. Brijesh Parekh

Issued for and on behalf of the Acquirer and PACs

Acquirer	PAC 1	PAC 2	PAC 3
Tenneco Inc. 3411 Silverside Road, Tatnall Building #104, Wilmington, DE 19810/ 500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, United States of America	**Icahn Enterprises LP** 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America.	**American Entertainment Properties Corp.** 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America.	**IEH FMGI Holdings LLC** 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America.

Place: Mumbai
Date: December 26, 2019

2

www.readwhere.com

भीम यूपीआइ से भी रिचार्ज होगा फास्टैग

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) ने ग्राहकों को एनईटीसी फास्टैग को भीम यूपीआइ से रिचार्ज करने का विकल्प उपलब्ध कराया है।

एनपीसीआइ ने गुरुवार को बयान में कहा कि भीम यूपीआइ आधारित मोबाइल एप के जरिए वाहन मालिक रास्ते में चलते-चलते भी अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे और उन्हें टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) को भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोल की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

उपभोक्ता अब भीम यूपीआइ आधारित मोबाइल एप पर लॉग इन फास्टैग खाते को रिचार्ज कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को 15 दिसंबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है। एनपीसीआइ की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीना राय ने कहा- ग्राहकों को एनईटीसी फास्टैग का बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना हमारा मकसद है। हमारा विश्वास है कि इस सुविधा से उन्हें टोल भुगतान के लिए एक सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी माध्यम मिल सकेगा।

नए 5जी स्पेक्ट्रम के लिए ट्राई के विचार लेगा दूरसंचार विभाग, 2020 में बिक्री का इरादा

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) 5जी बैंड में 24.75-27.25 गीगाहट्र्ज के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के मूल्य और अन्य तौर तरीकों पर जल्द भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की राय लेगा। दूरसंचार विभाग का इरादा इस नए स्पेक्ट्रम की बिक्री अगले साल किसी समय करने का है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) द्वारा 20 दिसंबर को 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी गई है। यह नया 5जी स्पेक्ट्रम इससे अलग है। डीसीसी द्वारा दी गई मंजूरी के तहत मार्च-अप्रैल, 2020 में 22 सर्किलों में 8,300 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा जाएगा। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द 24.75-27.25 गीगाहट्र्ज वाले 'मिलीमीटर वेव बैंड' के लिए ट्राई के सुझाव मांगेगी। यह 5जी के लिए अत्यधिक मांग वाला बैंड है।

कोयला उत्खनन में एफडीआइ, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की तैयारी

नई दिल्ली, 26 दिसंबर। सरकार ने 2019 में कोयला क्षेत्र को विस्तृत बनाने की जमीन तैयार की और अब उसकी योजना कोयला उत्खनन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा भूमिगत कोयला गैसीकरण व कोल बेड मिथेन को गति देने की है। कोयला मंत्रालय में अधिकारी ने कहा- इस साल (2019) में हम कोयला क्षेत्र को विस्तृत बनाने की जमीन तैयार करने में सक्षम हुए। अब अगले साल में देश में कोयला उत्खनन को विस्तृत बनाने तथा इसमें निजी क्षेत्र को शामिल करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी देने को आशान्वित हैं। **(भाषा)**

सूचकांक 297 अंक टूटा

मुंबई,26 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और सूचकांक 297 अंक और टूट गया। दिसंबर के डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिन में कारोबार के दौरान एक समय 328.37 अंक तक नीचे आ गया था। अंत में यह 297.50 अंक या 0.72 फीसद के नुकसान से 41,163.76 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 41,132.89 अंक तक नीचे आया।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंक या 0.72 फीसद के नुकसान से 12,126.55 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में भारती एअरटेल में सबसे अधिक 2.23 फीसद की गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, सनफार्मा, एचडीएफसी बैंक, मारुति, टाइटन और कोटक बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर ओएनजीसी, एनटीपीसी, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.63 फीसद तक चढ़ गए। कारोबारियों ने कहा कि दिसंबर के वायदा एवं विकल्प अनुबंधों के निपटान की वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। इसके अलावा वर्ष समाप्त होने से पहले छुट्टियों की वजह से भी बाजार में निवेशकों की भागीदारी कम हुई है।

जियोजीत फाइनेंशियल सिर्वसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- छुट्टियों की वजह से कम कारोबारी सत्र वाले सप्ताह के बीच बाजार स्थिर रुख के साथ खुला। हालांकि, वायदा व विकल्प निपटान की वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चला। इसके अलावा विनिवेश योजना में संभावित विलंब की वजह से सरकार का राजकोषीय गणित भी गड़बड़ा सकता है जिसको लेकर निवेशक चिंतित हैं। नायर ने कहा कि व्यापार को लेकर तनाव कम होने से वैश्विक बाजारों की स्थिति सुधरी है। घरेलू बाजारों को अब बजट से संकेतकों का इंतजार रहेगा। बीएसई मिडकैप में 0.13 फीसद की गिरावट रही।

'भारत 2020 तक 100 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता को हासिल कर लेगा'

नई दिल्ली, 26 दिसंबर । भारत 2020 तक 100 गीगावॉट (एक लाख मेगावॉट) अक्षय ऊर्जा क्षमता को हासिल कर लेगा और 2022 तक 175 गीगावॉट क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर नजर रखती है और उनका समाधान समय पर कर पाती है, तो भारत इन लक्ष्यों को पा सकता है। हालांकि, सरकार को चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भंडारण को प्रोत्साहन देना होगा। अभी देश में कोयला आधारित ताप बिजली घर बिजली के प्रमुख स्रोत हैं। अभी देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष कई दिक्कतें आ रही हैं। मसलन वित्तीय संस्थान अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में हिचकिचाते हैं। **(भाषा)**

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) अधिनियम 2013 की धारा 13 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (a) के मामले में

और

सी-वोटर न्यूज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड [illegible]

......आवेदक

[illegible] **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **सोमवार 23, दिसम्बर 2019** को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में [illegible]

[illegible]

3026/3ई, फर्स्ट फ्लोर स्ट्रीट नंबर, रणजीत नगर, निकट हनुमान चौक, वेस्ट दिल्ली-110008

कृते और के लिए सी-वोटर न्यूज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./- निदेशक

तिथि : 26.12.2019

स्थान : दिल्ली

[illegible]

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियमों 2014 के नियम 30 के तहत)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,नई दिल्ली-110003 के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियमों, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

तथा

मीडिया मैट्रिक्स एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड [illegible]

........आवेदक

[illegible] **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरण हेतु [illegible] **20 दिसम्बर, 2019** [illegible]

[illegible] **क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003** [illegible]

कृते व आवेदक की ओर से मीडिया मैट्रिक्स एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

दिनांक : 27.12.2019

स्थान : नई दिल्ली

[illegible]

बसिस्ट फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड

814-ए, विकास दीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, दिल्ली-110092

CIN No: U65923DL1996PTC079758

Email Id: bflpvtld1996@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 23 दिसम्बर, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में 19 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी सार्वजनिक से प्राईवेट कम्पनी में रुपांतरण के उपरांत कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा जारी की गई निगमन के नये प्रमाण पत्र की सूचना प्रकाशित करने के लिये उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी।

हस्ता./-

स्थानः दिल्ली नारायण सिंह माहर

तिथिः 27.12.2019 (निदेशक)

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सी) डीआर. XI

कक्ष सं. 308, वरुणालय फेज-I, करोल बाग

नई दिल्ली-110005

टेलीफैक्स : 011-23554487, ई-मेल : eecdr11.djb@nic.in

अल्प नि.आ.सू. सं. 4(2019-20)

(प्रेस निविदा)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु.	ई-प्रापण माध्यम से निविदा निर्गमन की तिथि	ई-प्रापण माध्यम से निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि/समय
1	इंटरसेप्टर पम्प हाउस से एसटीपी रोहिणी सेक्टर-25 तक सीवेज के परिवहन हेतु 800 मिमी डाया राइजिंग मेन का बिछाव एवं जुड़ाव	रु. 2,05,92,766/-	24.12.2019 को 17.00 बजे से निविदा आईडी : 2019_डीजेबी_186405_1	10.01.2020 को 15:00 बजे तक

पूर्व संविदा बैठक 30.12.2019 को 11:00 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(डीआर)पीआर-IV, दिल्ली जल बोर्ड, कक्ष सं. 112, वरुणालय, फेज-I, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर आयोजित की जायेगी। इस सम्बन्ध में अधिक विवरण दिल्ली सरकार की वेबसाइट http://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है। कोई भावी शुद्धिपत्र/संयोजन/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जायेगा।

जारीकर्ता : पी.आर.ओ. (जल)

विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 715/2019-20

अ.अ.(सी)डीआर. XI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निविदा सूचना

अध्यक्ष, भाविप्रा की ओर से एजीएम (ई-सी), भाविप्रा द्वारा **"इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पर्यावरणीय सहायक सेवाएं (देखरेख)"** कार्य के लिए योग्य ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आईडी नं. **2019_AAI_37837_1** एवं कार्य की अनुमानित लागत **रु. 2,19,49,690.00 (सभी कर सहित एवं जीएसटी रहित)** है। स्वीकृत समय: **36 (छत्तीस) माह।** निविदा दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री प्रारंभ तिथि **27.12.2019** को **9.30** बजे से एवं निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **08.01.2020** को **1800** बजे तक है। विस्तृत विवरणों के लिए **https://etender.gov.in/eprocure/app** या **www.aai.aero** देखें। इस संबंध में आगे स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा, तो उसे केवल भाविप्रा वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

एजीएम (ई-सी)

इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट द्वारा [illegible] कोलकाता [illegible] हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन आमंत्रण सूचना के दस्तावेज दिनांक 27.12.2019 से [illegible] उपलब्ध होंगे।

[illegible] की वेबसाइट www.aai.aero [illegible] शुद्धिपत्र/अनुपूरक, यदि कोई हुआ, केवल भाविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

एयरपोर्ट निदेशक

इंडियन बैंक Indian Bank

Digital Banking Division, Corporate Office, No 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

Indian Bank, a leading Public Sector Bank, is interested in:

1) Implementing Tokenization of Debit Card Numbers Stored in HP Non-Stop Server Database.

2) Supply, Installation and Maintenance of 1,000 Nos. of Self Service Passbook Kiosks with QR Code Printer.

Interested parties may refer Bank's website: https://www.indianbank.in/tenders for details.

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN-L45203DL1976GOI008171, वेबसाइट : www.ircon.org

ई-प्रोक्यूरमेंट सूचना

ई-निविदा सं.: IRCON/1036/SJ-RS/CABLE TENDER दिनांक : 26.12.2019

आरएलडीए के लिये और उनकी ओर से **"सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु रेलवे सिग्नलिंग केबल की आपूर्ति"** के कार्य के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने वाले निविदादाताओं से ई-निविदा आमंत्रित है।

कार्य की अनुमानित लागत	: ₹42.31 लाख
ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	: 16.01.2020 को 15:00 बजे तक (भामास)

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **https://etenders.gov.in/eprocure/app** देखें। शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

मुख्य महाप्रबंधक/एसएंडटी

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सं. एनएफएल/सीएमओ/सोडियम नाइट्राइट/2019/02/ दिनांक : 24.12.2019

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

एनएफएल, नंगल से 1500 एमटी **सोडियम नाइट्राइट की बिक्री** के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण के लिए वेबसाइट **www.nationalfertilizers.com** तथा **www.tenderwizard.com** देखें। ई-निविदा एनएफएल-1628 की बोली जमा करने की अंतिम तारीख **3 जनवरी, 2020 (अपराह्न 2.00 बजे भामास)** है। यदि कोई शुद्धिपत्र/संशोधन होगा तो, केवल एनएफएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

महाप्रबंधक (विपणन)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

TATA शाखा पताः 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5518392, 6130455, 6130466 मीठी इंटेरियर्स प्रा.लि.

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की 1. मीठी इंटेरियर्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री मिथिलेश झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, 2. मिथिलेश कुमार झा पुत्र राजेन्द्र झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : ए-903, प्लॉट नं. 3 डी अप्पू एन्कलेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075, स्व. श्री राजेन्द्र झा के कानूनी उत्तराधिकारी, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075,

3. अन्नपूर्णा झा पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : ए-903, प्लॉट सं. 3 डी अप्पू एन्कलेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : यूनिट नं. टी 2 से टी 9, तीसरा तल, पंकज आर्केड, एमएलयू पॉकेट सेक्टर-5, प्लॉट नं. 16, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को 16 मई, 2019 को तीन ऋण खाताओं ऋण सं. 6130466, ऋण संख्या 6130455, एवं ऋण सं. 5518392 में रु. 2,65,96,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानबे हजार छः सौ सात मात्र) की राशि की वसूली के लिये **"जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर** 14 जनवरी, 2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 16 मई, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ तीन ऋण खाताओं ऋण सं. 6130466, ऋण संख्या 6130455, एवं ऋण सं. 5518392 में रु. 2,65,96,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानबे हजार छः सौ सात मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 14 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 13 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक
कॉमर्सियल शॉप/ कार्यालय/ यूनिट नं. टी 2, 3, टी 4, टी 5, टी 6, टी 7, टी 8, टी 9 तीसरा तल जो पंकज आर्केड प्लॉट नं. 16, एमएलयू पॉकेट, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित है जिसका विशेष विवरण बिक्री प्रलेख में दिया गया है।	भौतिक
आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 2,04,19,295/-	धरोहर राशि (रु.): रु. 20,41,930/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 14 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण **3 जनवरी, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं** तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणों: शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड (डिस्पोजल हब), नामः हमारे बिक्री पार्टनर का क्लाइन्स सर्विस डेलिबरी (सीएसडी), द्वारा ई-मेल आईडीः csd@disposalhub.com टेली. नं.: +91 124 4233, 933, मोबाईल नं.+91 9810029926 एवं +91-9999105933 से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्या, ई-मेलः Ayan.Bhattacharya@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाइट अर्थात् www.tat-acapital.com में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली/ एनसीआर हस्ता./-

तिथिः 27.12.2019 (प्राधिकृत अधिकारी),

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. मो. नं. 7290010751

फ़ोनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल 158 दानी कॉर्पोरेट पार्क, सी.एस.टी रोड, कलिना, सांताक्रूज़ (ई), मुंबई-400098, टेलीः 022-6741 2314, फैक्सः 022-6741 2313 ई मेलः info@phoenixarc.co.in, website: www.phoenixarc.co.in

एसएआरएफएईएसआई अधि. नियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण(ओं) का लाभ उठाया है और आप इसका पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं। आपकी ओर से पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋणों को नॉन-परफार्मिंग एसेटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा बाद में एसाईमेंट डीड 25/12/2018 मे माध्यम से BFL ने उसके पुर्नभुगतान के लिए अचल सम्पत्तियों के संदर्भ में निर्मत प्रतिभुति हित के साथ उक्त ऋिणों की वसूली के लिए आपके द्वारा निस्पादित दस्ताबेजो के अनुसार सभी अधिकार, टाईटल हितो,लाभों,आपसी वसूल कि जाने वाली बकायों को फोनिक्स आर्क प्रा. ली. (फोनिक्स आर्क एफ. वाफ 19-5 योजना ई के रुप में कार्यरत) को सौप दिया है, उक्त असाइनमेंट का अनुसरण करते हुए बकाया राशि की वसूली और उल्लिखित असाइनमेंट के अलग-अलग दस्तावेज़ के माध्यम से सभी अधिकार, हक विलेख और ब्याज के साथ ऋण खाते, लाभ प्राप्तियों के अधीन फ़ोनिक्स आर्क ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमए 2002 की धारा 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तरहत इस विषय पर वैकल्पिक सेवा के माध्यम से यह सूचना प्रकाशित की जा रही है।

उक्त धारा 13(2) के तहत कर्जदारों, सह-कर्जदारों, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया राशि का विवरण, भेजी गई मांग सूचना और दावा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

क्रम सं.	ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. मांग सूचना तिथि 2. बकाया राशि (रु. में)
1.	श्री देव कुमार घोषाल, पुत्र स्व. ए.डी. घोषाल, एवं चौताली घोषाल, पत्नी देव कुमार घोषाल, दोनोंः फ्लैट नं. ई-43 (दूसरा तल), ऑक्सफोर्ड अपार्टमेन्ट प्लॉट नं. 11, आई.पी.एक्स्टे., पटपड़गंज, दिल्ली-110092, साथ ही दोनोंः फ्लैट नं. 30-बी, जे एंड के पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095, श्री देव कुमार घोषाल, पुत्र ए.डी. घोषाल, साथ हीः फ्लैट नं. 10, देश बंधु अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 15, आईपी एक्स्टेंशन्स, दिल्ली-110092 ऋणखाता सं. 5617869 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 70,10,000/- (रुपये सत्तर लाख दस हजार मात्र)	प्लॉट नं. 11, ऑक्स्फोर्ड अपार्टमेन्ट, आई.पी. एक्स्टेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 में ऑक्सफोर्ड को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लि. की ले आउट योजना में स्थित फ्री होल्ड बिल्ट अप डुप्लेक्स फ्लैट नं. ई-43, 2रा तल जिसमें दो बेड रूम, एक ड्राइंग सह डायनिंग रूप, एक किचन, एक स्टडी रूम, दो टॉयलेट्स सह बाथरूम तथा तीन बॉल्कॉनी शामिल हैं, जिसके प्लिन्थ/कवर्ड एरिया की माप 107 वर्ग मी. जिसके क्षेत्रफल की माप लगभग 1143 वर्ग फीट (चार मंजिला फ्लैट) है, में सभी सुविधाओं के साथ सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। मार्टगैजर का नामः श्री देव कुमार घोषाल, पुत्र स्व. ए.डी. घोषाल एवं श्रीमती चौटाली घोषाल, पत्नी देव कुमार घोषाल	1. 26.11.2019 2. 25.11.2019 को रु. 9845770/- (रुपये अन्ठानवे लाख पैंतालिस हजार सात सौ सत्तर मात्र) के साथ 26.11.2019 से सम्पूर्ण भुगतान तक लागू दर पर आगे पर आगे का ब्याज

अतः आप ऋणधारक/ कों तथा सह-ऋणधारकों कों निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित रूप में आगे के ब्याज के साथ मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षर ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिये अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिये वाध्य होंगे। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा उक्त प्रावधान में दी गई अवधि में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने के लिये आप स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसारी हमारी सहमति के बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने से वंचित हैं।

स्थानः दिल्ली फीनिक्स आर्क प्राईवेट लिमिटेड के लिये

तिथिः 26.11.2019 प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक

रजौरी गार्डन शाखा (0193)

एफ-105, बाली नगर, नई दिल्ली-110015, फोनः 011-25105131, 25432494

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.2.2019 जारी कर मै. इन्टरनेशनल क्वॉयल लि., पंजीकृत कार्यालयः ए-21/24, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110028 (यहाँ के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित)/मै. यूनीऐरे प्रा.लि., नं. 21/24, ब्लॉक ए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110028 (यहाँ के बाद ''मार्टगैजर/कार्पोरेट गारन्टर'' वर्णित)/मै. शुर-कुट हीट ट्रान्सफर प्रा.लि., जे-9/55सी, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 (यहाँ के बाद ''मार्टगैजर/कार्पोरेट गारन्टर'' वर्णित)/श्री जगजीत सिंह, बिला नं. 17, तत्वम बिल्ला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव-122004 (यहाँ के बाद पर्सनल गारन्टर/मार्टगैजर वर्णित)/श्री अमरदीप सिंह, बिल्ला नं. 18, तत्वम बिल्ला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव-122004 (यहाँ के बाद पर्सनल गारन्टर/मार्टगैजर वर्णित)/श्री परमजीत सिंह, बिल्ला नं. 26, (यहाँ के बाद ''पर्सनल गारन्टर'' वर्णित)/श्री सूचा सिंह, बिला नं. 26, तत्वम बिला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव-122004 (यहाँ के बाद ''पर्सनल गारन्टर'' वर्णित) मै. क्वॉयल कम्पनी लि., 21/24, ब्लॉक-ए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110028 (यहाँ के बाद ''कॉर्पोरेट गारन्टर'' वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 6.02.2019 को रु. 26,08,87,480.21 (रुपए छब्बीस करोड़ आठ लाख सत्तासी हजार चार सौ अस्सी एवं पैसे इक्कीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, घटाकर 6.02.2019 को रु. 26,08,87,480.21 (रुपए छब्बीस करोड़ आठ लाख सत्तासी हजार चार सौ अस्सी एवं पैसे इक्कीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे ब्याज, चार्जेज आदि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 29,01,13,534/- (रुपये उन्तीस करोड़ एक लाख तेरह हजार पाँच सौ चौतीस मात्र) है।

3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. मै. यूनीऐके प्रा.लि. के स्वामित्व में प्लॉट नं. 21/24, ब्लॉक-ए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110028 जिसका सम्पूर्ण विस्तार 575.00 वर्ग यार्ड्स के प्लिन्थ एरिया से युक्त है, में औद्योगिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 21/23; दक्षिणः प्लॉट नं. 21/25; पूर्वः प्लॉट नं. 21/17, पश्चिमः सर्विस लेन-20'-0' चौड़ा (अर्थात् 20 फीट चौड़ा)
2. श्री जगजीत सिंह तथा श्री अमर दीप सिंह (ऋणधारक कम्पनी के निदेशक) के स्वामित्व में नं. 55-सी, ब्लॉक-जे-9, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110007 में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. जे-9/55 डी, दक्षिणः सम्पत्ति सं. जे-9/55 बी, पूर्वः सम्पत्ति सं.: जे-9/13, पश्चिमः 30 फीट चौड़ा सड़क
3. मै. शुर-कुट हीट ट्रान्सफर प्रा.लि., के स्वामित्व में भू तल, मैजेनिन तथा प्रथम तल में कुल 11330 वर्ग फीट के आरसीसी फैक्ट्री साथ औद्योगिक प्लॉट नं. 77, सेक्टर-6, इंडस्ट्रियल इस्टेट, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव, हरियाणा-122050 जिसमें भूमि का क्षेत्रफल 1012.50 वर्ग मी. है। चौहद्दीः उत्तरः 15 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः प्लॉट नं. 78; पश्चिमः प्लॉट नं. 76

तिथिः 24.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

प्रपत्र संख्या 26

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के प्रकाशन के लिए विज्ञापन।

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

और

त्रिपूरामल्टीनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

(CIN:U74140DL2013FTC262804)

[illegible] दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली-110014, पर स्थित है, के मामले में, ...याचिकाकर्ता/आवेदक

सूचना

[illegible] मंगलवार, 24, दिसम्बर, 2019 को आयोजित [illegible] 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'तमिल नाडू राज्य' में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।

[illegible] (www.mca.gov.in) [illegible]

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते त्रिपूरामल्टीनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./-

[illegible] श्रीनिवासन [illegible]

निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27.12.2019

DIN: 07883245

फॉर्म नं. आईएनसी-25ए

(कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसार)

पुष्पा रैसिडेंसी लिमिटेड से पुष्पा रैसिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड (पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी) में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष.

कंपनीज अधिनियम, 2013, की धारा 14 और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के तहत आवेदन के मामले में

तथा

पुष्पा रैसिडेंसी लिमिटेड (CIN: U45201DL2003PLC122527) जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-90, 2 फ्लोर, विवेक विहार, दिल्ली -110095 में है के मामले में

..आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी, **पुष्पा रैसिडेंसी लिमिटेड (CIN: U45201DL2003PLC122527)** को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (पुष्पा रैसिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड) में परिवर्तन के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 [illegible] मंगलवार 24 दिसम्बर, 2019 को आयोजित [illegible] विशेष प्रस्ताव पारित किया है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी (पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक) के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है तो वह शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी (पुष्पा रैसिडेंसी लिमिटेड (CIN: U45201DL2003PLC122527) के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय:

पुष्पा रैसिडेंसी लिमिटेड

ए-90, 2 फ्लोर, विवेक विहार, दिल्ली -110095

कृते और **पुष्पा रैसिडेंसी लिमिटेड** की ओर से

हस्ता./-

मोहित गुप्ता

(निदेशक)

स्थानः दिल्ली

तिथिः 27.12.2019

DIN: 05120537

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल रोड, सिविल लाइन्स, अजमेर

Website: www.rajasthan.gov.in/ada Email: ajmerada@gmail.com

Tel.No.: 0145-2627748-2627749

क्रमांकः अ.वि.प्रा./तकनीकी/2019-20/17108 दिनांकः 20/12/2019

ई-निविदा सूचना संख्या : 18/2019-20

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विभिन्न कार्यों की अनुमानित लागत 656.15 लाख के लिए उपर्युक्त श्रेणी में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/केन्द्र लोक निर्माण विभाग/स्वायत्त शासन विभाग में पंजीकृत संवेदकों को सक्षमता रखते हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित वेबसाइट http://www.urban.rajasthan.gov.in/ada व State public procurement पर देखे जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होकर इसी साइट पर निविदा में भाग ले सकते हैं साथ ही निविदा शुल्क, अमानत राशि व ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क को ऑनलाइन प्रक्रिया से ही जमा कराना होगा। ऑफलाइन किसी भी माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन भुगतान UDH online service portal http://www.udhonline.rajasthan.gov.in/ada के Link पर जाकर जमा करा सकते हैं। (UBN Code: AJD1920WSOB00058, AJD1920WSOB00059)

कार्य क्र.सं.	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	निविदा, अमानत राशि व अन्य राशि ऑनलाइन प्राप्त करने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
01-09	26.12.2019 से 06.01.2020 सायं 05:00 बजे तक	26.12.2019 से 06.01.2020 तक सायं 06:00 बजे तक	07.01.2020 सायं 03:00 बजे
10	26.12.2019 से 14.01.2020 सायं 05:00 बजे तक	16.12.2019 से 14.01.2020 सायं 06:00 बजे तक	15.01.2020 सायं 03:00 बजे

राज.संवाद/सी/2019-20/4352

अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

एलसीआरडी डिवीजन/नई दिल्ली

द फेडरल टॉवर्स

अपर ग्राउण्ड फ्लोर, 2/2, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

दूरभाष नं. 011-40733980,40733978

फेडरल बैंक

आपका पूर्ण बैंकिंग साथी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित सरफाएशी अधिनियम 2002 (इसके पश्चात इसे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 13(2) के तहत सूचना

1. श्री प्रदीप यादव पुत्र श्री प्रेम प्रकाश यादव
2. श्रीमती सुरची पत्नी प्रदीप यादव, दोनों निवासी II ए/ई-1, नेहरू विहार, प्रथम तल, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश साथ ही : भूतल, प्लॉट नं. II ए/ई-2, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कर्जदार के रूप में आपमें से प्रथम तथा सह-कर्जदार/जमानती के रूप में आपमें से द्वितीय ने हमारे बैंक की राजौरी गार्डन शाखा से के माध्यम से तथा बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति समझौते/ऋण दस्तावेज के क्रियान्वयन के पश्चात साख सुविधा ग्रहण की।

बैंक से उपर्युक्त प्राप्त साख सुविधा की प्रतिभूति की ओर श्री प्रदीप यादव ने निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों के बंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में 23.06.2008 को प्रतिभूति हित सृजित किये।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. II ए/ई-2 (प्लॉट का क्षेत्रफल 98.16 वर्ग मीटर), भूतल छत के अधिकार रहित, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर 53.28 वर्ग मीटर माप के फ्लैट तथा भूमि के आनुपातिक हिस्से और समस्त भवन/निर्मित किये जाने वाले भवन सहित सम्पूर्ण भाग जिसकी सीमाएँ पूर्व में 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में मकान नं. ई3, उत्तर में 12 फीट चौड़ी सर्विस लेन तथा दक्षिण में 45 फीट चौड़ी सड़क।

उपर्युक्त दृष्टिबन्धक/गिरवीकृत सम्पत्तियों को इसके बाद 'प्रतिभूत आस्ति' कहा जायेगा। अधोहस्ताक्षरी फेडरल बैंक लि. के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते आपको एतद्द्वारा सूचित करता है कि आपके पास बैंक की राजौरी गार्डन शाखा के साथ आपके ऋण खाते के तहत 05.11.2019 तक संयुक्त रूप से एकमात्र नकद साख खाता सं. 15807300000495 में रु. 8,30,739/- (रुपये आठ लाख तीस हजार सात सौ उनतालीस मात्र) बकाया है। पुनर्भुगतान में चूक करने के कारण आपके ऋण खाते/खातों को आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। एतद्द्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 05.11.2019 से भुगतान तथा लागतों की तिथि तक 13.50% की वार्षिक दर से ब्याज तथा 2% वार्षिक की दर से मासिक देयताएँ तथा दण्डात्मक ब्याज सहित कथित राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर बैंक बिना कोई अन्य सूचना दिये अधिनियम की धारा 13 के तहत समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा करने सहित उन्हें बकाया वसूली के लिए प्रतिभूति आस्तियों को पट्टे, आवंटन अथवा विक्रय के माध्यम से अन्तरित करने या उन पर प्रबन्धन के अधिकार का प्रयोग करेगा।

आपको सूचित किया जाता है कि बैंक की बिना लिखित सहमति के उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों में से आप किसी का भी विक्रय, पट्टे या अन्य विधि द्वारा अन्तरण नहीं करेंगे। अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहने की स्थिति में और उपर्युक्त के अनुसार बैंक के उपचारात्मक कार्यवाही करने की स्थिति में आप इस सम्बन्ध में आयी सभी लागत, प्रभार तथा व्यय बैंक को देने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत आस्तियों की विक्रय कार्यवाही से बकाये की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंक आपको बिना कोई अन्य सूचना दिये शेष राशि की वसूली हेतु आपके विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही करेगा। प्रतिभूत आस्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

यह सूचना 21 नवम्बर, 2019 को निर्गत की गयी थी और आपके पास भेजी गयी थी किन्तु प्रतीत होता है कि आपने इसे ग्रहण नहीं किया जिसके कारण सरफाएशी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता पड़ी।

दिनांक : 24 दिसम्बर, 2019

कृते द फेडरल बैंक लि., सहायक उपाध्यक्ष

(सरफाएशी अधिनियम के तहत अधिकृत प्राधिकारी)

www.readwhere.com

बाजवा के विस्तार पर पाक सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की

अदालत से गुजारिश की गई कि बड़ी पीठ बनाए और पहले के फैसले को रद्द करे

इस्लामाबाद, 26 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को सेवा विस्तार दिए जाने पर कानून बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर की।

मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अगुआई वाले तीन सदस्य पीठ ने 28 नवंबर को जनरल बाजवा को छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था, क्योंकि सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया था कि संसद छह महीने के अंदर सेना प्रमुख को सेवा विस्तार/ पुनः नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाएगी। यह फैसला ऐसे वक्त आया था जब 59 वर्षीय जनरल बाजवा 28 नवंबर की मध्य रात्रि को सेवानिवृत्त हो रहे थे।

अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की ओर से दायर पुर्निवचार याचिका में सरकार ने शीर्ष अदालत से गुजारिश की है कि वह मामले को सुनने के लिए बड़ी पीठ बनाए और पहले के फैसले को रद्द करे। सरकार ने मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने का भी आग्रह किया है।

सूचना व प्रसारण मामलों पर प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हमारी कानूनी टीम ने शीर्ष अदालत के फैसले के सभी पहलुओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया और पाया कि फैसले में कई कानूनी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अदालत फैसले की कमियों में सुधार करे। इसलिए पुर्निवचार याचिका दायर करने का निर्णय किया गया। अवान ने कहा कि बड़े जनहित को देखते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है। पुनर्विचार याचिका दायर करने के बाद भी संसद के जरिए कानून बनाने का रास्ता बरकरार रहेगा।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने अगस्त में एक अधिसूचना के जरिए जनरल बाजवा को सेवा विस्तार दे दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेवा विस्तार के तरीके में अनियमितता के चलते 26 नवंबर को इस पर रोक लगा दी थी।

मोदी व शी के प्रयासों से भारत-चीन सैन्य संबंध में सुधार हो रहा : चीनी सेना

बेजिंग, 26 दिसंबर (भाषा)।

चीन की सेना (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों से भारतीय सेना के साथ उसके संबंधों में सुधार हो रहा है। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) साझा करते हैं।

चीन के रक्षा प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि हाल ही में भारत में आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करने के दोनों तरफ के 'इरादों' को दिखाया है। जब उनसे पूछा गया कि पीएलए इस साल भारत के साथ संबंधों को कैसे देखता है तो उन्होंने कहा कि चीन-भारत संबंधों में सैन्य संबंध सभी संबंधों में से सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं को इसका श्रेय जाता है कि सैन्य संबंधों में सुधार हो रहा है और दोनों देश रणनीतिक वार्ता कर रहे हैं और व्यावहारिक संबंध बरकरार रख रहे हैं। इसके अलावा अपनी सीमाओं पर भी रणनीतिक आदान-प्रदान हो रहा है। पीएलए 2020 में भारत की सेना के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए आशान्वित है। इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनियक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भी होगी।

अफगानिस्तान में सैन्य शिविर पर आत्मघाती हमला, छह सैनिक मरे

काबुल, 26 दिसंबर। अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में सैन्य शिविर को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती कार बम विस्फोट में छह अफगान सैनिक मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार बताया है। हमलावर द्वारा विस्फोटक से लदी कार में विस्फोट किए जाने के तुरंत बाद आतंकवादियों के समूह ने परिसर पर हमला कर दिया। अफगान बलों की जवाबी कार्रवाई के साथ ही दोनों पक्षों में मुठभेड़ शुरू हो गई। विस्फोट और उसके बाद हुए आतंकवादियों के हमले में तीन अफगान सैनिक घायल हुए हैं। **(एपी)**

बेटी ने ब्रूस ली की तसवीर इस्तेमाल करने पर मुकदमा किया, 21 करोड़ युआन मांगे

शंघाई, 26 दिसंबर। ब्रूस ली की पुत्री शैनोन ली की कंपनी 'ब्रूस ली एंटरप्राइजेज' ने चाइनीज फास्ट फूड चेन कुंगफू कैटरिंग मैनेजमेंट के खिलाफ दिवंगत मार्शल आर्ट फिल्म स्टार की तसवीर का इस्तेमाल बिना अनुमति के करने को लेकर मुकदमा दायर किया है। बेटी ने मांग की है कि फूड चेन ब्रूस ली की तसवीर का इस्तेमाल बंद कर दे, लगातार 90 दिन तक स्पष्टीकरण दे कि उसका ब्रूस ली से संबंध नहीं है और 21 करोड़ यूआन का भुगतान क्षतिपूर्ति के तौर पर दे। फास्ट फूड कंपनी ब्रूस ली की तसवीर का इस्तेमाल एक लोगो में 15 वर्षों से कर रही थी। **(एएफपी)**

हांगकांग में फिर झड़प, कई गिरफ्तारियां हुईं

हांगकांग, 26 दिसंबर (एएफपी)।

हांगकांग में क्रिसमस के दौरान गुरुवार को भी राजनीतिक अशांति रही। पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच शॉपिंग मॉलों के अंदर झड़पें हुईं।

प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को कई मॉलों से गुजरते हुए सरकार विरोधी और पुलिस विरोधी नारे लगाए। घटनास्थल पर मौजूद संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने मॉल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं। हांगकांग में छह महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिससे इस वित्तीय 'हब' की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और शहर मंदी की स्थिति में पहुंचने लगा है। शहर के कई मॉल नियमित विरोध के केंद्र बन गए हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी आर्थिक व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं और शहर के बेजिंग समर्थक नेतृत्व पर दबाव डालते हैं। पिछले महीने लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों ने स्थानीय चुनावों में भारी जीत हासिल की थी।

इजराइल पर रॉकेट हमला, गाजा पर बम बरसाए गए

यरुशलम, 26 दिसंबर (एएफपी)।

गाजा पट्टी की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल के सैन्य विमान ने बुधवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। उसका कहना है कि हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के बदले में उन्होंने यह हमला किया है।

इससे पहले गाजा की ओर से रॉकेट दागे जाने के सायरन की आवाज आने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार शाम को एक रैली बीच में ही छोड़ दी थी। वह अगले दिन होने वाली पार्टी की प्राइमरी के लिए प्रचार कर रहे थे।

हाल के महीनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब रॉकेट की आवाज सुनने के बाद उन्हें कोई कार्यक्रम बीच में ही छोड़ना पड़ा हो। इजराइल की सेना ने कहा, 'गाजा पट्टी से इजराइल क्षेत्र की ओर प्रक्षेपास्त्र दागा गया जिसे आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने रोक लिया।' इसमें कहा गया कि प्रक्षेपास्त्र दागने के बाद फलस्तीन एनक्लेव के निकट और दक्षिणी शहर अश्केलॉन में सायरन बजने लगे। अश्केलॉन में ही प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे। इजराइल के सरकारी प्रसारणकर्ता केएएन11 ने तस्वीरें जारी की जिसमें सुरक्षा गार्ड नेतन्याहू को 'रेड अलर्ट' के बारे में बताता नजर आ रहा है।

इससे पहले, 10 सितंबर को लिकुड पार्टी के प्रमुख को दक्षिणी शहर अशदोद में चुनावी रैली छोड़कर जाना पड़ा था क्योंकि गाजा पट्टी से हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे थे। इजराइल की सेना ने बताया कि पिछले हफ्ते गाजा से इजराइल की ओर दो रॉकेट दागे गए थे। इसके जवाब में इजराइल के दो लड़ाकू विमानों ने हमास के प्रतिष्ठानों पर बम बरसाए थे।

[THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.]

Vaxtex

VAXTEX COTFAB LIMITED

CIN: U51109GJ2005PLC076930

Our Company was incorporated as "**Foolproof Vyapaar Private Limited**" at Kolkata, West Bengal as a Private company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated December 26, 2005 bearing Corporate Identification Number U51109WB2005PTC106869 issued by Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Consequent the name of the company was changed from "**Foolproof Vyapaar Private Limited**" to "**Vaxtex Cotfab Private Limited**" as approved by shareholders of our company pursuant to a special resolution dated December 18, 2015 and Certificate of Incorporation was issued by Registrar of Companies Ahmedabad, Gujarat dated December 30, 2015. Consequent upon the conversion of our Company to public limited company and as approved by the shareholders of our company pursuant to a special resolution dated March 05, 2018, the name of our Company was changed to "**Vaxtex Cotfab Limited**" and fresh certificate of incorporation dated March 21, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat. The Corporate Identification Number of our Company is U51109GJ2005PLC076930.For details of change in name and address of our Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters" on page 129 of this Prospectus.

Registered Office : Survey No. 230, Opp. Manya Park, B/h. Ranipur Village, Saijpur - Gopal, Narol, Ahmedabad–382405, Gujarat, India.
Contact Person: Mr.Tej Bharatbhai Hanj, Company Secretary and Compliance Officer
Tel No.: 9724496973/9727123004; **Email:** vaxtexcotfab@gmail.com; **Website:** www.vaxtexcotfab.com

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 15,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF VAXTEX COTFAB LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 14/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS.383.04 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 84,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 14/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 20.16 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UPTO 15,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10 EACH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 362.88 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.10% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!! Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No Cheque will be accepted.

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

Now available in ASBA for Retail Individual Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account.
For further details check section on ASBA below.
*ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 237 of the Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Exchanges in the General Information Document."
ASBA application forms can be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

PROMOTERS OF THE COMPANY MR. KHUSHANT GUPTA, MR. NITHLESHKUMAR M AGRAWAL, M/S QMIN PHARMA PRIVATE LIMITED AND M/S MIRACLE STORES PRIVATE LIMITED

ADDENDUM: NOTICE TO INVESTORS

This is with reference to the Prospectus filed with Registrar of Companies and Securities and Exchange Board of India in relation to the Issue. All capitalized terms used in this notice shall, unless the context otherwise, have the same meaning ascribed in the Prospectus.

On Page no 201 of the Prospectus, in the section Outstanding Litigations and Material Developments under Litigations involving Our Company- Litigations against Our Company –Criminal Litigations, following paragraph is added:

Criminal Case numbering 80188 and 92330 of 2018 filed by Bhavin Industries against our Company and Ors.

Two criminal cases numbering 80188 and 92330 of 2018 have been filed by Bhavin Industries in the Court of Additional Chief Metropolitan Magistrate, Ahmadabad against our Company and one Mr. Vikram Tulsidas Jain (ex-Director of the Company) which are being heard together. The said criminal cases have been filed for bouncing of three cheques numbering 953435 dated 21.06.2018 for an amount of Rs. 5,07,849, numbering 953433 dated 31.07.2018 for an amount of Rs. 6,00,000 and numbering 953434 dated 31.07.2018 for an amount of Rs. Rs.6,00,000, in part payment of the outstanding dues to Bhavin Industries. The said cheques were dishonoured by the bank due to insufficient funds. The said cheques were issued for payment of outstanding dues payable to Bhavin Industries for invoices of goods supplied by Bhavin Industries on the basis of verbal instructions from October 2017 to May 2018. Later, the Company and Bhavin Industries agreed on settlement by entering into a Settlement Agreement on July 16, 2019 to compromise on mutual terms, and to pay Rs. 3,00,000 (Rupees Three Lakh only) to the Creditor monthly between 20th to 25th of every month for the outstanding amount Rs. 25,43,643. The said payments have been made by the Company till date as per the agreed terms except at 4 instances wherein the payments for months of September, October ,November, and December 2019 were delayed though made by the Company to Bhavin Industries. Further, the Company has also received a notice dated December 8, 2018 in Form 3 under Rule 5 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 from Bhavin Industries (details of matter has been inserted in Litigations against the Company under the head "Civil Matters").

The said Criminal Case is presently pending for disposal and the next date of hearing is 30/12/2019

Further, On Page no 201 of the Prospectus, in the section Outstanding Litigations and Material Developments under Litigations involving Our Company- Litigations against Our Company – Civil Proceedings, following paragraph is read as under:

CIVIL PROCEEDINGS

Our Company had received a notice dated December 8, 2018 in Form 3 under Rule 5 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 from Bhavin Industries (the "Creditor"). The Creditor had issued invoices for goods supplied on the basis of verbal instructions from October, 2017 to May, 2018, which goods were accepted by our Company. Further that, our Company had issued cheque no. 953435 dated 21.06.2018 for an amount of Rs.5,07,849, cheque no. 953433 dated 31.07.2018 for an amount of Rs.6,00,000 and cheque no. 953434 dated 31.07.2018 for an amount of Rs. Rs.6,00,000, in part payments of the outstanding dues, which cheques were dishonoured by the bank due to insufficient funds. The Creditor has demanded Rs. 25,43,643 with respect to unpaid operational debt along with interest @ 24% p.a from the last issued invoice i.e. June 13, 2018. Thereafter the Company sent a reply dated 21.12.2018, stating that the liability to pay an amount of Rs. 25,43,643 202 was fictitious. It was further stated that only an amount of Rs. 15,09,474 was due and payable to the Creditor and this amount was derived by taking into account all the transactions which included the purchased goods and the returned goods/debit notes etc. Also, it was stated by us that the Creditor had supplied goods of inferior quality, which was earlier also duly communicated to the Creditor at various instances. Later, the Company and the Creditor agreed on settlement on July 16, 2019 to compromise on mutual terms, and to pay Rs. 3,00,000 (Rupees Three Lakh only) to the Creditor monthly between 20th to 25th of every month for the outstanding amount Rs. 25,43,643. The said payments have been made by the Company till date as per the agreed terms except at 3 instances where in the payments for months of September, October and November, 2019 were delayed though made by the Company to the Creditor. It has been further agreed between the Company and Bhavin Industries that after the completion of the payment the Creditor will withdraw case against complaint No.: 121/9/NCLT/AHM/2019 filed in the NCLT.

The next date of hearing in the said matter is on January 21, 2020.

Further on Page no 11 of the Prospectus, under the section "Summary of Offer Document" in 1st row of the table titled Summary table of outstanding litigations and a cross-reference to the section titled 'Outstanding Litigations and Material Developments' in point no (H) should read as under

Sr. No.	Nature of proceedings	Number of outstanding cases	Amount involved (Rs. in Lakhs)
	Cases filed against our Company		
	Criminal Liabilities		
1.	Criminal Liabilities	2	Uncertain
	Civil Liabilities		
2.	Civil Liabilities	1	25.43
	Tax Liabilities		
3.	Income Tax Demands	3	182.66
4.	TDS	1	1.51
5.	GST	1	Uncertain
	Total		**209.6**

Further on Page no 17 of the Prospectus, under the section "Risk Factors" in 1st row of the table titled Cases filed against our Company in point no 1, the number of criminal cases should read as under:

Sr. No.	Nature of proceedings	Number of outstanding cases	Amount involved (Rs. in Lakhs)
	Cases filed against our Company		
	Criminal Liabilities		
1.	Criminal Liabilities	2	Uncertain
	Civil Liabilities		
2.	Civil Liabilities	1	25.43
	Tax Liabilities		
3.	Income Tax Demands	3	182.66
4.	TDS	1	1.51
5.	GST	1	Uncertain
	Total		**209.6**

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

The Prospectus, the Bid cum Application Forms, and the abridged prospectus shall be read in conjunction with this notice. The above notice is required to be read in conjunction with other disclosures in the Prospectus.

For, **VAXTEX COTFAB LIMITED**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Ahmedabad, Gujarat
Date : December 26, 2019

Vaxtex Cotfab Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the NSE and the LM at, www.vaxtexcotfab.com, www.nseindia.com and www.capitalsquare.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 17 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Garima Advt

फॉर्म आईएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
मेसर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में मेसर्स इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड नाम से ज्ञात था) (निबंधन रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ. 410, IV/एफ, पी.ओ.-7-डी, कुतेश टावर, लक्ष्मीपुरी, नई दिल्ली पिन-110053 में स्थित है)
.....**याचिकाकर्ता**

सूचना
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन पत्र का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 23 दिसम्बर, 2019 की आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संबंध में कंपनी के सभी आम शेयर के संबंध की दृष्टि की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या वे निबंधक निबंधन पत्र पंजीकृत कर एनसीएलटी-21 फॉर्म (**www.mca.gov.in**) में विधिवत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **एस्सेल हाउस, बी-10, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली -110035** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
मेसर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ. 410, IV/एफ, पी.ओ.-7-डी, कुतेश टावर, लक्ष्मीपुरी, नई दिल्ली पिन-110053
आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
मेसर्स इंजीनियरिंग सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(मनीष गुप्ता)
निदेशक
डीआईएन : 07024710
दिनांक : 26.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
ए 618, सेक्टर 16-डी, फरीदाबाद-160015

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
दरभंगा- मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(CIN: U40300DL2012PLC246371)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एस्सेल हाउस, बी -10, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली -110035**
में है, के मामले में
....**आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में बदलने हेतु **मंगलवार, 13 अगस्त, 2019** को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निबंधक निबंधन पत्र पंजीकृत कर एनसीएल-21 फॉर्म (**www.mca.gov.in**) में विधिवत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **एस्सेल हाउस, बी-10, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली -110035** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
दरभंगा- मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
प्रमोद शर्मा
(निदेशक)
डीआईएन: 08454694
दिनांक: 26 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली

कार्यालय वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 892/2018 — बिक्री उद्घोषणा नोटिस — दिनांकित : 01.11.2019

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जावे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स अंश इलेक्ट्रिकल्स

सेवा में,
सीटी नं. 1 मैसर्स अंश इलेक्ट्रिकल्स, 2110/1, एफ इंट्र, भागीरथ प्लेस, दिल्ली – 110006, प्रोपराइटर के माध्यम से
सीटी नं. 2. नरेंद्र शर्मा, प्रोपराइटर, मैसर्स अंश इलेक्ट्रिकल्स, पी–50, मसूरी गुलाबगढ़ रोड, 2110/1, एफ इंट्र, भागीरथ प्लेस, दिल्ली – 110006, दूसरा पता: – पी–130, चौधरी फतेह सिंह मार्ग, गोंदा, दिल्ली – 110053
सीटी नं. 3. सरिता शर्मा, पी–130, चौधरी फतेह सिंह मार्ग, दिल्ली –110053.

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली ओए सं 687/2015/डीआरटी–III दिल्ली में आपके द्वारा देय रू. 74,07,703.31 (रु. चौहत्तर लाख सात हजार सात सौ तीन और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 11.02.2011 से प्रभावी 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं लागतों का प्रत्यय–पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।**
और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी द्वारा **30.01.2020 को अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली आकर्षित होती है)** द्वारा मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. **सयोग विहार फेज–2, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गांव, हरियाणा (इंडिया), फोन नं. +91-7291981124/25/26,** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री विनोद चौहान, जिसका मोबाइल नंबर 09813887931, ई–मेल : support@bankeauctions.com, वेब: https://www.bankeauctions.com से सम्पर्क करें।**
अन्य विवरण हेतु **श्री मनमोहन सिंह, प्रबंधक जिसका मो. 7046291405 ईमेल: sarafa@unionbankofindia.com से सम्पर्क करें।**
उपरोक्त नाम के प्रतिभूति की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावे को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अभिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।
बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान वाली अथवा उद्घोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	बी–130, अरविन्द नगर, गौन्दा, दिल्ली–110053	आरक्षित मूल्य : रु. 60,50,000/- (रु. साठ लाख पचास हजार मात्र) धरोहर राशि : 6,05,000/– (रु. छः लाख पाँच हजार मात्र)

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।
2. बोली, **कम से कम प्रत्येक सम्पत्ति हेतु रु. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उनको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में सीलबंद लिफाफे में दिल्ली** में देययोग्य हो, **को दिनांक 28.01.2020 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके अलावा नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, जो का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे हैं, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलों में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधि को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख तथा ऐसी जमा रसीद/काउन्टर फॉईल फॉर्वर्ड तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एस बैक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (मूलप्रति) **वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– III, दिल्ली** के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वे दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000/– तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/– से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी– III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
8. **इच्छुक बोलीदाताओं हेतु सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 24.01.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी

आत्मनिरीक्षण करना सकारात्मक रहा : अजिंक्य रहाणे

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

पिछले साल वनडे विश्व कप के लिए अनदेखी किए जाने के बाद अजिंक्य रहाणे के लिए आत्मनिरीक्षण करना सकारात्मक रहा। इससे उन्हें चीजों को स्वीकार करने में मदद मिली। जब भारतीय टीम के धुरंधर इंग्लैंड में विश्व कप खेल रहे थे तब वह काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और उन्हें महसूस हुआ कि सफलता का पीछा करना हमेशा आदर्श नहीं होता।

रहाणे ने कहा कि कभी कभार हम सफलता का पीछा करने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और तब हमें अचानक महसूस होता है कि हमें रुक कर, बैठ कर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। जब मुझे 2019 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया तो मैंने बिलकुल ऐसा ही किया। साउथम्पटन में हैम्पशर के लिए खेलते हुए दो महीने रहने के दौरान उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। वेस्ट इंडीज दौरे पर उन्होंने वापसी की और तीन साल में पहला टैस्ट शतक जड़ा। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी एक सैकड़ा जमाया।

रहाणे ने कहा कि इस समय मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं और यह वेस्ट इंडीज श्रृंखला से शुरू हुआ। मैं इंग्लैंड में था, काउंटी क्रिकेट खेल रहा था जिस दौरान मैंने सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के तौर पर काफी कुछ सीखा। दो महीनों में मैंने सात मैच खेले। इसलिए मैंने सिर्फ मैदान के अंदर की चीजें नहीं सीखीं बल्कि मैदान के बाहर की बातें भी सीखीं।

रहाणे ने कहा कि मैं कभी कभार पार्क में अकेला पैदल चला, कभी कभार जॉगिंग की। कभी मैं आराम से बैठकर कॉफी पीते हुए पिछले दिनों के बारे में सोचता। यह भी सोचता कि जब मैंने अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था, उससे पहले जब मैं क्लब क्रिकेट या उम्र ग्रुप के क्रिकेट खेलता था तो मैं कैसा महसूस करता था। कैरेबियाई टूर में खेलने से पहले रहाणे ने राहुल द्रविड़ से भी बातचीत की और उनसे बेहतर 'गाइड' उनके लिए कोई और नहीं हो सकता था।

रहाणे ने कहा कि इस समय मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं और यह वेस्ट इंडीज श्रृंखला से शुरू हुआ।

"मैं इंग्लैंड में था, काउंटी क्रिकेट खेल रहा था जिस दौरान मैंने सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के तौर पर काफी कुछ सीखा।

खबर कोना

दिन का खेल खत्म होने के बाद आस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ मैदान छोड़कर पवेलियन जाते हुए।

कोहली दशक के पांच सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटरों में

लंदन, 26 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेट अलमानैक ने चार अन्य के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है। कोहली के अलावा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और एबी डिवियर्स, आस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और महिला क्रिकेट की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पैरी इस सूची में शामिल हैं। कोहली ने पिछले दस साल में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में 5,775 अधिक रन बनाए और वह इस दशक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे। इस 31 वर्षीय बल्लेबाज को दशक की विजडन टैस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जबकि वह एकदिवसीय टीम में भी शामिल हैं।

रीयल कश्मीर ने चेन्नई सिटी को 2-1 से हराया

श्रीनगर, 26 दिसंबर (भाषा)।

घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए रीयल कश्मीर ने गुरुवार को यहां गत चैंपियन चेन्नई सिटी को 2-1 से हराकर आइलीग फुटबॉल के इस सत्र में पहली जीत हासिल की। दानिश फारूक ने 22वें मिनट और आइवरी कोस्ट के बाजी आर्मएंड ने 27वें मिनट में विजेता टीम के लिए गोल दागे। वहीं चेन्नई की टीम के लिए एकमात्र गोल सैयद सुहेल पाशा ने 48वें मिनट में दागा। रीयल कश्मीर ने इससे पहले ईस्ट बंगाल और टिडिम रोड एथलेटिक यूनियन (टीआरएयू) से ड्रॉ खेला था।

डोप टैस्ट में नाकाम ओलंपियन सुमित सांगवान एक साल के लिए निलंबित

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व एशियाई रजत पदक विजेता मुक्केबाज सुमित सांगवान पर डोप टैस्ट में नाकाम रहने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजंसी (नाडा) ने एक साल का प्रतिबंध लगा दिया। लंदन ओलंपिक 2012 में भाग ले चुके सांगवान पहले 91 किलोवर्ग में खेलते थे। उन्हें ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल खेलना था लेकिन उन पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। नाडा के डीजी नवीन अग्रवाल ने ट्वीट किया, 'प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी सुमित सांगवान पर तुरंत प्रभाव से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है।' सांगवान का नमूना 10 अक्तूबर को लिया गया था जिसमें डायूरेटिक्स और 'मास्किंग एजंट' के अंश पाए गए थे।

आस्ट्रेलिया के नाम रहा पहला दिन

बॉक्सिंग डे टैस्ट चार विकेट पर 257 रन बनाए, स्मिथ शतक के करीब

मेलबर्न, 26 दिसंबर (एएफपी)।

स्टीवन स्मिथ के नाबाद 77 रन की बदौलत आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टैस्ट के पहले दिन चार विकेट पर 257 रन बनाए। स्मिथ के शतक की ओर बढ़ते कदम से आस्ट्रेलिया ने पहले दिन अपना पलड़ा भारी रखा। न्यूजीलैंड का यह 1987 के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहला बॉक्सिंग डे टैस्ट मैच है।

कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ क्योंकि जो बर्न्स पहले ओवर में आउट हुए और लंच से पहले डेविड वार्नर भी पवेलियन लौटे। इसके बाद मार्नस लाबुशेन और स्मिथ ने अर्धशतक जमाकर आस्ट्रेलिया को वापसी दिलाई।

पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय स्मिथ के साथ ट्रेविस हेड 25 रन पर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में कोलिन डि ग्रैंडहोम ने 48 रन देकर दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड के लिए स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि मेलबर्न में पिछले चार टैस्ट मैचों में शतक जड़ने वाले स्मिथ एक और सैकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड को तीन मैचों की श्रृंखला बराबर करने के लिए इस मैच में जीत की दरकार है। आस्ट्रेलिया ने पर्थ में पहला टैस्ट मैच 296 रन से जीता था।

विलियमसन ने बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही पिच पर पहले क्षेत्ररक्षण का साहसिक फैसला किया। पहले ओवर में लगा कि उनका यह फैसला सही है। पसली की चोट से उबरकर वापसी करने वाले ट्रेंट बोल्ट ने पहली तीन गेंदों पर वार्नर को परेशान किया और चौथी गेंद पर बर्न्स का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। न्यूजीलैंड के प्रशंसकों ने इस अच्छी शुरुआत का दिल खोलकर स्वागत किया।

आस्टेलियाई खिलाड़ी के खिलाफ न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट एलबीडब्लू अपील करते हुए।

स्कोर बोर्ड

आस्ट्रेलिया पारी : डेविड वार्न का साउथी बो बैगनर 41, जे बर्न्स बो बोल्ट 0, लाबुशाने बो डि ग्रैंडहोम 63, स्टीवन स्मिथ नाबाद 77, वेड का वेटलिंग बो डि ग्रैंडहोम 38, ट्रेविस हेड नाबाद 25

गेंदबाजी :
ट्रेंट बोल्ट 20-2-60-1, टिम साउथी 21-5-63-00
कोलिन डि ग्रैंडहोम 21-5-48-2, वेगेनर 21-7-40-1
एम सैंटनर 7-1-3-0

मैच देखने पहुंचे रेकार्ड दर्शक

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टैस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर 80 हजार से अधिक दर्शक पहुंचे। यह इन दोनों देशों के बीच नया रेकार्ड है। बॉक्सिंग डे टैस्ट मैच आस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैलेंडर का अहम हिस्सा है। इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में एशेज मैच के पहले दिन कुल 91,112 दर्शक एमसीजी पहुंचे जो कि रेकार्ड है।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे मैच के दौरान 80,473 दर्शकों ने स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह एशेज से इतर किसी मैच में दूसरी सबसे बड़ी दर्शक संख्या है। आस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच 1975 में बॉक्सिंग डे के दिन मैच देखने के लिए 85,661 दर्शक पहुंचे थे।

एमसीजी पर भी हूटिंग झेली स्मिथ ने

मेलबर्न, 26 दिसंबर (एपी)।

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैलेंडर के सबसे बड़े दिन आस्ट्रेलिया का कोई भी क्रिकेटर दर्शकों की फब्तियों की उम्मीद नहीं करेगा। लेकिन पूर्व कप्तान स्टीवन स्मिथ को गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्मिथ ने बाद में कहा कि क्या ऐसा हुआ? मुझे पता नहीं है।

ड्रेसिंग रूम से बाहर किया गया देवांग गांधी को

कोलकाता, 26 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी को गुरुवार को शर्मसार होना पड़ा। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए बंगाल रणजी टीम के ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया है। यह घटना बंगाल और आंध्र के बीच खेले जा रहे रणजी मैच के दूसरे दिन तब घटी जब खराब रोशनी के कारण खेल रुका हुआ था और गांधी टीम फिजियो से मिलने ड्रेसिंग रूम में चले गए।

बंगाल के पूर्व कप्तान मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार निरोधक प्रोटोकॉल का हवाला दिया जिसके बाद बीसीसीआइ के अधिकारी सोमन कर्माकर ने गांधी को ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने के लिए कहा। भ्रष्टाचार निरोधक प्रोटोकॉल के अनुसार केवल खिलाड़ी और टीम के सहयोगी स्टाफ ही ड्रेसिंग रूम में रह सकते हैं।

तिवारी ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार निरोधक प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना चाहिए। एक राष्ट्रीय चयनकर्ता बिना अनुमति के ड्रेसिंग रूम में नहीं घुस सकता है। केवल खिलाड़ी और टीम अधिकारी ही ड्रेसिंग रूम में प्रवेश कर सकते हैं। गांधी ने हालांकि कहा कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी की अनुमति ली थी।

उन्होंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया। मुझे बंगाल के कोच अरुण लाल ने ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया था। वह मेरे पहले कप्तान थे। मेरी पीठ में दर्द है और इसलिए मैंने अनुमति ली और बंगाल के फिजियो से चिकित्सा कक्ष में आने के लिए कहा। लेकिन मनोज को लगता है कि इससे परेशानी थी।

पूर्व क्षेत्र के चयनकर्ता ने कहा कि तिवारी ने वह काम किया जिसकी जरूरत नहीं थी। तिवारी दो सत्र तक गांधी की अगुआई में खेले थे। गांधी ने कहा कि इससे मैं ही नहीं बल्कि बंगाल क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों को बुरा लगा।

मेरे मनोज से मतभेद नहीं हैं। उसने ऐसा करके युवा खिलाड़ियों के सामने अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया। सूत्रों के अनुसार यह मसला बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली को बता दिया गया है।

चयन प्रक्रिया से बिधूड़ी नाराज

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

मुक्केबाज गौरव बिधुड़ी ने अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के मद्देनजर आगामी ट्रायल्स के लिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी है। उन्होंने इस मामले में खेल मंत्री किरन रिजीजू से हस्तक्षेप की मांग की। रिजीजू, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को लिखे पत्र में बिधुड़ी ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के बेलारी में 29 और 30 दिसंबर को होने वाले ट्रायल्स से अनुचित तरीके से बाहर रखा गया।

बिधुड़ी ने कहा कि मैं इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से तंग आ चुका हूं। इस साल विश्व चैंपियनशिप के पदकधारियों को सीधे ओलंपिक क्वालीफायर में प्रवेश दिया गया। मैंने 2017 में विश्व कांस्य पदक जीता था, लेकिन मुझे राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के ट्रायल में खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी।

उन्होंने कहा कि उस समय मुझे कहा गया था कि

मैंने ज्यादा प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं लिया था, इस बार मुझे कहा जा रहा है कि मैंने कड़े प्रतिद्वंद्वियों का सामना नहीं किया। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहां चयन का मानदंड क्या है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। बिधुड़ी चीन में फरवरी में होने वाले क्वालीफायर के लिए 57 किग्रा ट्रायल में भाग लेना चाहते थे। लेकिन अमित पंघाल (52 किग्रा) और मनीष कौशिक (63 किग्रा) को ट्रायल्स से छूट दे दी गई।

हिंदू होने के कारण कनेरिया के साथ खराब बर्ताव किया पाक खिलाड़ियों ने : शोएब

कराची, 26 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दावा किया है कि उनके साथी खिलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया। वह उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे क्योंकि वह हिंदू थे। कनेरिया ने उनके दावे का समर्थन किया है।

अपने मामा अनिल दलपत के बाद पाकिस्तान के लिए खेलने वाले दूसरे हिंदू कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टैस्ट में 261 विकेट लिए। शोएब ने एक कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने कहा, 'मेरे करिअर में मैने टीम के दो तीन खिलाड़ियों से लड़ाई भी की जब वे

क्षेत्रवाद पर बात करने लगे थे। 'कौन कराची से है, कौन पंजाब से या कौन पेशावर से', ऐसी बातें होनी लगी थी। क्या हुआ अगर कोई हिंदू है, वह टीम के लिए अच्छा खेल रहा है।'

शोएब ने कहा, 'वे कहते थे ' सर ये यहां से खाना कैसे ले रहा है।' उन्होंने कहा, 'उसी हिंदू ने इंग्लैंड के खिलाफ हमें टैस्ट जिताया। वह अगर पाकिस्तान के लिए विकेट ले रहा है तो उसे खेलना चाहिए। हम कनेरिया के प्रयास के बिना श्रृंखला नहीं जीत सकते थे लेकिन बहुत लोग उसे इसका श्रेय नहीं देते।'

संपर्क करने पर कनेरिया ने शोएब के दावे का समर्थन करते हुए कहा, 'शोएब भाई महान खिलाड़ी हैं। वह गेंदबाजी की तरह बातें भी खरी खरी करते हैं। जब मैं खेलता था तो इन मसलों पर बोलने की हिम्मत नहीं थी लेकिन शोएब भाई के बयान के बाद अब आ गई है। उन्होंने, इंजी भाई (इंजमाम उल हक), मोहम्मद युसूफ और यूनिस भाई ने भी हमेशा मेरा साथ दिया।'

साल 2019 देश के लिए एथलेटिक्स के लिहाज से सूखा रहा यह साल

एथलेटिक्स में छाए रहे डोपिंग सहित अन्य विवाद

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय एथलेटिक्स के दो बड़े सितारे नीरज चोपड़ा और हिमा दास चोटों के कारण सुर्खियों से दूर रहे। इससे वैश्विक पदक के मामले में यह साल देश के एथलेटिक्स के लिए सूखा रहा। इसमें डोपिंग के अलावा उम्र में हेरफेर के विवाद जारी रहे।

निराशाओं के बीच हालांकि दुती चंद ने इतिहास रच दिया। वह 100 मीटर की स्पर्धा जीतकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। देश ने मिश्रित चार गुणा 400 मीटर रिले और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा (अविनाश साबले) में 2020 ओलंपिक खेलों में स्थान पक्का किया।

दुती चंद 100 मीटर की स्पर्धा जीतकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला

2018 में नीरज चोपड़ा विश्व स्तरीय भाला फेंक एथलीट बनकर सुर्खियों में रहे थे। लेकिन 22 साल का खिलाड़ी पटियाला में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गया जिसके लिए उन्हें इस साल मई में कोहनी की सर्जरी करानी पड़ी। इससे वह दोहा में एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक का बचाव करने नहीं उतर सके। वह विश्व चैंपियनशिप भी नहीं खेल पाए।

जूनियर विश्व चैंपियन हिमा सत्र के शुरुआती हिस्से में एक्शन में रहीं लेकिन 2018 एशियाई खेलों के बाद उनकी पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट उन्हें परेशान करती रही। यूरोप में ट्रेनिंग करने के साथ वह सुर्खियों में आईं क्योंकि चेक गणराज्य और पोलैंड में औसत दर्जे के टूर्नामेंटों में उन्होंने लगातार छह स्वर्ण पदक जीते जिससे मीडिया में हलचल मच गई।

असम की 'धिंग एक्सप्रेस' ने हालांकि एशियाई चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया। इस 19 साल की खिलाड़ी को विश्व चैंपियनशिप में चुना गया लेकिन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने अंतिम मिनट में उनका नाम हटा दिया।

हवाई शॉट खेलना कोई अपराध नहीं : रोहित

मुंबई, 26 दिसंबर (भाषा)।

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि हवाई शॉट्स खेलना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना स्वाभाविक खेल दिखाने की छूट मिलनी चाहिए। रोहित ने अपना अंतरराष्ट्रीय करिअर मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरू किया लेकिन वह बाद में सीमित ओवरों के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज बन गए।

उन्होंने कहा कि बड़े शॉट खेलने में कोई बुराई नहीं है। जब हम छोटे थे, तब खूब बड़े शॉट लगाते थे और हमें नेट्स से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि आखिर में तो आप नतीजे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई खिलाड़ी हवाई शॉट खेलकर भी आपको नतीजे दे रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं

है। युवाओं को ऐसे शॉट खेलने की चाहत रहती है।

उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी करते समय हर कोई आकर्षक शॉट लगाना चाहता है लेकिन यह भी जरूरी है कि वे अपना स्वाभाविक खेल दिखाए। रोहित ने कहा कि हमें इसका ध्यान रखना होगा कि ये गलतियां बारंबार नहीं हो।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 40, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com